राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का १७ वां दिवस [संख्या १२

बुधवार, २० नवम्बर, १९५७

धान सभा की बैठक म० पू० ९–१४ बजे वेधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३४२

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

(प्रश्न-कर्ता अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

राजस्थान में नगर विकास मंडल एवं उनके सदस्य.

३४३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड्स कहां कहां पर हैं और उनके कौन कौन मेम्बर्स हैं ?

(ख) इन मेम्बरों की नियुक्तियां किन किन आधारों पर की जाती हैं ?

(ग) क्या इसकी सालाना रिपोर्ट तैयार होती है ? अगर हां, तो सन् ५५,५६ व ५७ की रिपोर्ट्स तैयार हैं क्या ?

(घ) क्या प्लॉट्स लेने वालों की दरख्वास्तें रजिस्टर की जाती हैं ?

(ङ) अगर हां, तो क्या प्लॉट्स सीरियल नम्बर से ही दिये जाते हैं ?

उप स्वा. शा. मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड केवल जयपुर में ही है और उसके निम्न मेम्बर हैं : श्री के. एन. भार्गव, अध्यक्ष, श्री रमेशचन्द्र शर्मा, श्री वी. एन. काक, श्री श्यामबिहारीलाल सक्सेना और श्री एस. एन. शिवपुरी, मेम्बर सेक्रेटरी ।

(ख) इनकी नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

(ङ) राज्य के नियमानुसार प्लॉटों की बिक्री की जाती है ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या कोटा में ट्रस्ट नहीं है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा सवाल तो यह है कि किन आधारों पर इनकी नियुक्तियां की जाती हैं और प्लॉट लेने वालों की दरख्वास्तें क्या रजिस्टर की जाती हैं और उसी सीरियल नम्बर पर प्लॉट दिये जाते हैं ?

Page No.2

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने रजिस्टर का जवाब 'हां' में दिया है। नियुक्ति के बारे में जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको नियुक्त कर देते हैं इस काम के समझने वालों को।

रावराजा श्री सरदारसिंह् : क्या जयपुर में कॉक साहब के सिवाय और कोई योग्य व्यक्ति नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पांच सौ योग्य व्यक्ति हो सकते हैं, कई. हो सकते हैं, पर इसमें तो ४-५ व्यक्ति ही नियुक्त हो सकते हैं इसलिये हमें तो उन कई सौ योग्य व्यक्तियों में से चार-पांच छांट कर रखना पड़ता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह् : पहले बाबा हरिश्चन्द्र भी मेम्बर थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

रावराजा श्री सरदारसिंह् : अब उनके बजाय कौन हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अभी उनके बजाय कोई नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह् : ये नियुक्तियां क्या कोई सर्विस कमीशन के द्वारा होती हैं काबिल आदमियों में से या मिनिस्टर साहब ही खुद कर देते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये सारे आदमी बहुत काबिल हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह् : यह कैसे जाना ?

श्री अध्यक्ष : ये सरकार की राय में काबिल हैं।

श्री पी. के. चौधरी : क्या कोटा में कोई अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हां।

श्री पी. के. चौधरी : तो आपने तो अभी अपने जवाब में फरमाया कि जयपुर में ही है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बोर्ड का पूछा ट्रस्ट का नहीं पूछा था।

रावराजा श्री सरदारसिंह् : क्या ऐसी भी कोई शिकायत है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में किसी शख्स ने दरख्वास्त दी और वह रजिस्टर हो गई पर इसके बाद उसको चिट्ठी लिखी जाती है कि यह जमीन आपको नहीं दी जा सकती और फिर वह दूसरे को दे दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हमारे पास सूचना नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह् : क्या सूचना दें तो कार्यवाही करेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप नाम, पता वगैरह सब बतावेंगे तो जरूर दरयाफ्त करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : बोर्ड और ट्रस्ट में फर्क क्या है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने बोर्ड के नाम से पूछा वह मैंने बता दिया। वह स्टेच्युटरी है।

श्री पी. के. चौधरी : इनके फंक्शन्स में क्या फर्क है ?

Page No.3

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह इम्तिहान त मैं दे नहीं सकता। आपने सवाल जो पूछा उसका उत्तर मैंने दे दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसकी रिपोर्ट सालाना पब्लिश होती है, इसका क्या जबाव हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका जबाव 'हां' में दिया है न।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वह रिपोर्ट सदन में आप पेश करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप मांगते तो जरूर पेश करते।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप तो हमें दे, मांगने से क्या मतलब है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आप एक कॉपी भेज देना आपको।

रावराजा श्री सरदारसिंह : भेजेंगे न ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कौन से साल की ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसमें साल भी लिखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में निकलती है, यह उसमें शामिल है।

वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं रेगिस्तान में ऐसा करने की शासकीय योजना

३४४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वन विभाग द्वारा प्लान्टेशन उन्हीं जगह किया गया है जहां बरसात अधिक होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार रेगिस्तान में भी प्लान्टेशन कराने का विचार रखती है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि प्लान्टेशन करवाते वक्त सैंकड़ों की तादाद में हरे वृक्ष कटवाये गये हैं ? यदि हां, तो फिर सरकार वृक्षारोपण का आयोजन क्यों करती है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं। रेगिस्तान में भी प्लान्टेशन की आवश्यकता है और कुछ जगह काम भी चालू किया है। पानी की कमी की वजह से बाधाएं इस काम में जरूर आती हैं।

(ख) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि भीनमाल के पास भाभाणा की बीड़ में प्लान्टेशन करवाते वक्त हरे दरख्त कटवाये गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरी जानकारी में नहीं है। बाकी प्लान्टेशन करवाने के लिये हरे दरख्त कटवाना जरूरी नहीं है और अगर किसी ने कटवाये हैं तो आप लिखकर शिकायत कीजियेगा, मैं जांच करूंगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं नोटिस में लाया हूँ। सरकार इसके लिये कदम उठायगी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जानकारी में नहीं है। आप शिकायत करते हैं तो लिख-कर मुझे शिकायत दीजियेगा, मैं जांच करवाऊंगा।

श्री अर्जुनदास : यहां कह रहे हैं, इससे ज्यादा क्या शिकायत होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लिख कर देने से वे कोशिश करेंगे इसे सुबूत करवाने की।

श्री लक्ष्मीचन्द : अगर ऐसा हो तो क्या आप उनके खिलाफ रिमूवल ऑफ ट्रीज़ एक्ट के मातहत दण्ड देने को तैयार होंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून के मुताबिक जरूर दण्ड दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या ३४५

श्री अध्यक्ष : श्री. पी. के. चौधरी।

सांचोर विस्तार खण्ड द्वारा किये गये सामाजिक कल्याण के कार्य

३४६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या सामुदायिक विकास योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सांचोर विस्तार खण्ड, जिला जालोर द्वारा सोश्यल वेलफेयर के क्या क्या और किस किस जगह पर कार्य किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

विकास योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जालोर जिले के सांचोर विकास खण्ड में समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत....

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : जरा जोर से बोलिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जालोर जिले के सांचोर विकास खण्ड में समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सांचोर स्थित १० हरिजन परिवारों में प्रति परिवार ३५०) रुपये के हिसाब से ३५००) रु. गृह निर्माण हेतु दिये गये हैं। इसके अलावा उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां एक समाज शिक्षा केन्द्र भी चलाया जा रहा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह केन्द्र चल रहा है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो सोश्यल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट से मालूम हो सकता है, उसके अन्तर्गत यह है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैंने सूची मांगी थी, वह सूची क्यों नहीं दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सोश्यल वेलफेयर विभाग का काम है। उनके ही अन्तर्गत आता है।

श्री तनसिंह : आप इसका उत्तर दे रहे हैं तो आप ही वहां से यह सूचना मंगा सकते थे।

श्री लक्ष्मीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है क्या क्या और किस किस जगह पर कार्य किये गये हैं ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अब वह सूची सदन की मेज पर रक्खी जानी चाहिये। बाकी के प्रश्न का तो उत्तर दे दिया, पर वह सूची नहीं रक्खी जा रही है।

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता : समाज कल्याण विभाग अलग है।

श्री अध्यक्ष : वह दूसरे विभाग से सम्बन्धित है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपका यह कार्य नहीं हो सकता था क्या कि आप उससे यह सूचना मंगा कर देते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस विभाग के मातहत वह नहीं आता । वह अलग डिपार्टमेन्ट है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : विभाग अलग है पर अफसर तो एक ही है जिसके नीचे ये दोनों विभाग आते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सोश्यल एजुकेशन सेपरेट है, पर सोश्यल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट डाइरेक्ट काम करता है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जवाब आप दे रहे हैं और जब लिस्ट हम मांग रहे हैं, तो यह आपका काम था कि पहले मंगा लेते उस विभाग से ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने, जो जवाब देने की बात थी उसका जवाब दे दिया, जो डिटेल्स मांगे दे दिये, इतना काम हो रहा है ।

प्रश्न संख्या ३४७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४८

श्री तेजमल बाफना ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४९

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

सहकारी समिति, दांता रामगढ़ के मंत्री द्वारा गबन पर आर्बिट्रेशन बोर्ड

३५०. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सहकारी समिति, दांता रामगढ़ के मंत्री ने लगभग ७,००० रु० हड़प कर लिये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या इस विषय में सरकार ने कोई आर्बिट्रेशन बोर्ड मुकर्रर किया था ? यदि हां, तो कब और बोर्ड ने क्या फैसला दिया ?

उप मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) श्री नारायणलाल चौधरी, मंत्री, की ओर दांता रामगढ़ सहकारी भंडार के ८,४८४। दो पैसे उनके मंत्री-काल के समय के निकलते हैं ।

(ख) हां, दिनांक २०।१०।५६ को ।

(ग) आर्बिट्रेशन बोर्ड ने श्री नारायणलाल के विरुद्ध १४,४३१ रु० डेढ़ आना असल मय सूद व हर्जाना की डिक्री दी है ।

श्री तनसिंह : तो उससे कुछ वसूल भी हुआ या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नहीं, हाई कोर्ट में केस कर दिया है ।

श्री तनसिंह : अभी वे सहकारी समिति के मंत्री पद से हटाये गये या नहीं या अभी वहीं पर विराजमान हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वे तो हट गये ।

प्रश्न संख्या ३५१

अध्यक्ष : डा० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

बाड़मेर नगरपालिका के हिसाब का ऑडिट

३५२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर नगरपालिका का हिसाब कब ऑडिट किया गया ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त ऑडिट की रिपोर्ट में नगरपालिका पर कोई गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं ?

(ग) क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : बाड़मेर नगरपालिका के हिसाब सन् १९५५–५६ का ऑडिट निरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक ६।७।५६ से २५।७।५६ तक किया गया था।

(ख) नहीं। कोई सीरियस इर्रेगुलेरिटीज़ तो नहीं कही जा सकतीं। जो ऑडिट ने इर्रेगुलेरिटीज़ बताई हैं उनका समाधान किया जा रहा है।

(ग) प्रतिलिपि संलग्न है।

(रिपोर्ट अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तनसिंह : क्या उस ऑडिट रिपोर्ट में यह ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया है कि वह केशियर है, कई वर्ष से उस पद पर रहते हुए सिक्योरिटी मांगते हुए भी कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया, इर्रेगुलेरिटीज़ जो हुई हैं उनका समाधान किया जा रहा है। इर्रेगुलेरिटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कही जा सकती।

श्री तनसिंह : हर केशियर को सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जब उसने सिक्योरिटी नहीं दी तो यह इर्रेगुलेरिटी एक क्षण में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाती है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : केशियर ने अब तक तो कोई गड़बड़ी नहीं की और जो यह इर्रेगुलेरिटी हुई है उसका समाधान किया जा रहा है।

श्री अर्जुनदास : When does the Government propose to take security from him.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : The Government must have taken.

श्री अध्यक्ष : The report says that they have not yet taken.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It is not today's report. Thereafter we had given direction and the Board must have taken.

श्री अनूपसिंह : जो इर्रेगुलेरिटी, अब जिसको आप मान रहे हैं, उसको आप ७ वर्ष तक भी ठीक नहीं कर पाये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५५-५६ की ऑडिट रिपोर्ट है उसमें जो इर्रेगुलेरिटीज़ का उल्लेख है उनका समाधान किया जा रहा है।

श्री तनसिंह : आप यह कह रहे हैं कि इस केशियर ने कोई गड़बड़ी नहीं की, तो अब भी आपके मुताबिक तो नहीं ली जानी चाहिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इससे पहले के काल में आपका भी म्यूनिसिपैलिटी से कनेक्शन था, सात वर्ष शायद नहीं हुए, उस वक्त भी ली जा सकती थी। इस बोर्ड ने अभी क्या गुनाह कर दिया ?

श्री तनसिंह : मैं था तो मेरे समय में केशियर से सिक्योरिटी ली नहीं जाया करती थी, म्युनिसिपैलिटी में मेरे प्रश्न पूछने का यह मतलब नहीं कि मेरी गलती हो गई हो तो आप वह भी बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी गलती को क्यों छिपाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने ५५-५६ का निवेदन किया....

श्री अध्यक्ष : अब भी आप जल्दी करवा देवें।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में गौ-सदन खोलने का टार्गेट

३५३. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या कृषि मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या गौ-सदन खोलने का कोई टार्गेट था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कितने गौ-सदन खोले गये ?

उप कृषि मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : कोई टार्गेट नहीं था। प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : सीकर के गौ-सदन की सरकार द्वारा जांच कराई गई क्या ?

श्री दौलतराम : अलग से प्रश्न पूछिये।

प्रश्न संख्या ३५६

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचन्द जैन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

रेल्वे ट्रेनिंग स्कूल के एक युवा बालक की १२ जून, १९५७ को मृत्यु

३५५. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर पश्चिम) : Will the Health Minister be pleased to state:—

(a) Is it a fact that a young boy of the Railway Training School died in the General Hospital on the night of 12th June, 1957, and that report to this effect was made to the Principal Medical Officer by one Shri R. C. Paliwal, Secretary, Municipal Karmachari Sangh ?

(b) Is it also a fact that no information of the serious condtion of the boy was given to either the Principal, Railway Training School, wherefrom the boy had come or to the guardian of the boy ?

(c) Is it true that there is a general complaint against the P. M. O. that he allows an unauthorised man known as Heera lal, Rajastore, a congressman, in the General Hospital, who interrupts and disturbs even the doctor taking the advantage of his friendship with the Principal Medical Officer ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जी नहीं, यह असत्य है। जी नहीं।

बीकानेर जिले में पीने के पानी का अभाव

३५६. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में पीने का पानी एक अहम विषय बना हुआ है और सरकार इस समस्या के हल के बारे में क्या सोच रही है ?

(ख) बीकानेर जिले में कुए खुदवाने व कुओं की मरम्मत के लिये सन् ५७-५८ में कितना बजट रखा गया था, इस वर्ष में कितने कुओं की मरम्मत हुई और कितने कुए नये खुदवाये गये ? कृपया खर्च के आंकड़े प्रस्तुत करें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हां।

(ख) कुछ बजट नहीं रखा गया। अतः नये बनवाने, खुदवाने और मरम्मत कराने का प्रश्न नही उठता।

श्री गिरधारीलाल : वहां के लोग प्यासे मरते मर जायेंगे फिर भी क्या उनके लिये पानी का इन्तजाम नहीं होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट का काम कुए बनवाने और मरम्मत करवाने का नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : क्या आप यह मानते हैं कि बीकानेर में पीने के पानी की कमी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने अपने उत्तर में कहा है 'हां'। बी पार्ट का मैंने कहा 'नो'। बाकी की जानकारी जो इसके लिये रिलेवेन्ट महकमा है उससे पूछिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपका महकमा कूए आदि नहीं बनवाता है तो कम से कम सड़कें ही बनवा दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सड़कें तो बन ही रही हैं, मकान बन रहे हैं, कूए खुद रहे हैं, मरम्मत हो रही है और ज्यादा जानकारी जो रिलेवेन्ट महकमा है उससे सवाल पूछने से ही मिल सकती है।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में प्रारम्भ हुआ दौसा–गंगापुर बिजली की लाइन का कार्य

३५७. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को मालूम है कि दौसा गंगापुर बिजली की लाइन जो प्रथम पंच वर्षीय योजना में चालू हो जाने को थी वह अभी तक अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? इस पर कितना रुपया किस प्रकार खर्च हो चुका है और अब कब तक बिजली चालू हो जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हां। स्टील तथा दूसरे सामान के उपलब्ध न होने के कारण दौसा और गंगापुर के बीच की ट्रान्समिशन लाइन शिड्यूल के अनुसार पूरी नहीं की जा सकी। सितम्बर १९५७ तक उस काम पर रु० १,४६,७४३ आना १० पाई ६ का खर्चा हुआ जिसमें पोल्स की कीमत, पोल्स के फाउन्डेशन तथा मजदूरी एवं इरेक्शन की कीमत भी शामिल है। यह काम शीघ्र ही

Page No.9

(श्री नाथूराम मिर्धा)

फिर चालू किया जाने को है। टॉवर स्ट्रकचर्स के जून, १९५८ तक लगाये जाने की संभावना है। बरसात के बाद कन्डक्टर्स लगाये जा सकते हैं। पॉवर सप्लाई १९५९ तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

प्रश्न संख्या ३५८

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीभान सिंह।

बारेठा होती हुई बसेड़ी को बयाना से जोड़ती हुई सड़क का सर्वे

३५९. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Public Works Minister be pleased to state:

(a) Has the survey for the Road linking Baseri to Bayana via Baretta been completed?

(b) If so, what is the approximate expenditure to be incurred in its construction?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) No.

(b) The question does not arise.

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

धौलपुर उपजिले के बांधों का जीर्णोद्धार

३६०. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इस वर्ष धौलपुर उप-जिले के किस किस बांध को क्या क्या हानि पहुंची और उनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था की गई तथा उसमें कितना रुपया व्यय हुआ ?

(ख) क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने आर. टी. बांध, बाड़ी को जानबूझ कर नष्ट कर दिया है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) इस वर्ष धौलपुर उप-जिले में केवल आर. टी. बांध को हानि पहुंची जिसके कारणों की जांच जारी है। मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है और उसमें लगभग ६००० रुपया खर्च होगा।

(ख) जांच जारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों में जलाशय निर्माण सम्बन्धी गत दो वर्षों से प्रार्थना-पत्र

३६१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर जिले की लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों से पिछले दो वर्षों से अब तक नये जलाशय (कुवे, कुन्ड व बावड़ी) आदि के काम आरम्भ कराये जाने हेतु कुल कितने प्रार्थना-पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं तथा सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील से पिछले दो वर्षों में जलाशयों के निर्माण अथवा मरम्मत के लिए करीब १५० प्रार्थना-पत्र जल बोर्ड के पास आये थे जिनमें से ७६ काम स्वीकार हुए, इनमें से ७२ काम पूरे कराये गये। शेष कामों को आवश्यक जांच कराने के बाद पूरा कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री भीमसेन : क्या यह सरकार के नोटिस में है कि कम से कम १०० काम अधूरे पड़े हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें १०० का नहीं है, इसमें ७ काम ही अधूरे पड़े हैं।

श्री भीमसेन : इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार प्रयत्न कर रही है। ये काम विचाराधीन हैं।

श्री भीमसेन : क्या प्रयत्न कर रही है, कितना रुपया अलॉट किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

मानस बांध (तहसील लाड़पुरा) के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धन राशि

३६२. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील लाड़पुरा के मानस गांव में स्थित चन्दलोई नदी के पुल का जीर्णोद्धार करवाने हेतु कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई है ?

(ख) उपरोक्त कार्य का ठेका किसे दिया गया है और यह कब तक पूरा होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कोई धन-राशि स्वीकृत नहीं हुई।

(ख) सवाल नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

भीमसागर (जिला बांसवाड़ा) योजना पर व्यय होने वाली धनराशि

३६३. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) झालावाड़ जिले में भीमसागर योजना कितने लाख रुपये की है तथा इसका कार्य कब आरम्भ हुआ ?

(ख) अब तक इसकी क्या प्रगति है और कितना धन खर्च हो चुका है तथा इसका कार्य कब तक पूरा हो जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा, सिंचाई मंत्री की अनुपस्थिति में): (क) भीमसागर योजना की अनुमानित लागत १८,१८,६०० रुपये की है।

(ख) इस योजना का कार्य १६५४ में प्रारम्भ हो गया है।

(ग) अब तक इस काम की प्रगति ५० प्रतिशत हुई है और माह सितम्बर, १६५७ के आखीर तक ८.८२ लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। इस योजना पर एस्टीमेट्स से कुछ ज्यादा खर्च होने की संभावना है।

(घ) यह योजना सन् १६५६ तक पूरी होने की आशा है।

Page No.11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

[नोट : मूल प्रश्न में (क) और (ख) भाग ही हैं जब कि सदन में (ग) और (घ) भाग का भी उत्तर दिया गया ।]

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि यह बांध कितनी दफा टूट गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बांध के टूटने का सवाल ही नहीं उठता है जब कि बांध बंधा ही नहीं है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : बीच में थोड़ा थोड़ा बन रहा है और उसमें भी वह टूट गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका कौनसे बांध से मतलब है ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : भीमसागर डेम से ।

श्री नाथूराम मिर्धा : भीमसागर डेम बन रहा है और कहीं से नहीं टूटा है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह इन्जीनियर के द्वारा कराया जा रहा है या ठेकेदार के द्वारा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ठेकेदार के द्वारा ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : ठेकेदार कहां का रहने वाला है ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूचना मेरे पास नहीं है और आपका यह प्रश्न है, इससे सम्बन्ध नहीं रखता है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : जानकारी तो पूरी देनी चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जानकारी जितनी देनी चाहिए उतनी पूरी दे दी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र ।

श्री रामचन्द्र : कितनी लम्बी नहरें बन चुकी हैं, कितनी लागत लगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहरों की लागत अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री रामचन्द्र : यह बांध कितना बन चुका है, तीन–चौथाई या एक चौथाई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जबाब दिया कि ५० प्रतिशत बन चुका है ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या सुपरवाइज़िंग इन्जीनियर अन्डर सस्पेन्शन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग सवाल है और अलग से पूछिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह ।

मेला शरद से नगरपालिका धौलपुर को को आय

३६४. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नगरपालिका, धौलपुर को मेला शरद से इस वर्ष क्या आय हुई ?

(ख) मेला शरद की वृद्धि और धौलपुर नगर की वृद्धि के लिये इस आय का कितना अंश व्यय किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप स्वायत शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) इस वर्ष २८,७५६ रुपये की आय हुई ।

(ख) मेले की समस्त आय धौलपुर नगरपालिका की वृद्धि के लिए ही खर्च की जाती है । आवश्यकतानुसार मेले की वृद्धि में भी खर्च होती है ।

श्री बहादुरसिंह : इसके लिए कोई योजना बनाई है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : काहे की योजना ?

श्री बहादुरसिंह : खर्च करने की ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : म्युनिसिपेलिटी बनायेगी । मेले की वृद्धि के लिए भी रकम रखी जाती है और बकाया म्युनिसिपैलिटी के लिए काम आती है ।

श्री बहादुरसिंह : मेले की जमीन को सुधारने के लिए और उसमें वृद्धि करने के लिये उसको दी है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपेलिटी जब चाहे तब खर्च कर सकती है ।

श्री बहादुरसिंह : क्या म्युनिसिपेलिटी गवर्नमेंट के अन्डर में नहीं है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अन्डर में नहीं है ।

(हंसी)

श्री बहादुरसिंह : चार हजार रुपया ही इसके लिए क्यों रखा है, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपेलिटी रुपया लेती है और वही खर्च करती है । जैसा आपको कहा गया है कि मेले की वृद्धि के लिए चार हजार रुपयों का बजट है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

नोगजा पहाड़ी (त.टोंक) के वन को वन विभाग के अधीन लेना

३६५.**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील टोंक में सोपरी ग्राम के पास नोगजा नाम की पहाड़ी है जो पहले जंगलात के अधीन नहीं थी, अब लेली गई है ?

(ख) क्या उस पहाड़ी पर पेड़ नहीं है ?

(ग) जंगलात की हद्दूद उस ग्राम से कितनी दूर है ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) बडे पेड़ नहीं हैं । झाड़ियां व छोटे पेड़ तो बहुत से हैं ।

(ग) करीब एक फर्लांग ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब कि पहाड़ी गांव से एक फर्लांग की ही दूरी पर है तो इसको जंगलात को लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बात यह है कि कुछ पहाड़ियां नंगी हैं और उन पर पेड़ नहीं है । हमारा यह इरादा है कि इन पहाड़ियों को हरा-भरा बनायें और उसके लिए एक तरीका है कि कुछ अर्से के लिए वे क्लोज़ कर दी

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जावेंगी और उससे कुछ पेडों की ग्रोथ होगी। ये जयपुर के पास की पहाडियां भी नंगी थीं लेकिन इनको भी क्लोज़ करके इस तरह से प्रिज़र्व रखा था; हरी-भरी हो गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हरा-भरा राजस्थान और पहाड़ियां हो जांय लेकिन एक तरफ तो आप हरा भरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांव को उजाड़ रहे हैं। गांव एक फर्लांग की दूरी पर ही है, वहां आबादी रहती है, लोगों को काफी असुविधा हो रही है; सुविधा देना तो सरकार का काम है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ अच्छा काम करने के लिए यदि कुछ असुविधा भी हो तो उसको सहन करना जरूरी हो जाता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या सरकार के ध्यान में है कि इन गांव के लोगों को दूसरी जगह आबाद कर देंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा : आबाद करने का सवाल नहीं है। दो-तीन साल में यह है, फिर खुला हो जायगा। मवेशियों की ग्रेज़िंग के लिए हो जायगा, आपकी मवेशियां तो वहां ग्रेज़िंग के लिए नहीं जावेंगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : एक फर्लांग पर ही है तो लोगों को बकरी, भेड़ें, गाय, बेल चरने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को बड़ी असुविधा होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित किया है, पूछा थोड़े ही है।

प्रश्न संख्या ३६६.

श्री शिवपतसिंह।

(अनुपस्थित)

राजस्थान में चल रहे समस्त राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड

३६७. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या सामुदायिक विकास योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड चल रहे हैं?

(ख) सन् ५७ में कितने एन. ई. एस. ब्लॉक्स को सी. डी. ब्लॉक्स में परिवर्तित किया गया व एन. ई. एस. ब्लॉक को सी. डी. ब्लॉक में परिवर्तित करने का सरकारी माप दंड क्या है?

(ग) क्या नोखा एन. ई. एस. ब्लॉक को सी. डी. ब्लॉक में परिवर्तित करने का सरकार विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

सामुदायिक योजना मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) कुल ५४ हैं।

(ख) राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड जो सन् १९५७ में सामुदायिक विकास खण्ड में परिवर्तित किये गये हैं वे कुल १४ हैं।

(ग) अक्टूबर १९५७ में नोखा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड को सामुदायिक विकास खंड में परिवर्तित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री गिरधारीलाल : आपने अक्टूबर ५५ में नोखा एन. इ. एस. ब्लॉक से सी. डी. में परिवर्तित किया है और जो आपने सूची दी है उससे स्पष्ट है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि नोखा को ५७ में किया गया।

Page No.14

श्री गिरधारीलाल : फिर सूची गलत हुई तो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सूची में ५७ ही हैं, ५१ नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजमल बापना।

सड़क से न जुड़ी हुई भीलवाड़ा जिले की तहसीलें

३६८. **श्री तेजमल बापना** (बनेड़ा) : Will the Public Works Minister be pleased to state:—

(1) What are the Tehsils in Bhilwara District which are not connecteed with road.

(2) Is it a fact that Kotadi is the only Tehsil now, which is not interlinked with the District Head quarter ?

(3) Is there a proposal for constructing this road ? If so, does the Govt. intend to take up this road next year ?

(4) If not, why ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (1) Gulabpura, Asind, Raipur, Kotri and Jahazpur.

(2) No.

(3) Yes, in 1960-61.

(4) Not possible.

(5) Work will be executed as per phasing approved in the plan.

श्री तेजमल बापना : क्या इनको जल्दी ही लेने की कोशिश करेंगे ? क्योंकि यह एक कोने में आ गया है और डिस्ट्रिक्ट के तहसील हैडक्वार्टर से दूर है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी पाच तहसीलें अन-कनेक्टेड रह जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी से कुछ काट कर जोड़ने का प्रश्न आयगा तो विचार कर लेंगे।

पदमपुर में एन. एन. राजवाहा की टेल पर किसी स्त्री की लाश पड़ी होने की सूचना

३६९. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर): क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या तारीख २३-८-५७ को किसी स्त्री की लाश एन. एन. राजवाहा की टेल पर पड़ी रहने की सूचना थाना पदमपुर में दी गई थी ? यदि हां, तो लाश वहां कब तक पड़ी रही ?

(ख) क्या यह सच है कि पुलिस पदमपुर ने लाश को पोस्टमॉर्टम करवाने या उसकी देखभाल में कई दिन तक कोहताई की ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त मामले की जांच करवाकर संबंधित अधिकारियों को सजा देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सूचना मिलते ही एस. एच. ओ. पदमपुर से हैडकान्स्टेबल मौके पर जांच करने के लिए भेजे गये। २३-८-५७ को डाक्टर के आने के इन्तज़ार में लाश वहां रही। डाक्टर छुट्टी पर थे, और उसी रोज वापिस आने को थे, किन्तु वे नहीं आये, इस लिए लाश को बैल गाड़ी में डालकर एक सिपाही के साथ गुलाबवाला अस्पताल में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

भेजा गया, लेकिन वहां भी डाक्टर नहीं मिला। इसके बाद लाश करणपुर अस्पताल में २६-८-५७ को ले जाई गई और वहां पर उसका पोस्ट मॉर्टम हुआ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मपाल : पोस्ट मॉर्टम का क्या रिज़ल्ट निकाला।

श्री दामोदरलाल व्यास : डॉक्टर को पता नहीं चला कि सबब वफात क्या थे ?

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि २ दिन तक लाश वहां पड़ी रही।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने पूरा विवरण दिया है, २४ तक डॉक्टर का इन्तजार किया उसके बाद वह नहीं आया तो २६ ता० को करणपुर में उसका पोस्ट मॉर्टम हुआ। सबब वफात का पता नहीं चला क्योंकि लाश बहुत डिकम्पोज़्ड कन्डीशन में थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : डॉक्टर को सबब वफात का पता नहीं चला या वह मजबूर किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मजबूर करने वाले पूछिये। सबब वफात का पता नहीं चला यह रिपोर्ट मेरे पास है।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या सरकार उन सरकारी अधिकारियों को दण्ड देगी ?

श्री पी. के. चौधरी : पोस्ट मॉर्टम....

श्री अध्यक्ष : Let the answer come first.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not heard the question, Sir.

श्री अध्यक्ष : आप वापस पूछिये।

श्रीमती सतवन्तकौर : जिन सरकारी कर्मचारियों ने यह जानबूझ कर किया है, सरकार ने उनके लिए क्या दण्ड रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या जानबूझकर किया है ?

श्री अध्यक्ष : डिले।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें मैंने अर्ज किया है कि इसमें डिले नहीं की गई। २३ की शाम को पता चला, पुलिस में उसकी रिपोर्ट पेश हुई, उसी वक्त सब-इन्सपेक्टर ने हैड कॉन्स्टेबल को मौके पर जांच करने के लिए भेज दिया। २४ तारीख तक डॉक्टर के इन्तजार में लाश रखी रही, क्योंकि डॉक्टर साहब रुख्सत से आने वाले थे, २४ तारीख को आये नहीं तो २५ तारीख को बैलगाड़ी में लाश रख कर शफाखाने को भेजी गई, वहां भी डॉक्टर नहीं मिला तो वहां से करणपुर को भेजी गई। यह सब काम स्पीड से किया गया।

श्री पी. के. चौधरी : पोस्ट मॉर्टम से यह पता लगा होगा कि डेड बोडी कब का है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बात की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ यह है कि डॉक्टर यह नहीं बता सका कि इसका सबब-मौत क्या है। वह लाश बहुत ही डिकम्पोज़्ड और बड़ी ही म्युटिलियेटेड कन्डीशन में थी।

Page No.16

श्री पी. के. चौधरी : पोस्ट मॉर्टम का प्रोसीजर है कि डेड बोडी कब का है, वह रिपोर्ट करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं भी यह जानता हूं कि वे देते हैं, I did not deny that; but that report is not with me at the moment.

सन् १९५६ में खरीदी गई एम्बुलेन्स गाड़ियां व एक्सरे का सामान

३७०. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Medical & Health Minister be pleased to state:

(a) From which firm Ambulance cars and X ray equipments were purchased in 1956 ?

(b) Was any committee for the selection and approval of these articles constituted ? If so, what was its personnel ?

(c) Were tenders invited after deciding makes, types etc. ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (ए) सन् १९५६ में रोगीवाहन (एम्बुलेन्स-कार) मेसर्स कमल एन्ड कम्पनी, मिर्जा इस्माइल रोड, जयपुर, से क्रय किये गये थे तथा निम्नलिखित फर्मों से एक्सरे का सामान क्रय किया गया था :

१. मेसर्स ईस्ट एशिया कम्पनी (प्राइवेट) लि०, न्यू देहली।

२. मेसर्स एक्सरे इलेक्ट्रो मेडिकल्स, बम्बई।

३. मेसर्स फिलिप्स इलेक्ट्रिक्स कम्पनी, बम्बई।

(बी) जी हां। सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं:—

डा० कवासजी, डा० कहाली, डा० सरीन, सुपिन्टेन्डेट श्री बी० पी० भार्गव एकाउन्ट्स ऑफिसर, डा० मिसेज एम० एक्वीनो और श्री बी. एम. शर्मा, सेक्रेटरी, स्टोर्स परचेज़ ऑर्गेनाइज़ेशन।

(सी) जी हां। फर्मों से कोटेशन लिये गये थे।

श्री पी० के० चौधरी : क्या कमल एन्ड कम्पनी हैबिचुअल डीलर हैं एम्बुलेन्स कार और एक्सरे की मशीनों में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Not X-Ray machines but Ambulance machines were purchsed from it.

श्री श्रीभानसिंह : एक्सरे की मशीनों के स्पेसिफिकेशन और मेक अप डिसाइड कर लिये गये थे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री श्रीभानसिंह : आपने टेन्डर्स इन्वाइट किये थे, उनके अन्दर स्पेसिफिकेशन दिये गये थे क्या कि गवर्नमेंट इस टाइप और इस मेक की एक्सरे की मशीनें चाहती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं। वे एक्सरे की मशीनें खरीदी गई थी, उनमें दिया गया था कि एक्सरे की मशीनें चाहिए। यदि किसी के पास हों तो सप्लाई कर दें।

श्री श्रीभानसिंह : क्या मेक ऑफ एक्सरे मशीन्स और टाइप डिसाइड किया गया था कि इस मेक के लिए टेन्डर्स इन्वाइट किये जावें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे खयाल से कोई मेक डिसाइड नहीं हुआ था, मैं तहकीक अभी नहीं बता सकता।

श्री पी० के० चौधरी : स्पेसिफिकेशन पहले प्रेस्काइब किये जाते हैं तब टेन्डर्स कॉल किये जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्सरे की मशीन बनाने वाली वर्ल्ड में २-३ कम्पनियां हैं उनके जो रिकग्नाइज़्ड रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ थे उनसे पूछा गया था कि तुम्हारे पास मौजूद हो तो सप्लाई करो।

श्री श्रीभानसिंह : टेन्डर्स किस बैसिस पर दिये गये थे ? क्या एक्सरे मशीन of any make and any type......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनके रिक्ग्नाइज़्ड रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ हैं वर्ल्ड के मेन्युफेक्चरर्स के, उनसे पूछा गया था कि कौन कौन मशीनें हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : वर्ल्ड में जापानी और जर्मनी भी आते हैं। कौन से मेक की प्रेस्क्राइब की गई थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मेरे खयाल से जर्मन मेक की हैं। डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं कि उन एक्सरे की मशीनों के नाम क्या थे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या जो एक्सरे की मशीनें खरीदी गई थीं वे डिफ्रेन्ट टाइप्स और डिफ्रेन्ट मेक्स की हैं और डिफ्रेन्ट डीलर्स से खरीदी गई थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सवाल अलग है। मेरे खयाल से इससे कवर नहीं होता है।

श्री श्रीभानसिंह : कवर होता है "were tenders invited after deciding makes, types, etc ?" किस मेक और किस टाइप की हैं ?

श्री अध्यक्ष : टेन्डर्स में मेक और टाइप दिया या नहीं, क्या उत्तर है, स्पष्ट कहें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिक्ग्नाइज़्ड रिप्रेज़ेन्टेटिव के आधार पर उनसे कोटेशन लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : That is not the answer. टाइप, मेक तय नहीं किया आपने ?

श्री पी० के० चौधरी : क्या माननीय मंत्री जी जवाब देंगे कि एम्बुलेन्स में हाइएस्ट कोटेशन किसके थे और लोएस्ट कोटेशन किस फर्म के थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एम्बुलेन्स जो खरीदी गई थीं वे गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के डी० जी० एस० डी० के प्राइसेज़ पर खरीदी गई थीं, जो कि बेस्ट एवेलेबल थीं।

श्री पी० के० चौधरी : मैंने यह पूछा है कि टेन्डर्स में हाइएस्ट और लोएस्ट कोटेशन किसके थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खरीदे गये थे एक ही कम्पनी से और एक ही कोटेशन थे और टेन्डर्स आये थे वे दूसरे मेक के थे।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इन एक्सरे की मशीनों के लिए दूसरी फर्मों ने अपने कोटेशन भेज दिये ?

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

टोडगढ़ क्षेत्र (तहसील ब्यावर) के निजी बनों को सरकार द्वारा लेने पर मुआवजा

३७१. **श्री नारायणसिंह** (मसूदा) : Will the Forest Minister be pleased to state:—

(श्री नारायणसिंह)

(a) Is it a fact that compensation to people or Shamlats of Todgarh area in Beawar Tehsil for their private forests acquired by the former Ajmer Government has not been paid so far?

(2) When is the Government going to pay this compensation?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (a) Yes, Sir.

(b) The case is under examination of the Government.

श्री नारायणसिंह (मसूदा) When were these forests in the Todgarh area first acquired?

श्री नाथूराम मिर्धा: I think they were acquired in the year 1951-52.

श्री नारायणसिंह: What is the reason for the delay in deciding their compensation?

श्री नाथूराम मिर्धा: Previously some old papers were not traceable.

श्री नारायणसिंह: Has the compensation been provided for in the Budget?

श्री नाथूराभ मिर्धा: Yes, there is a provision.

श्री नारायणसिंह: When it is thought that the compensation will be possible to be given to them in this year of scarcity?

श्री नाथूराम मिर्धा: I think we will be able to give them this year.

फतहपुर गौशाला को बीड़ दिये जाने पर आन्दोलन में गिरफ्तारियां

३७२. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

फतहपुर तहसील में बीड़ को गोशाला को दिये जाने के विरोध में किये गये आन्दोलनों में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा उनमें से कितनों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया व कितनों को सजा दी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में): इस सम्बन्ध में ८६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और सबों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये थे। इनमें से ८८ व्यक्तियों को सजा दी गई है!

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: यह जो जमीन दी गई है वह जहां गौशाला है उससे जितनी दूरी पर दी गई है?

श्री दामोदरलाल व्यास: जहां गौशाला है उससे कितनी दूरी पर दी गई है, यह मेरे पास इन्फोर्मेशन नहीं है, आप अलग से प्रश्न पूछियेगा।

श्री मोहरसिंह: क्या यह जो जमीन दी गई है तो गौशाला की गायों को जो गांव का बीड़ था उसमें चराने का हुक्म नहीं था कि जिसकी वजह से न्यारी जमीन उनको देनी पड़ी?

श्री दामोदरलाल व्यास: गौशाला को ग्रीन फोडर पैदा करने के लिए यह जमीन दी गई है।

श्री मोहरसिंह: कितने बीघा जमीन दी गई है इस बीड़ में से?

श्री दामोदरलाल व्यास : करीब ५३७ बीघा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो गांव वालों ने आन्दोलन क्यों किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गलती से किसी के बहकाने से और बरगलाने से।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह आन्दोलन इसलिए हुआ था कि जो जमीन दी गई है गौशाला को वह गांव वालों की जमीन थी वह उनको दे दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां चराई के लिए काफी जमीन है और जो वहां पर मवेशियों की तादाद है उससे दुगुनी और तिगुनी जमीन वहां पर मौजूद है। जो जमीन दी गई है वह गौशाला को ठीक दी गई थी। लोगों के बरगलाने से गांव वालों ने एजीटेशन किया और बाद में उन्होंने अपनी गलती महसूस कर ली है।

श्री किशनाराम : मौजूदा में गौशाला के पास १०० बीघा बीड़ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं समझ सका।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गौशाला के स्वयं के पास इतनी जमीन थी कि उसको भी काश्त नहीं कर सकते हैं तो फिर वह क्यों दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है कि गोशाला के पास इतनी जमीन पड़त पड़ी हुई है। मुझे जो इत्तिला मिली है वह यह है कि गोशाला को आवश्यकता थी ग्रीन फोडर पैदा करने के लिए और इसको वे उपयोग में ला रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह तो सरकार उस समय पता लगाती कि जमीन की आवश्यकता है या नहीं और कितनी जमीन उनके पास है, जिस पर वे काश्त कर सकते हैं तो फिर यह क्यों दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इस तरह के सवाल पूछते हैं जिनकी इन्फोर्मेशन देना कठिन हो जाता है। प्रश्न कुछ और है और सप्लीमेन्ट्री कुछ और कर रहे हैं।

श्री मोडूलाल : क्या आपको यह मालूम नहीं करना चाहिये था कि गौशाला के पास कितनी जमीन पड़ी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सब मालूम करके ही तो बताया है, सही काम के लिये बरती गई है।

श्री मोडूलाल : सही काम आपकी दृष्टि से हो सकता है। जब काफी जमीन पड़ी थी तो बीड़ में से कैसे दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूरत के माफिक दी।

श्री अर्जुनदास : Has the Government got any information in writing as to who instigated that agitation ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Action has been taken against those who participated in that agitation.

श्री अर्जुनदास : I am asking about those who instigated.

श्री अध्यक्ष : He says action has already been taken.

श्री अर्जुनदास : Against those who took part in it...

श्री अध्यक्ष : As well as those who instigated.

श्री दामोदरलाल व्यास : You (श्री अर्जुनदास से) know it better.

गंगापुर हिन्डोन रोड की प्रथम माइल में टार पेन्टिंग

३७३. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को मालूम है कि गंगापुर हिन्डौन रोड की पहली माइल में करीबन १०० फुट में ही टार पेन्टिंग होते होते अधूरा रह गया है ?

(२) क्या यह सच है कि कीमती मैटीरियल साइड पर दो साल से बेकार पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) अब कब तक टार पेन्टिंग पूरा हो जाने की आशा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इंजन के अभाव में।

(२) कुछ मिट्टी और डामर टार पेन्टिंग कराने के लिये इकट्ठा है।

(३) इस वर्ष के अन्त तक पूरा होने की आशा है।

(दिनांक ४ नवम्बर, १९५७, का स्थगित प्रश्न)

हिन्दूमल कोट से रायसिंह नगर की सड़क में आई हुई किसानों की भूमि का मुआवजा

२१३. **श्रीमती सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

हिन्दूमल कोट से रायसिंह नगर तक जो सड़क गंगानगर-पदमपुर होती हुई जाती है उस सड़क में कितनी सरकारी और कितनी किसानों की भूमि आई है तथा उसमें से कितनी भूमि का मुआवजा किसानों को अदा कर दिया गया है, एवं जिनको आज तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है वह कब अदा किया जायगा और आज तक मुआवजा न देने के कारण उन्हें जो नुक्सान हुआ है उसके बदले में क्या सरकार कुछ और मुआवजा देने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) यह सड़क अधिकतर सरकारी आम रास्ते पर बनी हुई है और किसानों की जो जमीन इस में आई है उसका विवरण राजस्व विभाग से अभी प्राप्त नही हुआ है।

(ख) अभी तक कोई मुआवजे की रकम राजस्व विभाग द्वारा निर्णय होकर सूचित नहीं की गई है।

(ग) मुआवजे की रकमें राजस्व विभाग द्वारा जिस प्रकार तय होंगी अदा कर दी जायंगी।

श्रीमती सतवन्तकौर : कब तक की जायंगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तय होकर आयेगा तब करेंगे।

(दिनांक १३ नवम्बर, १९५७ का स्थगित प्रश्न)

२१४. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल की अनुपस्थिति में):

क्या मंत्री, बिजली विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) पिछले एक वर्ष में किशनगढ़ पॉवर हाउस के कितने कर्मचारी ड्युटी पर काम करते हुए जान से मारे गये ?

(२) उक्त मृत कर्मचारियों के परिवार वालों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि छोटूदास, हैल्पर भी ड्युटी पर काम करते हुए मौत का शिकार हुआ ?

(४) यदि हां, तो कब और किन कारणों से ?

(५) क्या यह सही है कि छोटूदास तारीख ३ जून, सन १९५७ को भी ड्यूटी पर काम करते हुए बिजली के करेन्ट से घायल हुआ था ?

(६) यदि हां, तो उसमें अपराध किसका था और लाइन पर काम करते हुए पॉवर हाउस को क्यों चालू रखा गया और पॉवर हाउस को चालू करने की जिम्मेदारी किस की थी ?

(७) छोटूदास के घायल होने व मृत्यु के लिये कौन कौन अपराधी हैं ? उनके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(८) क्या यह सही है कि डॉक्टरी राय छोटूदास को आराम देने की थी ? यदि हां, तो उसको काम पर क्यों लगाया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (कृषि मंत्री, विद्युत मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) एक।

(२) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(३) जी हां।

(४) १० अगस्त, १९५७ को सुबह ३ बजे। श्री छोटूदास, हैल्पर ता. ९-८-५७ को लाइन पर काम करने गये, वह पोल पर चढ़े। जिस तार को वह खींच रहे थे वह उनके हाथ से स्लिप हो गया। उनके साथी उनको तार पकड़ाने गये। इसी समय वह अपनी सीट बदलते से दिखाई दिये और फिर गिर पड़े। यह वाका दिन के ३ बजे के करीब का था। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां १२ घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई।

(५) तारीख ३ जून, १९५७ को लाइन पर काम करते हुए करेन्ट के झटके से श्री छोटूदास खम्भे से गिरे थे और उनको बैक-इन्जरी हुई थी ?

(६) श्री छोटूदास लाइन पर काम करने गये। पहले वह पाइप वगैरह ठीक करने में लगे रहे और इस काम में करीब बारह बज गये। वह क्या काम कर रहे थे इसकी इत्तला उन्होंने नहीं दी थी। जब वह पोल पर चढ़ने लगे तो उन्होंने पॉवर हाउस के दफ्तर में टेलीफोन किया कि वह लाइन पर काम चालू कर रहे थे, वही समय पॉवर हाउस चालू करने का था। दफ्तर से पॉवर हाउस करीब १०० फुट पर है। जितने में दफ्तर से आदमी जाकर पॉवर हाउस में इतला करे, पॉवर हाउस चालू कर दिया गया और उस समय श्री छोटूदास भी पोल पर चढ़ गये। पॉवर हाउस इत्तला मिलते ही दो सेकन्ड में बंद कर दिया गया मगर इस अर्से में श्री छोटूदास को एक माइल्ड शोक लग चुका था। उन्होंने उतरने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की कोशिश की मगर खतरे से घबरा कर वह गिर पड़े और उनको बैक में चोट आई। उनको फर्स्ट एड दी जाने के बाद अस्पताल ले जाया गया जहां से उन्हें ६ रोज बाद बिल्कुल ठीक हो जाने पर ड्युटी रिज़्यूम करने की इजाजत दी गई।

(७) मृत्यु आकस्मिक कारणों से हुई। किसी पर जिम्मेदारी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। पहली घटना की जो सूचना प्राप्त हुई उससे यही प्रतीत होता है कि टाइम पर खबर न देने से ही यह एक्सीडेन्ट हुआ। विभागीय जांच हो रही है।

(८) कोई डाक्टरी राय हल्का काम या आराम देने की नहीं प्राप्त हुई।

श्री पी. के. चौधरी : क्या छोटूदास ने पॉवर हाउस वर्किंग रूल्स के मुताबिक काम किया था या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस आदमी की एक्सीडेन्ट से मृत्यु हुई उसने रूल्स के मुताबिक काम नहीं किया। पहले उनको सूचना देनी थी कि मुझे काम करना है इसलिये पॉवर हाउस मत खोलना। बाद में जो सूचना दी गई वह समय पर पहुंची नहीं और पॉवर हाउस ठीक समय पर चालू हो गया।

श्री पी. के. चौधरी : उनके रूल्स होते हैं लाइन पर काम करने के उसके मुताबिक सूचना कहां देते हैं, वहां दी या नहीं। Did he inform at the proper place where he was supposed to inform ?

श्री नाथूराम मिर्धा : No proper information was given.

श्री पी. के. चौधरी : यह बात नहीं है। वर्किंग रूल्स के माफिक पॉवर हाउस में इत्तला नहीं दी जाती है। औथोराइज्ड सुपर्वाइज़र को इत्तला देते हैं, उनको इत्तला करके काम पर गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स के मुताबिक काम करता तो यह बात होती भी नहीं।

श्री पी. के. चौधरी : यह तो आप कंडीनशल बात कह रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि २ जून को सुपरिन्टेन्डेन्ट को उसने इत्तला दी थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी इत्तला नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ६ अगस्त को छोटूदास की मृत्यु हुई, क्या वह हाई टेन्शन तार की वजह से हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी सूचना नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या जांच कर सकते हैं कि दो दफे पॉवर हाउस में चलने से आदमी गिरा है उसके लिये जिम्मेवार कौन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें जांच की कोई बात नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या सेफ्टी मेज़र्स पॉवर हाउस को फोलो करने चाहिये, to prevent such sort of accidents ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर फोलो करने चाहिये।

श्री पी. के. चौधरी : क्या आपने कभी इसे चैक किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक किसी की शिकायत नहीं आती तब तक चैक करने की कोई बात नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एक आदमी मर जाता है फिर भी कहते हैं कि शिकायत नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इतना बड़ा राजस्थान है उसमें एक आदमी मर सकता है। वैसे मोटर एक्सीडेन्ट से भी कोई व्यक्ति मर सकता है। फिर भी इसकी जांच की जा रही है, कोई जिम्मेदार होगा तो कार्यवाही की जायगी।

(दिनांक १४ नवम्बर, १९५७ का स्थगित प्रश्न)

पंजाब की एक बस का बीकानेर में रजिस्ट्रेशन

२३५. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या यातायात मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रजिस्ट्रिग ऑथोरिटी, बीकानेर द्वारा पंजाब से आई हुई एक बस को आर. जे. एफ. ९९५ पर रजिस्टर किया गया है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त गाड़ी जब पंजाब से आई थी तब २५ सीटों की पास थी परन्तु राजस्थान में उसे १९ सीटों की ही पास की है ? पंजाब के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो बीकानेर रजिस्ट्रिग ऑथोरिटी के कार्यालय में जमा हैं उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें !

(ग) मैकेनिकल इन्सपेक्टर, बीकानेर ने गाड़ी को कितने सीटों की पास करने की पोर्ट की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब आया नहीं है।

भरतपुर शहर में वहां के निवासियों व संस्थाओं द्वारा विद्युत विभाग को देय धन-राशि

३४२. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Power be pleased to state:—

(a) What are the total outstanding dues a/c of Electric Department against individuals and institutions in Bharatpur City ? Please give their names and the period.

(b) What steps has the Government taken to recover them and against defaulters what recovery proceedings have been started and when ?

श्री नाथूराम मिर्धा : (क) संलग्न तालिका देखिये।

(ख) प्रश्न (क) के उत्तर में संलग्न तालिका देखिये।

(तालिका अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, Sir, Atleast I am unable to read anything from this typed note. Unless I do that, it is not possible for me to ask any supplementary questions. It is not my fault.

श्री अध्यक्ष : You decipher it in your leisure.

श्री श्रीभानसिंह : It cannot be deciphered.

श्री नाथूराम मिर्धा : इतनी लंबी लिस्ट है कि उसे बनाने और टाइप कराने में भी जोर पड़ा। अब पढ़ने में तो थोड़ा कष्ट होगा ही।

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट है तो वही, जो चाही गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

कोटा किले के समीप चम्बल में गिरने वाले सती दाहरा नाला पर बनाया गया पुल

३४५. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) Is it correct that the bund built across Sati Dahara Nala at the point where it falls in to Chambal near Kotah fort was washed away during the Monsoon of 1956?

(b) Is it also correct that the bund was built by damping stones and boulders accross the Nala and no cement plastering was done on it as required under the original designs for the bund as well as under the terms of contract?

(c) What is the estimated loss incurred by the Government on account of washing away of this dam?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(a) No bund was constructed. Only an embankment of loose stones was built across Sajidera Nala at the point where it falls into Chambal near Kota aud a part of it slipped down during the Monsoon of 1556.

(b) The specification for the embankment provided dumping of stones and boulders across the Nalah and no cement plastering was required to be done either under the original design or the terms of the contract.

(c) No loss has occured as washing-away has only transported these stones nearer to the barrage where they are to be used.

श्री पी० के० चौधरी : Was it a part of the Bund or the entire bund which had been washed away?

श्री भीखाभाई : सुनाई नहीं दिया।

श्री पी० के० चौधरी : पार्ट स्लिप्ड डाउन हो गया या जो बांध बना था, वह बह गया है?

श्री भीखाभाई : कोई बांध नहीं बना था, एक एम्बेंकमेंट बना था, वह इसलिए बनाया था क्योंकि मलवा वगैरह ले जाना था। इसके बह जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री पी. के. चौधरी : इसका कॉन्ट्रेक्ट कितने रुपया का था?

श्री भीखाभाई : इसकी इत्तला नहीं है। इसके लिए अलग से सवाल पूछें। आपने एम्बेंकमेंट के लिए पूछा है, वह जिस योजना से सम्बन्धित है, वह योजना हाई ब्रिज की है। माननीय सदस्य के दिमाग में वह बात रह गई होगी।

श्री श्रीभानसिंह : Was the slip deliberate ?

श्री भीखाभाई : It was due to excess of rains.

श्री पी. के. चौधरी : क्या सरकार के पास यह समाचार नहीं है कि जो एम्बेंकमेंट है, वह टूट नहीं गया है :

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : टूटा नहीं है, बह गया है ।

(सी)

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that this embankment crossed the outlet of water coming from the hinterlands ?

और बाहर से पानी आता है, उसका रास्ता रोका गया था एम्बेंकमेंट से ?

श्री भीखाभाई : समझा नहीं, सवाल का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : जो नदी का पानी आता था, उसको एम्बेंकमेंट से रोका गया था ?

श्री भीखाभाई : नदी का पानी रोकने के लिए नहीं था, नाले का पानी रोका था ।

श्री पी. के. चौधरी : नाले के पानी का कहीं से रास्ता रोका था ?

श्री भीखाभाई : रोका था ।

श्री पी. के. चौधरी : कहां पर रोका गया था ?

श्री भीखाभाई : नाले का रास्ता रोका गया था ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि किशनपुरा के गांव डूब जाते थे, इसलिए २४ गांवों को नोटिस दिया था गांव खाली करने के लिए ?

श्री भीखाभाई : यह सूचना नहीं है । आप सूचना दे रहे हैं, इसकी जांच करवा लेंगे ।

प्रश्न संख्या ३४७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

एस. डी. ओ. सिंचाई, शाहपुरा के आधीन कोटड़ी के तालाबों की दशा

३४८. **श्री तेजमल बापना** (बनेड़ा) : Will the Minister for Irrigation reply :

(1) How many tanks of Khalsa and resumed jagirs of Tehsil Kotadi are in the possession of S. D. O. Irrigation, Shahpura and what is their condition ?

(2) Is it a fact that none of them has been repaired for the last 7 years ?

(1) Whether some of them are to be repaired in the next financial year ? If so, what is their order of priority ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(1) A list of tanks under the charge of S. D. O. Irrigation, Shahpura showing names with their present condition has been laid on the table of the House.

(2) All the tanks except Sha-

(श्री भीखाभाई)

nti-ka-Talab and Jeetiyas Tank have been repaired since 1951 ?

(3) Only annual repairs will be carried out during the next financial year as no major repairs are considered necessary at present.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(While the question was being answered):

श्री अर्जुनदास : I am so sorry, we cannot uunderstand.

श्री अध्यक्ष : He is doing his duty.

श्री अर्जुनदास : He is doing his best of powers, not duty, Sir.

श्री तेजमल बापना : क्या यह सही है कि कई तालाबों को छोड़ दिया है, कांकरोली आदि बड़े बड़े तालाबों को छोड़ दिया है, उनकी मरम्मत नहीं की गई है ?

श्री भीखाभाई : जिन तालाबों की जानकारी थी, उनकी सूचना दे रहा हूं ।

श्री तेजमल बापना : आप रोडया बास के तालाब के लिए कहें ? उसकी रिपेअर सन् १९५४ में हुई, उसकी क्या रिपोर्ट है ? उसका क्या रिज़ल्ट हुआ ?

श्री भीखाभाई : जो जमीन है, वह खराब है, उसमें पानी जज्ब हो जाता है ।

श्री तेजमल बापना : इसका क्या प्रबन्ध किया जा रहा है, जिससे पानी रोका जाय ?

श्री भीखाभाई : इन्जीनियर्स की राय लेकर जो काम करना है वह किया जायगा ।

श्री तेजमल बापना : क्या उस जगह के इन्जीनियर्स ने देखा है या नहीं ? आगे कब तक देखने की उम्मीद है ?

श्री भीखाभाई : जरूर देखा गया है। अगर नहीं देखा है तो जल्दी देखेंगे और उनकी राय के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या ३४९

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ३५१, डा० चन्द्रकला ।

श्री पी. के. चौधरी : This question may be replied.

गत वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई योजना के लक्ष्य की सफलता का अनुमान

३५१. **श्री पी. के. चौधरी** (डा० चंद्र कला की अनुपस्थिति में) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५६–५७ में छोटी सिंचाई योजना (माइनर इर्रिगेशन वर्क्स) का जो निर्धारित लक्ष्य था, उनमें से कितना पूरा हुआ और कितना बाकी रहा ?

(ख) उक्त समय में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने कितने कुओं पर काम किया और उसमें से कितने सफल हुए ?

(ग) छोटी सिंचाई योजना के लिए १९५७–५८ के लिये जो धन-राशि निश्चित की हुई है उसका जिलेवार बंटवारा किस आधार पर किया गया है ? क्या कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनके हिस्से में इसमें से कुछ नहीं आया है ? यदि हां, तो वे जिले कौन कौन से हैं और उन्हें कुछ भी ग्रान्ट या लोन क्यों नहीं मिला ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(श्री भीखाभाई)

(क) सन् १६५६–५७ में सिंचाई विभाग को माइनर इर्रिगेशन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य में से ६० प्रतिशत पूरा हुआ और ४० प्रतिशत बाकी रहा।

(ख) सन् १६५६–५७ में अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने ६२८ कुओं पर काम किया और सभी सफल रहे।

(ग) छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए धन-राशि का बंटवारा जिलेवार नहीं किया जाता है परन्तु योजनाओं के लिए उचित स्थान तथा कृषि योग्य भूमि व अन्य टेक्नीकल बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसी कारण कुछ जिले ऐसे भी हैं कि जिनके हिस्से में इस साल छोटी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत कुछ नहीं आया है। उनके नाम निम्नलिखित हैं :

(१) बीकानेर, (२) गंगानगर, (३) झुंझुनू, (४) चुरू, (५) जालौर, (६) डूंगरपुर।

प्रश्न संख्या ३५४

श्री अध्यक्ष : श्री सुगनचन्द जैन।

राणा प्रतापसागर बांध के निर्माण कार्य का प्रारम्भ एवं उसकी समाप्ति

३५४. श्री तेजमल बापना (श्री सुगन चन्द की ओर से): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राणा प्रतापसागर बांध का कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक पूर्ण होने की योजना है ?

(२) इस बांध से कितनी बिजली पैदा होगी और कहां २ तक किस रास्ते से सप्लाई की जावेगी ?

(३) क्या इसकी सर्वे पूरी हो चुकी है ? इस बांध से कौन कौन से गांव डूबेंगे, इसका पानी कहां तक जावेगा ?

(४) जो गांव डूबेंगे, उनका मुआवजा कब तक दिया जावेगा ? क्या मुआवजा कमेटी के जरिये तय होगा ? यदि हां, तो उक्त कमेटी के कौन कौन सदस्य होंगे ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) राणा प्रतापसागर बांध का कार्य भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद शुरू होगा और शुरू होने के बाद सात साल में कार्य के पूरे होने की योजना है।

(२) इस बांध से ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा होगी और इसकी सप्लाई अजमेर, कुचामन रोड, अलवर, डीग, भरतपुर तथा धौलपुर तक जावेगी। लाइनों के रास्ते निम्न हैं :

१३२ के. वी. लाइनः नीमच से जावर माइन्स वाया उदयपुर।

६६ के. वी. लाइनः नीमच से भीलवाड़ा वाया चित्तौड़गढ़।

६६ के. वी. लाइनः जयपुर से राजगढ़, जिला अलवर।

(३) हां। डूब में आने वाले ५१ गावों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। इसके पानी का फैलाव पीछे की तरफ ग्राम बागपुरा तक जावेगा।

(४) मुआवजा काम शुरू होने के बाद दिया जायेगा। मुआवजा लेन्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत नियुक्त अफसरों द्वारा तय किया जावेगा।

Page No.28

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह बतायेंगे कि बिजली की लाइन राणाप्रताप सागर से जयपुर से राजगढ़ तक जावेगी, वह किस तरफ आयेगी ?

श्री भीखाभाई : उनियारा होकर आयेगी ।

(हंसी)

श्री तेजमल बापना : भारत सरकार से कब तक स्वीकृति आने की उम्मीद है और कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है ?

श्री भीखाभाई : इस बजट में हमने प्रावधान रख दिया है, मेरे ख्याल से स्वीकृति जल्दी ही आ जायेगी ।

श्री तेजमल बापना : बजट में हर साल प्रावधान रखा जाता है, आप यह बतायें कि कब काम शुरू हो जायेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) **:** प्रोजेक्ट की दोनों साइड की रिपोर्ट तैयार करके प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज दी है, वहां से स्वीकृति आने के बाद काम शुरू हो जायेगा ।

श्री तेजमल बापना : यह कब तक आ जायेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो प्लानिंग डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है । गाडगिल कमेटी की रिकमन्डेशन थी कि राणा प्रतापसागर का काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाये ।

श्री जनार्दनराय नागर : सन् १९५८ तक उदयपुर में बिजली नहीं आयेगी !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सन् १९५८ तक कहीं नहीं मिलेगी ।

प्रश्न संख्या ३५८

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हरिजनों हेतु गृह निर्माण योजना

३५८. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) **:** क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों तथा सामुदायिक विकास खंडों में हरिजनों के लिए गृह निर्माण की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो कहां कहां के लिये व (जिले में) कितनी धन राशि अब तक खर्च की गई है ?

(ग) कहां कहां पर उपरोक्त कार्य चालू हैं व कहां कहाँ के प्रार्थना-पत्र अभी विचाराधीन हैं ?

विकास मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) **:** (क) केवल हरिजनों के लिए कोई अलग योजना नहीं है ।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री अध्यक्ष : श्री शिवपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

१०. ८ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित

(श्री अध्यक्ष)

सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय के लिए जो कि उनके नाम के आगे निर्देशित है, अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है :

१. श्री आनन्दसिंह कछवाहा-१८ नवम्बर से २० नवम्बर तक ।

२. श्री पुरुषोत्तमलाल–१९ नवम्बर के लिए ।

३. डा० चन्द्रकला १९ व २० नवम्बर के लिए ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

पाठ्य पुस्तकों विषयक मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

मुख्य मंत्री की तरफ से पाठ्य पुस्तकों के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए दिन रखा गया था, लेकिन इस विषय पर आज एक नॉन ऑफिशियल रिज़ोल्युशन है, इसलिए रिपीटीशन न हो इसलिए यह स्टेटमेंट भी जवाब के समय दे दें, ताकि डिबेट में जो दूसरे सदस्य हिस्सा लें उनको भी उत्तर मिल सके ।

१०. ९ म० प०

राजस्थान राजस्व विधि (विस्तारी) विधेयक, १९५७

(पारित)

अध्यक्ष : Now legislative business. Section 15 of Rajasthan Revenue laws (Extention) Bill. 1957

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व अध्यक्ष महोदय, कल इस बिल पर जब बहस हो रही थी तो सेक्शन १५ पर बालोतरा से आये हुए माननीय सदस्य ने....

श्री मोहरसिंह : कौन से सेक्शन में ?

श्री अध्यक्ष : सेक्शन १५ में, शिड्यल १, पार्ट ए ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कल सेक्शन १५ पर बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अमेंडमेंट रखा था और विरोधी दल के माननीय सदस्य ने ऐसे विचार व्यक्त किये कि इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, खातेदार और काश्तकारों में और जो खुद काश्त और लैंड होल्डर होते हैं, उनसे डिस्क्रीमिनेशन होता है । उनका विचार है कि पर्सनल कल्टीवेशन की जो अमेंडेड डेफीनिशन है, वह सिर्फ खुदकाश्त होल्डर पर एप्लाई होती है, खातेदार–काश्तकारों का जहां प्रश्न पैदा होता है, उन पर पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन एप्लाई नही होती । मैंने अर्ज किया था कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन को खातेदार काश्तकारों के ऊपर एप्लाई करने का सवाल होता है, तो उनके ऊपर भी एप्लाई होगी, जिस तरह से खुद काश्त पर एप्लाई होगी । हमारी मन्शा है कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन के एप्लीकेशन में खुदकाश्त और खातेदार में डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए और न डिस्क्रीमिनेशन करने की इच्छा है । मैंने जैसा अर्ज किया था कुछ शुबहा रह जाता है । मैं फिर माननीय सदस्य को अर्ज करता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट का प्रश्न है, उसकी नीति स्पष्ट है, इस डेफीनिशन को दोनों पर एप्लाई करना है । फिर भी लॉ डिपार्टमेंट से एक्जामिन करा लेंगे और अगर अमेंडमेंट करने की, लैंड रेवेन्यू बिल या टिनेन्सी बिल में आवश्यकता हुई, तो वह संशोधन में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लाकर सदन में प्रस्तुत करूंगा । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि इसमें कोई डिस्क्रीमिनेशन करने का इरादा न तो था और न इरादा है और लॉ डिपार्टमेंट की राय लेने के पश्चात् आवश्यकता हुई तो अमेंडमेंट के रूप में सदन में प्रस्तुत करूंगा। मैं समझता हूं, इसके बाद माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट सेक्शन में रखा है, वह वापिस ले लेंगे ।

श्री अनूपसिंह (बालोत्तरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन सेक्शन १५ के प्रोविजो में रखा था उस पर माननीय मंत्रीजी ने काफी विचार करके कहा है कि गवर्नमेंट की ऐसी मंशा नहीं है कि इसका असर केवल खुदकाश्त पर ही डाला जाय । उन्होंने कहा कि इस प्रोविज़ो का जो असर है वह खुदकाश्त और खातेदारी दोनों पर पड़ेगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नही रहेगा । इसको सही मान कर, यह मानते हुए कि यहा सदन में कही हुई चीज है, उसमें किसी तरह का शक–शुबहा रखने की आवश्यकता नहीं और इस संशोधन को भी अब यहां रखने की आवश्यकता नहीं, इसलिये मुझे इसको विद्ड्रॉ करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि शिड्यूल १, पार्ट ए., सेक्शन १५ में जो संशोधन श्री अनूपसिंह प्रस्तुत किया है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री अनूपसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि शिड्यूल फर्स्ट और शिड्यूल सेकिन्ड विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

शिड्यूल फर्स्ट और शिड्यूल सेकिन्ड विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज १ व प्रिएम्बल ।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज १ व प्रिएम्बल विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ व प्रिएम्बल स्वीकार किये गये ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल, राजस्थान रेवेन्यू लॉज़ एक्स्टेन्शन बिल, १९५७, को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

१०. १५ म० प०

अशासकीय संकल्प

अब रिज़ोल्युशन; नम्बर १ । श्री गिरधारी लाल; श्री गिरधारीलाल का जवाब चल. चल रहा था !

(श्री गिरधारीलाल अनुपस्थित)

Should we put it to vote or he

(श्री अध्यक्ष)

does not press for it ?

श्री नाथूराम मिर्धा : 'हां-ना' करा लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री गिरधारीलाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(विराम)

संकल्प नं० २. श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

संकल्प संख्या ३; श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने सम्बन्धी संकल्प

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीय करण के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव इस प्रकार से है :

"राजस्थान विधान सभा यह अनुभव करती है कि सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति पूर्णतया असफल रही है, अतः यह प्रस्ताव करती है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति का अविलम्ब त्याग कर दिया जावे।"

जहां तक पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीकरण का प्रश्न है, इसको दो भागों में विभक्त किया जाना चाहिये, सैद्धान्तिक पहलू और व्यावहारिक पक्ष। मैं पहले व्यावहारिक पक्ष के बारे में बोलूंगा।

हमारी सरकार ने तय किया कि पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीकरण किया जाय और इसके अन्दर यह दलील थी, इसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में, कि पब्लिशर्स अनाप-शनाप पैसा विद्यार्थियों से वसूल करते हैं और पुस्तकों का चयन किया जाता है, इसके लिये टेक्स्ट बुक बोर्ड बनाया गया था। इससे ऊब कर सरकार ने विचार किया कि किसी प्रकार से बेईमानी नहीं हो सके, किसी को कहने का मौका नहीं मिले, उस मामले के अन्दर भी घोटाला न हो, अतः पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में एक कमेटी बनाने का और इस तरह राष्ट्रीयकरण करने की नीति को अपनाया। इसका व्यवहारिक पक्ष हमारे सामने आया है; जो धांधली प्रकाशकों की ओर से हुई थी उससे भी कहीं अधिक भार विद्यार्थियों के ऊपर पड़ा और पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीकरण की व्यवस्था में घोटाला हुआ। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि २-६-५४ को एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड, ३ अधिकारियों का बनाया कि कौनसी पुस्तकों को लेना है, किनका किस प्रकार प्रकाशन, डिस्ट्रिब्युशन करना है। पर बोर्ड को बनाने से पहले ही सुयोजित षड्यन्त्र की व्यवस्था यह की कि कमेटी ४ अधिकारियों की बैठी कि हमको नेशनेलाइज़ेशन करना है। इस कमेटी ने निर्णय कर लिया कि इन पुस्तकों का किस तरह प्रकाशन किया जाय। २-६-५४ को गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड बना, इसके पहले से ही ३ आदमियों का सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ था, एक सरकारी अधिकारी और मिला कर ४ की कमेटी बैठी। २८-५-५४ को वे लोग मिलते हैं और सिलेक्शन बोर्ड बनने से पहले ही तय करके अपने में से ३ सदस्यों का बोर्ड नियुक्त कर देते हैं कि किन किन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। जनवरी ५७ तक सरकार द्वारा कोई स्वीकृति नहीं दी गई, इसी कारण से कि डिपार्टमेंट्स में आपस में टसल चला और पुस्तकों के प्रकाशन, वितरण में

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

देरी हुई। कमेटी के चार सदस्य थे, उन्होंने मिल कर निर्णय ले लिया, इससे यह गड़बड़ी प्रारम्भ हुई। इसके बाद कमेटी बनी और पुस्तकों को किस प्रकार प्रिन्ट कराया जाय, यह प्रश्न आया। प्रकाशक लोगों को टेन्डर दिये गये और उसमें कुछ भी बातें स्पष्ट नहीं की गईं। राजस्थान सरकार कुछ पुस्तकें हमारे सदन के सामने नमूने के रूप में रखे कि किस प्रकार की अच्छी पुस्तकें हमने छपाई हैं ? प्रिंटिंग के लिये टेन्डर्स दिये गये, उनमें कमियें जान बूझ कर रखीं कि प्रकाशक अच्छी तरह प्रकाशन नहीं दे सके कि कितनी प्रतियों छपवानी हैं, कितनी मोटी लाइन होनी चाहिये, कितना स्पेस होना चाहिये, इस सम्बन्ध में टेन्डर में किसी प्रकार का निश्चित रूप से निर्देश नहीं दिया गया। कई फर्मों ने टेन्डर दिये; १४ फर्मों ने टेन्डर्स दिए। इनमें से ५ फर्मों ने, जो राजस्थान के बाहर की भी थीं और राजस्थान की भी थीं, उन्होंने, टेन्डर्स नहीं दिये। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम कोटेशन्स इसलिए नहीं भेज सकते हैं कि आपके टेन्डर्स बिलकुल ही इन्डेफिनिट हैं; क्योंकि उसके अन्दर कुछ भी नहीं लिखा है कि कितनी स्पेस छोड़ी जायेगी, किस साइज़ का प्रिन्ट होगा और कितनी कॉपियां छापी जायेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमने कोटेशन भेजा तो आप पास नहीं कर सकेंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, टेन्डर्स आए और टेन्डर्स की बात यह होती है कि जिसके टेन्डर्स सबसे कम आते हैं उसी को मंजूर किया जाता है। टेन्डर्स स्वीकार किए और स्वीकार करने में भी गड़बड़ियां हुईं। दिल्ली की एक फर्म, कपूर ब्रदर्स, ने टेन्डर दिया ६¾ पाई प्रति फॉर्म और यह रेट भी उस समय की है जब कि १० हजार से अधिक प्रतियां छपवाई जायं। लेकिन सरकार की जो दूसरी मर्जीपात्र प्रिन्टिंग प्रेसेज़ थीं जिनमें कि राजस्थान प्रिन्टर्स भी आता है, इसको, क्योंकि सरकार को टेन्डर देना था, इसलिए राजस्थान प्रिन्टर्स को बुलाया गया और जो उसने कोट किया था उसको कम करवाया गया और इतना कम करवाया गया जितना कि कपूर ब्रदर्स, दिल्ली ने दिया था। अब टेन्डर्स चूंकि सारे आये हुए सरकार के पास ही मौजूद रहते हैं; टेन्डर्स सब के देख लेने के बाद राजस्थान प्रिन्टर्स को बुलवाया गया और टेन्डर की रेट कम करवाई गई। उसके बाद में उनकी जो जनरल बुक्स थीं उनकी छपाई के लिए ६¾ पर फॉर्म दिया। यह भी इस पर दिया कि दस हजार से भी अधिक पुस्तकें छपवाई गईं और इस फर्म को इसलिए दिया कि कुछ सरकारी अधिकारी थे और क्योंकि यह फर्म उनकी कृपापात्र और मर्जीपात्र थी; लेकिन टेन्डर्स की रेट कम करवा कर उनको टेन्डर दे तो दिया गया, फिर भी जो फर्म ने रेट क्लोट की थी उसके उपरान्त जब किताबें छपकर आईं तो उनके छपकर आने के बाद में जो कवर पेपर था, उसके लिए उस फर्म ने कहा कि हमने अपने टेन्डर में इस कवर पेज के प्रिन्टिंग की रेट नहीं जोड़ी थी और इसके कारण से सरकार को और ४००० रुपये की अधिक सेंक्शन करनी पड़ी और उस फर्म को यह चार हजार रुपया और अधिक देना पड़ा। एक दूसरा कन्सीडरेशन इस फर्म के साथ और किया गया। वह यह था कि जो टेन्डर्स इन्वाइट किये थे उनमें लिखा था कि जो फर्म पुस्तकें छापेगी उसको ८ हजार की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन इस फर्म से केवल ५ हजार की ही सिक्योरिटी ली गई। हम विद्यार्थियों के समक्ष इन पुस्तकों

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

द्वारा एक आदर्श स्वरूप रखते हैं लेकिन जिस चीज की बुनयाद ही ऐसी हो तो उसके आगे का फल तो न जाने क्या होगा ? इसके अन्दर भी इस प्रकार का घोटाला सरकार ने प्रारम्भ में ही कर दिया । इसका जो सैद्धान्तिक पक्ष था वह तो दूर गया बल्कि व्यावहारिक पक्ष में भी कुछ अधिकारियों को गड़बड़ करनी थी और यह गड़बड़ इस प्रकार से की गई ।

इसके बाद पुस्तकों के वितरण का प्रश्न आता है । यह सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि आज तक भी पुस्तकों के वितरण का प्रश्न ठीक ढंग से सुलझा नहीं है । आज पुस्तकों के वितरण की समस्या इस प्रकार की बनी हुई है कि गांवों के अन्दर विद्यार्थियों के पास पुस्तकें नहीं हैं, गांवों के अन्दर इस प्रकार की स्थिति है कि पूर्ण रूप से पुस्तकें नहीं पहुँची हैं । पुस्तकों का जो डिस्ट्रिब्युशन कराया गया और जिन फर्मों को इसका जुम्मा दिया गया उसके अन्दर भी इसी प्रकार की गड़बड़ हुई जिस प्रकार की गड़बड़ और धांधली प्रिन्टिंग के अन्दर हुई थी । इसके लिए ७ कोटेशन्स मांगे गए । इसके अन्दर भी अध्यक्ष महोदय, उसी नीति का पालन किया गया कि अपने ही मर्जीपात्रों को फायदा पहुंचाया जाय । इसके लिए जो प्रथम टेन्डर था उसके अन्दर भी यह नहीं दिया गया कि कितना डिस्काउन्ट डिस्ट्रिब्युटर को दिया जायगा । दुबारा जो टेन्डर मांगा गया उसके अन्दर था कि १५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिया जायगा । इसी बीच में सरकार को एक फर्म ने total commission of 10 percent on sale price लिए टेन्डर दिया । लेकिन फिर भी सरकार ने वही १५ पर्सेन्ट डिस्काउन्ट को बढ़ाकर अपने ही मर्जीपात्र को वितरण का कार्य दिया । इसके कारण से सरकार को सितम्बर, १९५६ तक ८॥ हजार रुपये का नुकसान हुआ और इतना ही लाभ उस डिस्ट्रिब्युटर को हुआ । अब सितम्बर के बाद में आज तक कितना लाभ, उसको हुआ होगा यह तो केल्कुलेशन के ऊपर निर्भर है । इसके बाद में कुछ फर्मों ने कमीशन ऑफ १९ पर्सेन्ट का टेन्डर दिया जिसको सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया । लेकिन १६½ पर्सेन्ट जिन्होंने टेन्डर दिया था उनको कम करवा करके मंजूर किया । जिस प्रकार से प्रिन्टिंग में कम करवाया था उसी प्रकार से इसमें भी कम करवा करके मंजूर किया गया ।

अब कीमत का प्रश्न आता है । तो कीमतें पहली, दूसरी और तीसरी क्लास की पुस्तकों की रखी गई हैं, वे हमने कभी नहीं देखीं । पहली कक्षा के विद्यार्थियों की किताबों की जो कीमत रखी गई है वह ४१ नये पैसे हैं । दूसरी कक्षा की पुस्तकों की कीमत ५० नये पैसे है, तीसरी क्लास के लिए रखी है ६६ नये पैसे । अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे उस समय हुआ जिस समय कि यह पुस्तकें बांटी गई । इनको देख कर आश्चर्य इसलिए आया कि पुस्तकें ऐसी दिख रही थीं जैसे कि अमरीकन एम्बेसी और चाइनीज़ एम्बेसी ने बढ़िया-बढ़िया कागज की पुस्तकें वितरण की हों । मैं समझता था कि कोई एडवर्टाइजमेन्ट की चीज आ रही है । लेकिन जब पुस्तकें देखीं तो आश्चर्य हुआ कि इस प्रकार के मोटे कागज की क्या आवश्यकता थी ? हमने भी आज तक पुस्तकें पढ़ी हैं । पहली और दूसरी और तीसरी क्लास में पुस्तकें ही पढ़ कर पास हुए है । यह पंच वर्षीय योजना में या राष्ट्रीय विकास के लिए जैसे पुस्तकें छपती हैं वैसे ही ये पुस्तकें छापी

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

गई हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चों के ऊपर क्यों इस प्रकार अनाधिकृत रूप से खर्चा डाला गया? आखिर बच्चों के ऊपर हुआ तो देना तो पड़ेगा ही। मगर यह प्रकाशकों को पैसा दिलाने के लिए सरकार ने सब कुछ जाल रचा है। टेन्डर्स के अन्दर यह नहीं तय किया गया था कि कितनी स्पेस दी जाय, टाइप कितना मोटा होगा? तीसरी क्लास की जो पुस्तकें हैं या सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हैं उनका जो टाइप है उसको देखकर यह लगता है कि आजकल के विद्यार्थियों की दृष्टि कमजोर हो गई है। पहले जो मोटे अक्षर पहली कक्षा में पढ़ने को मिला करते थे आज वह तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने को मिलते हैं। यह हो सकता है कि सरकार ने डालडा खिलाना शुरू कर दिया है जिससे कि आंखें कमजोर हो गई हों। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि यह मोटे अक्षर आंखों की कमजोरी के कारण नहीं रखे गये हैं लेकिन जैसा मैंने प्रारम्भ में ही बताया था कि जो टेन्डर्स दिए गए थे उनमें स्पेस वगैरह के बारे में कोई मेन्शन नहीं किया गया था। जिन लोगों से पुस्तकें छपवाई गईं वह ईमानदार हों, यह नहीं कहा जा सकता। मगर उनके मर्जीपात्र लोग हैं जिनको चाहे जितना पैसा दें। हमने इतनी कीमतें पुस्तकों की कभी नहीं देखी। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है। इन सब पुस्तकों की जो रेट्स हैं वह तो मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्यों के सामने डिस्ट्रिब्यूट करके बता दी गई हैं। हिन्दी की पुस्तकों की कीमत, मैं आप को बताऊं कि चौथी क्लास की पुस्तक की कीमत ४५ नये पैसे है और पांचवी क्लास के लिए १२८ नये पैसे हैं। अंकगणित की पुस्तक की तीसरी क्लास की कीमत ६८ नये पैसे, पांचवी क्लास के लिए ६४ नये पैसे, सामान्य विज्ञान तीसरी क्लास की पुस्तक के ४५ नये पैसे, चौथी के लिए ५६ पैसे और पांचवी क्लास की पुस्तक के लिए ७८ नये पैसे हैं। इस प्रकार की दरें निश्चत कराई गई हैं। मैं कहूंगा कि उन्होने स्वयं ने निश्चित नहीं की हैं बल्कि यह दरें निश्चित कराई गई हैं। पूर्व नियोजित जो कि टेन्डर देते समय और अगर देते समय नहीं तो पुस्तकों के सिलेक्शन बोर्ड के निर्माण करने के पूर्व ही कमेटी ने सारा प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। बोर्ड ने तय किया था लेकिन बोर्ड के आॅर्डर्स नहीं होते हैं और उसके पूर्व ही एक कमेटी जो चार अधिकारियों की थी, उसने सारा जुम्मा अपने ऊपर ही लेकर यह सब किया, स्वयं ने सारी जिम्मेदारी लेकर इस प्रकार का प्रयोग किया है। उस प्रयोग से हमारे विद्यार्थियों के ऊपर एक अन्नैसेसरी टैक्सेशन किया गया। टैक्सेशन नहीं किया गया तो एक प्रकार से राज्य सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। यह व्यवहारिक पक्ष है। दुकानों पर पुस्तक लेने के लिए जाते हैं, वहां लाइन लग जाती थी। थोड़ी सी किताबें बाजार में आ जाती थीं, कुछ किताबें तो बेच दी जाती थी और कुछ बचा ली जाती थी और फिर उन पर ब्लैक मार्केटिंग किया जाता था। जिन लोगों को टेन्डर्स दिए गए उनमें यह तय नहीं था कि कितनी पुस्तकें छापनी हैं। इन पुस्तकों पर तो रेट भी तय नहीं हुई थी। इसका मतलब पब्लिशर जो है, जिसने पुस्तकें प्रिन्ट की है, वह डाइरेक्ट अपने पास से मार्केट में नहीं भेज सके। डाइरेक्ट रूप में अपनी पुस्तकें छपवाकर, जो शायद संख्या में बीस हजार छपी होंगी बच्चों के अन्दर इनडाइरेक्ट रूप

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

से बुकसेलरों के पास पहुंच गईं, वितरण अभी उन्होंने शुरू नहीं किया। जब तक इन्स्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स बुकसेलरों को किताबें देते रहते हैं तब तक तो वे बिकेंगी ही। उसके बाद जो किताबें प्राइवेट लोगों ने छपवा रखी हैं वे बाजार में आ जायेंगी। बीकानेर के अन्दर इन किताबों की खरीद के बारे में काफी झगड़ा भी हुआ था। किताबों की खरीद के लिये क्यु लगे रहते थे। राष्ट्रीयकरण करने के कारण किताबों की उपलब्धि नहीं होती थी और स्कूलें न खुलने का कारण भी यही था। लेकिन सरकार कहती है कि विद्यालय इसलिये बन्द रखे गये थे कि इन्फ्लुएन्जा का प्रकोप था उन दिनों मे, लेकिन बन्द रखने का खास कारण तो यह था कि किताबें पूरी छप नहीं पायी थी। फर्स्ट टर्मीनल एक्जामिनेशन भी हुआ करते थे लेकिन फर्स्ट टर्मिनल तक तो कोई पुस्तकें नहीं आयी थीं स्कूलों में।

इस प्रकार की गलतियों के निराकरण के लिये सरकार ने यह तय किया कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। इसी बात को ध्यान में रखकर पुस्तकों का प्रिन्टिंग हुआ और उसमें घोटाले हुए। अगर इस घोटाले में सैद्धान्तिक पक्ष को छोडकर व्यवहारिक पक्ष को देखा जाय, प्रेक्टिकल साइड को देखा जाय, तो इसकी जांच के लिये सरकार द्वारा एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये, ताकि वह इस बात की जांच करे कि क्या क्या घोटाले इसमें हुए।

दूसरा पक्ष सैद्धान्तिक पक्ष हैं, वह यह है कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये या नहीं? इसके संबन्ध में इन किताबों के साथ एक फोर्वडिंग पर्चा बंटा है उसमें यह नहीं दिया गया है कि किन सिद्धान्तों के आधार पर पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। इसके अन्दर यह विशेषता जरूर देखी गई है कि एक जगह भरत की माता का नाम सुमित्रा रखा गया और लक्ष्मण की माता का नाम कैकेयी लिखा गया था, उसकी जगह स्लिप चिपकी हुई है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि सदस्यों को किताबें बांटते समय यह पर्चा चिपका दिया गया है लेकिन मार्केटके अन्दर जो किताबें बिकी हैं उनमें इस प्रकार पर्चा नहीं देखा गया इसके लिये जो सैद्धान्तिक पहलू रखा गया है उसका कोई भी स्पष्टीकरण पुस्तकों के साथ में दिये गये पर्चे में नहीं दिया गया है।

एक बात यह है कि यह हो सकता है कि सरकार चाहती है कुछ विशेष लेखकों को पेट्रोनाइज़ करने के लिये उनका एक मंडल बनाकर, उनको फीस देकर, वैधानिक रूप में जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने वाले लोग हैं उनको कुछ देकर, उनको नौकर बनाने का प्रयत्न किया गया है। यह जो समाज के अन्दर वर्ग है पढ़े-लिखे बुद्धि जीवी जो लोग हैं उनको किस प्रकार गुलाम बनाया जाय, इस प्रकार की प्रवृत्ति इसमें अपनायी गई है, इस प्रकार राष्ट्रीयकरण करने के बारे में सरकार की जो नीति है उसमें जो डेमोक्रेसी के अन्दर आज जो सरकार है वह यह नहीं कह सकती कि आयन्दा भी वही बनी रहेगी। इस डेमोक्रेसी के अन्दर यह नहीं हो सकता कि आज जो सरकार की नीति है वही सही मानी जाय, नीति-रीति हमेशा पार्टियों के साथ बदलती रहती है। आज जो राष्ट्रीयकरण करने की नीति-सरकार ने अपनायी है वह चाहती है कि उनकी विचारधाराओं का समावेश किताबों में किया जाय, और अपनी विचार-धाराओं के प्रसार करने वाले लोगों को ही नियुक्त किया गया

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

है। यह जो सैद्धान्तिक पक्ष हैं उससे यह गलत है। शताब्दियों से हमारा भारतवर्ष विश्व का गुरू रहा है, शिक्षा के मामले में हमारे यहां बाहर के देशों के विद्यार्थी पढ़ने आया करते थे, उन दिनों हमारे यहां बढ़िया–बढ़िया साहित्य का निर्माण हुआ करता था, दुनियां भर के लोग यहां पढ़ने के लिये आया करते थे। वे यह जानते थे कि भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर उस समय बहुत ऊंचा था। लेकिन आज हमारी सरकार यह चाहती है कि ऐसी किताबें लिखने वाले लोगों को गुलाम बनाने का प्रयास किया जाय। आज बुद्धिजीवी लोगों का ऐसा वर्ग है जो कभी यह नहीं चाहेगा कि उनकी प्रतिभा को खरीदा जाय और वे एक प्रकार से सरकार के गुलाम बन कर रहें। उन लोगों को सम्पादक मंडल में नहीं लिया गया; जो इनसे भी श्रेष्ठ पुस्तकें लिख सकते थे, विद्यार्थियों के विकास के लिये, उनके चरित्र के विकास के लिये, जो अच्छी चीजें समाज में ला सकते थे। आज हम देखते हैं हमारे शिक्षा विभाग मंत्री शिक्षा शास्त्री नहीं, शिक्षा सचिव शिक्षा शास्त्री नहीं, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष शिक्षा शास्त्री नहीं, उनसे सलाह करना वे प्रतिभाशाली लेखक अपना अपमान समझते हैं, जो यह नहीं चाहते कि इन लोगों की 'जी हुजूरी' की जाय, इन लोगों को आकर प्रणाम किया जाय, नमस्ते करना जो इनसे नहीं चाहते। वैसे नमस्ते करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी प्रकार की चापलूसी जिनको पसन्द नहीं। उन लोगों को जो प्रतिभा लिये हुए हैं, जिन लोगों ने सरकार के सामने जाकर 'जी हुजूरी' नहीं की। वे नहीं चाहते सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों की 'जी हुजूरी' करें, जो आज मेनीपुलेशन सार्वजनिक विभाग में हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है, अगर वे 'जी हजूरी' करते तो उनको भी पुस्तकें लिखने का काम दिया जा सकता था। आज की सरकार चाहती है कि ऐसे वर्ग को ही किताबें लिखने के लिये दी जायं जो उनकी 'जी हुजूरी' करता है। आज जो यह तरीका सरकार ने अपना रखा है, वह स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले लेखकों को अपनी प्रतिभा से देश और समाज को लाभ पहुंचाने से वंचित कर रहा है। आज सरकार चाहती है कि ऐसे पढ़े–लिखे वर्ग के लोग भी उनकी गुलामी करें, इसी कारण यह राष्ट्रीयकरण की नीति अपनायी गई, जो हमारे भविष्य के विकास के लिये बाधक है।

आज हमारी सरकार के पक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे कम्युनिस्ट विचारधाराओं की आलोचना किया करते हैं, उनका कहना है कि रशिया में डिक्टेटरशिप है, वहां पर बोर्ड होते हैं जो चीजें बोर्ड तय करता है सरकार को वही किताब पढ़ानी पड़ती हैं। आज जो रशिया के एकतंत्रवाद की आलोचना करते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वे भी अपना मुंह दर्पण में जाकर देखें, वे आज राष्ट्रीयकरण की इस नीति को अपना कर क्या कांग्रेसी विचारधारा का प्रसार विद्यार्थियों में नहीं करने जा रहे हैं? आप कम्युनिज़म का विरोध करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कांग्रेसी विचारधारा का प्रसार हो।

अभी अभी अध्यक्ष महोदय, हमारी पड़ोस की स्टेट में शिक्षा विधेयक आया था, उसके अनुसार जितनी भी गैर सरकारी शिक्षण संस्थायें थीं उनको नियन्त्रण में लेने का प्रयास किया और सरकार के काफी कांग्रेसी लोगों ने उसका विरोध किया। वहां क्या हो जायगा, यदि सभी संस्थाओं को सरकार ने अपने नियन्त्रण में ले लिया तो। लेकिन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

वे नहीं चाहते कि एक दूसरे प्रिन्सिपल्स को मानने वाली सरकार का कब्जा शिक्षण संस्थाओं पर हो। क्या आप यह कभी सोचते हैं कि आपकी जो नीति है शिक्षा के बारे में क्या आप इस प्रकार का वातावरण निर्माण कर रहे हैं, क्या आगे जाकर हर विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से सोच-विचार सके? आप चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस की विचारधारा का प्रसार हो। आपने पंच वर्षीय योजना का आधार भी इसी सिद्धान्त पर किया है। हम कोई विकास के विरूद्ध नहीं, लेकिन आपको भी तो यह चाहिये कि सबको समान अवसर दें विकास करने का। आज की जो नीति सरकार की है उससे भविष्य में बड़ा खतरा है, भविष्य में देश के जन–जीवन को खोखला करने का यह षड्यन्त्र है। आज आप पहली, दूसरी क्लास से ही ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं, अपनी नीति का प्रसार करना चाहते हैं, ताकि आगे बढ़ने पर भी he cannot go against the same thing, he will read same thing. जो चीज आप पढ़ायेंगे उसके बाहर तो वह जा नही सकेगा और उसकी प्रतिभा कुंठित हो जायगी।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य जो अपने आपको शिक्षा शास्त्री मानते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा है, लेकिन आज जो सरकार ऐसे प्रतिभा शाली लेखकों को भी अपना गुलाम बनाकर कुंठित करना चाहती है, यदि वे वास्तव में शिक्षा प्रेमी हैं तो उन्हें इस विचार–धारा का विरोध करना चाहिये। इसलिये जो राष्ट्रीयकरण की नीति सरकार ने अपनायी है वह बिल्कुल असफल रही है, अतः सरकार से मेरा निवेदन **है कि इस नीति को अविलम्ब त्याग दे और इस** शिक्षा के क्षेत्र को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देना चाहिये। इस प्रकार का प्रस्ताव मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस संकल्प पर दो संशोधन आये हैं। श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रस्ताव में दो संशोधन हैं जहां 'पूर्णतया असफलता रही है' उसकी जगह 'सफलता प्राप्त नहीं कर पायी' और अन्तिम पंक्ति में 'शीघ्र सफल बनाने का प्रयास किया जाय', ये शब्द जोड़ दिये जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह नीति असफल रही है उस बारे में जो लोगों को शिकायत है वह यह है कि छात्रों को पुस्तकें समय पर प्राप्त नहीं हुई, पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं हो सकीं, हमारी शिक्षण संस्थाओं में नहीं पहुंच पायीं, इसलिये मैंने ये शब्द जोड़े हैं कि जो नीति थी वह पूर्णतया सफल नहीं रही, सफलता प्राप्त करने का जो टार्गेट बनाया था उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है। सरकार का ऐसा विचार था कि विद्यालय खुल जायेंगे और पाठ्य–पुस्तकें पहुंच जायेंगी, लेकिन पाठ्य–पुस्तकें नहीं पहुंची, उसके कारण भी कई थे, कागज समय पर प्राप्त नहीं हो सका, छपाई आदि में भी देरी हुई, यह तो वास्तव में मानना ही पड़ेगा। केवल इसी कारण इस नीति का त्याग कर दिया जाय, इसमें कोई औचित्य नहीं है। हमें अपनी राष्ट्रीयकरण की नीति में प्रगति लाने के लिये पुस्तकों को छपाने और उनको वितरण

(श्री बहादुरसिंह)

करने–कराने में उचित व्यवस्था लानी चाहिए। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि शीघ्र सफल बनाने का प्रयास किया जावे, उचित रहेगा।

अब व्यवस्था की खामी के कारण आज के युग में यह कह देना, कि इस राष्ट्रीय–करण की नीति का ही त्याग कर दिया जाय, उचित नहीं है। इससे हम बहुत पीछे चले जाते हैं। आज तो हम यातायात का राष्ट्रीय–करण करने जा रहे हैं और ऐसी ही दूसरी कई चीजों का राष्ट्रीयकरण करने की सोच रहे हैं, तो आगे सोचने के बजाय और आगे बढ़ने के बजाय हम इस त्याग की बात से पीछे चले जावेंगे।

इससे इस शिक्षा के क्षेत्र में भी नुकसान की सम्भावना अधिक है। अलग-अलग और कई भिन्न-भिन्न छोटी-मोटी प्रकार की पुस्तकों के निकलने से विद्यार्थियों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाइयां होंगी। इसलिये इन पुस्तकों का तो राष्ट्रीयकरण करना ही उचित है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तकें मिल सकें, जिनसे एक सही और उचित और वास्तविक शिक्षा प्राप्त हो सके, उसका आचरण ठीक हो सके, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो सके।

मेरे एक मित्र ने कहा कि अमेरिकन एम्बेसी से आई पुस्तकों को भी मात किया गया। मैं निवेदन करूं कि बच्चों की आम तौर पर यह भावना होती है कि जो पुस्तक आकर्षक होगी तो उसमें वे जल्दी रुचि लेते हैं। यह उनका स्वभाव है। अगर पुस्तक आकर्षक नहीं बनाई जावेगी तो वे उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे, रुचि नहीं लेंगे। इसलिये यह तो ठीक है कि राष्ट्रीयकरण में इन बच्चों की पुस्तकों को और आकर्षक बनाया जाय।

जहां तक मूल्य का प्रश्न है वह भी आज की स्थिति को देखते हुए बहुत नहीं है। ठीक ही है। फिर भी इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि इसे फिर से सर्वे किया जाकर जितनी कम हो सके कीमतें कम करने का प्रयत्न किया जाय।

अन्तिम बात मुझे यह निवेदन करनी है कि पुस्तकों के वितरण के बारे में राजस्थान सरकार को शीघ्रातिशीघ्र निश्चित कदम उठाने चाहिये।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अभी विधान सभा के समक्ष एक संकल्प आया पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति के सम्बन्ध में। इसके दो भाग किये जा सकते हैं। उस पर एक संशोधन श्री बहादुर सिंहजी की तरफ से आया है, वह एक भाग और जो मूल संकल्प है वह एक भाग। मैं जो बहारदुरसिंहजी का संशोधन वाला भाग है उसके समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

वास्तव में राष्ट्रीयकरण की पद्धति जो है वह बुरी नहीं है, अच्छी है, जरूरी है और समयानुकूल है। अब उस पर जो अमल इस सरकार ने किया है वह जरूर दोष सहित है, उसके अन्दर जरूर गड़बड़ियां रही हैं। उनकी आलोचना हमें करनी हैं। पर इसका यह मतलब नहीं कि राष्ट्रीयकरण की नीति का जो सिद्धान्त है वही गलत है। यह तो एक जरूरी सिद्धान्त है, आज के समय के अनुकूल सिद्धान्त है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इस नीति को गलत बताना एक ऐसी चीज है जैसे कोई अपने दिल में ऐसी भावना कर ले कि इस इलाके में चूंकि अकाल ही अकाल पड़ते रहते हैं तो इस कारण हल ही न जोता जाय। तो यह तो कोई करता नहीं।

(श्री मोहरसिंह)

अब इस नीति के क्रियान्वन में सरकार द्वारा जो गड़बड़ियां की गई, उनके लिये हमें आलोचना करनी है। एक साथी द्वारा एक एडजोर्नमेन्ट मोशन भी इस बारे में यहां रक्खा गया था। जिसका कि मैंने समर्थन भी किया था। जो राष्ट्रीयकरण बोर्ड सरकार ने बनाया उसके जिम्मे तीन काम थे। एक, पुस्तकों का चुनना, दूसरा उनका प्रकाशन करवाना, और तीसरा प्रकाशन के बाद उनको सही ढंग से वितरित करना। मुख्य गड़बड़ी इन तीनों में शुरू से रही है। पुस्तकों के चुनाव में भी काफी गड़बड़ी रही, लोगों का सरकार पर यह दोषारोपण है। कइयों का कहना है कि बोर्ड के माननीय सदस्यों तक ने अपनी अपनी पुस्तकें किन्हीं दूसरों के नाम से चुनवा दी हैं, इस प्रकार की भी अफवाह है। अब यह कहां तक सच है, जांच करने पर ही पता चल सकता है, कि इसमें भी सरकार के उच्चाधिकारियों का हाथ है। इसके बाद में जब छपाई के टेन्डर मांगे गये तो उसमें भी काफी गड़बड़ियां की गई।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एकाध स्पेसिफिक गड़बड़ी आप बतावें तो जवाब भी हम दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी तो केवल अफवाहों के बारे में कह रहे हैं।

श्री मोहरसिंह : आप नाम पूछना चाहते हैं तो घबरावें नहीं, वे भी आ जावेंगे, थोड़ा सब्र रखिये। किसकी पुस्तक थी यह भी मैं बता दूंगा।

छपाई के टेन्डरों में राजस्थान के एक-दो प्रेस वालों को कम रेट ऑफर करने पर भी उनका टेन्डर मन्जूर न करके अधिक रेटों पर बाहर वालों को काम दिया गया।

साथ ही कागज का सवाल जब आया तो एक दो सरकारी अधिकारी यहां से बाहर जाते हैं, वे आगरा पहुंचते हैं, इलाहाबाद जाते है, कलकत्ता और बम्बई का दौरा करते हैं, कागज के इन्तजाम के लिये। शायद १५-२० हजार रुपया अपने टूर में खर्च कर देते हैं। पर बाद में चीज क्या सामने आती है, कि कागज बाजार में उपलब्ध नहीं होता है। भारत सरकार के साथ तब लिखा-पढ़ी होती है और इसमें बहुत समय व्यतीत हो जाता है।

इसके बाद में तीसरी गड़बड़ी यह भी हुई कि खास किस्म का कागज जो पुस्तकों पर लगाने को था जिसके कारण कि ब्लैक नहीं हो सके, वह चीज भी नहीं हो सकी। वाटर पेपर देने की स्कीम थी जिस पर कि सरकार की मोहर आती और इससे ब्लैक की सम्भावना नहीं रहती। पर यह चीज भी ठंडी रही। इसके लिये तो यहां तक सुनते हैं कि राजस्थान के अन्दर उन प्रेसों ने जिन्होंने इनको छापने का जिम्मा लिया था, ब्लैक में भी पुस्तकें भेज दी हैं बाजारों में।

लेकिन जब तक राज्य की ओर से छपी हुई पुस्तकें न निकल जांय तब तक तो वे पुस्तकें बेच नहीं सकते थे, पुस्तकें उनके पास रखी रहीं। उन्होंने सोचा कि जब सरकार की पुस्तकें बिकने लगें या बिकने लगेंगी और जब विद्यार्थियों को सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें नहीं मिलेंगी तो वे उनके द्वारा छपी हुई पुस्तकें खरीदना शुरू कर देंगे जिससे कि गवर्नमेन्ट को बड़ा भारी लोस हो जाय। और भी कई गड़बड़ियां राष्ट्रीयकरण के कारण हुई हैं।

(श्री मोहरसिंह)

लेकिन उन सारी कमियों के कारण विद्यार्थियों को काफी नुक्सान हुआ है और उसका इन्तजाम सरकार ने नहीं किया। तिमाही परीक्षा हो गई और उनके सामने हाफ इयरली एक्ज़ामिशन आने वाला है। अगर उनके साथ लीनियेन्सी करते हैं तो विद्यार्थियों के ऊपर बुरा असर पड़ता है और यदि नहीं करते हैं तो पास नहीं होंगे। कितना बुरा असर इसके द्वारा पड़ा है विद्यार्थियों पर। शुरू-शुरू में राष्ट्रीयकरण किया गया है, सरकार को जनता के ऊपर ज्यादा असर छोड़ना चाहिए था राष्ट्रीयकरण का, जिससे लोगों पर और विद्यार्थियों पर भी यह असर पड़ता कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण वास्तव में विद्यार्थियों के लिए फायदेमन्द है। लेकिन इस प्रकार की एक नजीर पैदा कर दी है कि जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीयकरण की नीति को ही बुरा बताया जाने लगा है। देरी करने के कारण इसकी जो सफलता है वह देखने को नहीं मिलती है।

राष्ट्रीयकरण के बारे में एक चीज़ और बतायी गई है। एक तरफ कहा गया है कि कांग्रेस की सरकार कम्युनिज़्म का विरोध करती है। उसका जवाब देना मेरे लिये जरूरी है। कम्युनिज़्म का विरोध करते हैं लेकिन तथ्य नहीं बताये कि क्यों करते हैं? कोई भी अच्छी बात कहीं से मिलती है, चाहे कम्युनिज़्म से मिलती हो, चाहे इम्पीरियलिज़्म से मिलती हो, उसको लेना चाहिए।

श्री जनार्दनराय नागर : हम इम्पीरियलिज़्म से कोई बात नहीं लेना चाहते।

श्री मोहरसिंह : धन्यवाद। तब तो बहुत ही फोरवर्ड हैं। यह सुन कर और भी खुशी हुई। कहीं से कोई चीज़ मिले जो अच्छी हो, राष्ट्रीयकरण में यदि कम्युनिज़्म में पहले करते हैं तो उसको ले लेना चाहिए और उसके लिए कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने केरल का नाम नहीं लिया लेकिन ले सकते थे। वहां प्राइवेट स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वहां पर १२५ स्कूलों में से २६ स्कूलों के अध्यापक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। यदि स्कूलों का सारा नक्शा और इतिहास देखा जाय तो आपको पता लगेगा कि अध्यापकों पर कितना जुल्म था उनमें। इन सारी चीजों को देखकर ही वहां की सरकार ने उन प्राइवेट स्कूलों का राष्ट्रीयकरण किया। क्या क्या गड़बड़ियां थीं उनमें? मैं आपको यह बता दूं कि अध्यापकों के लिए उनकी सर्विस की उनमें कोई गारन्टी नहीं थी, यदि उनको सर्विस करते हुए भी तीस वर्ष हो गये तो भी जब भी पादरी की मर्जी हुई उनको कान पकड़ कर निकाल दिया। यदि उनको १०० रुपया महीना तनख्वाह मिलती है तो सौ की रसीद लेकर ७० रुपया ही दिया जाता था और ३० रुपये पादरी साहब की जेब में जाते थे। न तो उनके लिए सर्विस की इस तरह से गारन्टी थी और न ही उनके लिए कोई प्रोविडेन्ट फन्ड या पेन्शन की व्यवस्था थी। इसलिए इन स्कूलों का राष्ट्रीयकरण चारों तरफ से सराहनीय है। सवा-लाख आदमियों का जुलूस निकला। वास्तव में सारी की सारी जनता खिलाफ थी इस प्रकार की अव्यवस्था के सम्बन्ध में। यह केवल रोमन केथोलिक की तरफ से दिखावा था, जनता इसके लिए खुश थी कि राष्ट्रीयकरण हुआ। पादरी लोग नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके हितों पर प्रहार होता था। लेकिन आम जनता के लिए यह फायदे की चीज़ थी। यह एक वाजिब चीज़ थी और राष्ट्रीयकरण की इस नीति को गलत नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए मैं

(श्री मोहरसिंह)

जोरदार शब्दों में आपको कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण की जो नीति है वह सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस कार्य को करने के लिए गड़बड़ियां की हैं इसके लिए उनको दुख जरूर होना चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात् जल्दी से जल्दी पुस्तकें बच्चों को मिल सकें। इस संबंध में सदन में बार-बार बताया गया है, सदन में भी प्रश्नों के जरिये पूछताछ की गई थी उनको मैं पुनः बार-बार रखना उचित नहीं समझता। माननीय मुख्य मन्त्री पूर्ण रूप से इसका स्पष्टीकरण करेंगे और जो इल्जाम लगाये गये हैं, राष्ट्रीयकरण हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं, पुस्तकें उपलब्ध होने में देर लगी है, ये जो इल्जाम लगाये गये हैं उनका स्पष्ट रूप से उत्तर देंगे। हाउस का अधिक समय न लेते हुए मैं कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण की जो नीति है वह एक लाजमी चीज़ है और उसके अन्तर्गत जो गड़बड़ियां हुई हैं उनके लिए कोशिश यह करनी चाहिए कि गड़बड़ियां न रहें और जल्दी से जल्दी पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध हों।

एक चीज़ यह रखी गई है कि ज्यादा कीमतें पुस्तकों की रखी गई हैं। यह विषय ऐसा है कि राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकों की कीमत उन पुस्तकों से ज्यादा रखी गई हैं जो पुस्तकें अन्य पुस्तक प्रकाशक द्वारा छपाई जाकर उनकी उनके द्वारा कीमतें रखी जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उन प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तकों से कम कीमत ही रखी जानी चाहिए। पुस्तकें बच्चों को उनसे सस्ती मिलनी चाहिए। किस जगह ऐसा हुआ है तो वे आप बतावेंगे कि किस प्रकार यह हुआ है।

कहीं ऐसा न हो कि कागज प्राप्त करने में देरी हो गई और जो दौरे में १५-२० हजार रुपया समाप्त हुआ और उसका भार भी इन पुस्तकों की कीमतों पर ढहा दिया गया हो। इसका स्पष्टीकरण तो वे ही देंगे। माननीय सदस्य श्री बहादुरसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं तहे-दिल से समर्थन करता हूं। राष्ट्रीयकरण जायज है, सही है और होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो अब तक गड़-बड़ियां हुई हैं वे दुखद हैं, विद्यार्थियों के लिए और मुल्क के लिए भी दुखद चीज़ है। इसके लिए दूसरे प्रान्तों के लोग हैं वे हमारी सरकार को नेक नाम नहीं कर सकते हैं और गड़बड़ियों के कारण उल्टा उनकी बदनामी की मूल चीज़ बनी। इस दृष्टि से उनका अपमान हुआ।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणसिंह।

श्री जनार्दनराय नागर : I caught your eyes at once.

श्री अध्यक्ष : This time it is he. You will have a chance,

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीय-करण का सवाल लेकर आज एक विचारधारा हमारे सदन में प्रस्तुत है। वास्तव में यह प्रश्न एक बड़ा क्रान्तिकारी और बड़े तकाजे का है और इस समय में कुछ ऐसे तकाजे आते हैं कि जिनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, जिनकी तरफ हमें प्रवृत्ति करनी पड़ती है। राजस्थान सरकार ने आज इस दिशा में एक ठोस कदम उठाया है और वास्तव में मैं यह कहूँगा कि जब किसी समय नई दिशा में कदम उठाया जाता है, एक नया रास्ता पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यह स्वाभाविक बात हो जाती है कि नये रास्ते में कई रोड़े

(श्री नारायणसिंह)

आवें और उनको हटाने में काफी दिक्कत होती है। ऐसा प्रतीत हो कि हमारा यह कदम जो उठाया गया है शायद गलत हो और जो रास्ता पकड़ना चाहते हैं उसमें काफी त्रुटियां हों, लेकिन इसको अमान्य नहीं किया जाता कि जब कोई नई कार्यवाही की जाय, नया रास्ता डालने की कोशिश की जाय, उसमें रोड़े न आवेंगे। रोड़े को मिटाने में समर्थता के कारण उसमें सफलता समझी जानी चाहिए।

मैंने जब यह सुना यहां सदन में, पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत होने वाला है उस वक्त मैंने सोचा कि उस संकल्प में यह तकाजा किया जावेगा कि राष्ट्रीयकरण करने में कुछ भी गलतियां रहें लेकिन इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की जाय और जो त्रुटियां रहें उनको दूर किया जाय। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने इस संकल्प को पढ़ा, पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति पूर्णतया असफल रही है, एक बात तो यह कही है और दूसरी क्योंकि असफल रही है इसलिए "राष्ट्रीयकरण की नीति का अविलम्ब त्याग कर दिया जावे"। मुझे ये दोनों बातें समझ में नहीं आती हैं।

प्रथम तो नीति असफल रही है, यह किस प्रकार से कहा जा सकता है ? संभव हो सकता है कि पुस्तकों के आने में देरी हुई हो, कहीं टेन्डर्स के मंगाये जाने में कुछ त्रुटियां रही हों, और कागजों इत्यादि के कुछ प्रश्न उठे हों। लेकिन मैं यह नहीं समझता कि जब इस नीति के इस्तेमाल में आने का मौका ही नहीं मिला तो यह नीति असफल रही, यह कैसे कहा जा सकता है ? नीति असफल रही, यह बात तो तब कही जा सकती है जब कि हमने एक–दो साल का अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

इसके अलावा जो आगे कहा गया, यह संकेत किया गया कि इन इन त्रुटियों के कारण और इन २ विलम्बों के कारण यह नीति ठीक न रही, यह एक विवाद का प्रश्न है। केवल मात्र जो प्रयोग में लाने में देरी हुई है, कुछ कमियां हुई हैं उनके कारण नीति गलत हो जाय, कुछ ऐसे निश्चय पर आज पहुंच जायं कि चूंकि गड़बड़ियां हुई हैं इस नीति को बिल्कुल त्याग दिया जाय, यह एक बिल्कुल अजीब सी बात हो जाती है। हम आज एक नवशिक्षा पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं, एक ऐसी शिक्षा पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं, हम आज पुरानी परिपाटी से अलग नये प्रकार के राष्ट्रीय भाव को पैदा करने, और नये चारित्र्य और नये मानस तैयार करने जाते हैं, जिससे हमारा राष्ट्र अपने कदम अपनी पंच-वर्षी योजना की तरफ, अपनी प्रगति की दिशा में बढ़ा सके। ऐसी दशा में यदि हम इस बात में कुछ कोताई कर जाते हैं कि किस प्रकार की शिक्षा बुनियादी, नीचे की शिक्षा को दें, और अगर वह वहां स्थानिकता के प्रयास को चालू रहने देने का मौका देते हैं तो शायद हम जिस लक्ष्य की तरफ जाना चाहते हैं उसमें ओछे पड़ें। मैं समझता हूं कि जो राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया गया है, इस राष्ट्रीय-करण के कदम में कोई खामी नहीं हैं। हां, यह कहा जा सकता है, जिस प्रकार से अभी बताया गया कि व्यवहार पक्ष में कुछ ऐसी गड़बड़ियां रहीं कि कुछ ऐसा कमीशन भेजा गया था, ऐसी कमेटी बाद में भेजी गई कि

(श्री नारायणसिंह)

जिससे ऐसा मालूम पड़ता था कि अधिकारी वर्ग अनुपयुक्त है अथवा सरकार ही कुछ भृष्टाचार की और प्रवृत्त हो रही है, ऐसी शंका की गई है और यह भी बताया गया कि टेन्डर मांगे गये, इनमें सरकार की कुछ विशेष मन्शा थी, अथवा यह जो सब कार्यवाही आगे हुई छपाने में या दूसरा करने में कुछ खामियां रहीं, मैं आज अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें यहां यह कहा जाता है कि सरकार अपना मुंह इस विषय में दर्पण में देखे। लेकिन मैं यह तकाजे से अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार को अपना मुंह दर्पण में देखे, उससे ज्यादा आवश्यकता है कि सरकार को बनाने वाले अपना मुंह दर्पण में देखें। जो हमारा राष्ट्रीय स्तर है उस राष्ट्रीय स्तर के मुताबिक ही सरकार बनती है। हम हमारा ही प्रतिबिम्ब अपनी सरकार में देखते हैं। हम आज राष्ट्रीयता का पूर्णातया निर्माण नहीं कर सके हैं, यह दोष एकांगी नहीं है। इसको व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा। हम आज कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं तब अधिकारियों की कुछ कमियों के कारण, केवल किन्हीं सरकार की शंकाओं के कारण, किसी नीति के खिलाफ दलील नहीं आंक सकते। हमें यह देखना होगा कि कमियां कहां हैं, और उस कमी को किस विधि से दूर किया जा सकता है, लेकिन किसी नीति का बहिष्कार करके कमियों को दूर नहीं कर सकते।

मुझे कुछ थोड़ा सा अर्सा मिला उसमें मैंने इन पाठय पुस्तकों का अवलोकन करने का प्रयास किया और इनकी रचना के ढंग में, इनकी बनावट में इन सब बातों का, मूल तथ्यों का विचार रखा गया मालूम पड़ता है। एक तो रचनात्मक प्रवृत्ति, दूसरे स्वास्थ्य की तरफ अभिरुचि, तीसरे नागरिकता की तरफ का परिचय, चौथा काम का निर्देशन, पांचवां स्थानिकता और देश की जानकारी की ओर अभिरुचि, इन बातों का पूरा ध्यान रखा गया। इन पुस्तकों में पाठ्यक्रम का जो उत्तरोत्तर विकास किया गया है वह काफी वैज्ञानिक मालूम पड़ता है। अब बात यह रह जाती है कि इसमें कमियां क्या थीं, वही मैं यहां पर अर्ज करना चाहता हूं। हम एक नवशिक्षा पद्धति का निर्माण करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि प्रजातन्त्र के आदर्शों के अनुकूल, गांधीवादी प्रजातन्त्र के आदर्शों के अनकूल हमारे व्यक्तित्व को विकसित करें, वहां हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे व्यक्तित्व के सब अंग, सर्वांगीण अंग पूर्णतया इस शिक्षा पद्धति से विकसित होते हैं। हम व्यक्तित्व के तीन अंग मानते है; भौतिक, मानसिक और आत्मिक और इन पाठ्यक्रमों को आज देखते हैं कि जहां सामान्य विज्ञान इत्यादि की ओर हमारा प्रयास उठा है वहां हमने यह कोशिश की है कि हमारे भौतिक अंग सुगठित हो सकें और जहां हमने नागरिकता इत्यादि के विकास की तरफ कदम उठाया है, हमने हमारी प्रगति की तरफ कदम उठाने की कोशिश की है, हमने विकासोन्मुखता और राष्ट्रीय भावना को लाने की कोशिश की है, वहां हमने अपने मानसिक व्यक्तित्व को उठाने की कोशिश की है।

अब सवाल यह रह जाता है कि सामान्य विज्ञान की पुस्तकें हमारे सामने हैं, उन सामान्य विज्ञान की पुस्तकों से स्वास्थ की ओर अथवा हमारी दिनचर्या को सुगठित बनाने की ओर मदद मिलती है। मैंने इन

(श्री नारायणसिंह)

में देखा है कि कई मूल तथ्यों की तरफ इसमें ध्यान आकर्षित किया गया है। शुरू की कक्षा से लेकर आगे चौथी कक्षा तक उसका उत्तरोत्तर विकास किया गया है । मैं एक बात की कमी इसमें जरूर पाता हूं । जहां कि हमने सारे शरीर-विज्ञान को जानने की कोशिश की है, हमारी परिस्थितियों और वातावरण को जानने की कोशिश की है, वहां व्यवहारिक ज्ञान की तरफ कम प्रवृत्ति रखी है । वास्तव में आज हम यह जानते हैं कि जो शिशु विद्यार्थी स्कूल में जायं वे अपनी दिनचर्या को सुगठित बना सकें, अपने रोजमर्रा के जीवन व्यापार में वे स्वास्थ्यप्रद भावना ले सकें, वह स्वास्थ्यप्रद रहन सहन से अपने को प्रभावित कर सकें कि जिसके बिना वह एक सुगठित जीवन और अपने स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता है, तो इस चीज की ज्यादा आज इन पुस्तकों में जरूरत थी, उसकी मैं कमी देखता हूं ।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां इसमें नागरिकता के विकास की ओर, जहां राष्ट्रीयता इत्यादि की भावनाओं को परिप्लावित करने में इन पुस्तकों में काफी चीजें देखता हूं, इनके अन्दर बड़े बड़े महापुरुषों का जीवन रखा है, इसके अन्दर हमारे स्थानों को कुछ अवगत कराने के लिए विवरणात्मक लेख रखे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस बात की ओर ध्यान करने की आवश्यकता है कि व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो इन तीन बातों के लिए ध्यान विशेष रूप से रखना है । जहां हम अपने व्यक्तित्व को, खुद के व्यक्तित्व को विकसित करते हैं, वहां सामान्य विज्ञान, हाइजिन इत्यादि का एक कार्य मिलता है और इसके अलावा ऐसे सामाजिक व्यक्तित्व को उनके साथ–साथ विकसित करना है, तो सामाजिक व्यक्तित्व के विकास में नागरिकता और दूसरी भावनाएं आती हैं । इसमें काफी प्रयास किया गया है, यह मैं मानता हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ उस व्यवहार ज्ञान की ओर आगे संकेत किया गया है कि हम सुचारु नागरिकता को किस प्रकार से विकसित करें ।

इसके अलावा एक तीसरा अंग जो हमारे व्यक्तित्व का है वह है समष्टि व्यक्तित्व । हमारी इन पुस्तिकाओं की विशेषता के लिए जो पुस्तिकाएं छपी हैं उनमें से एक में वह सारे का सारा दृष्टिकोण बताया गया है कि भारतीय संस्कृति की मानवतावादी विचारधारा इसका प्रेरणाश्रोत है । अब यह एक बहुत बड़ा विचार उत्पन्न कर देता है कि भारत की मानवतावादी विचारधारा कौन सी है कि आज हम हमारे धर्म के बारे में नाम लें तो उसमें हमारे अन्दर एक विशेष प्रकार की भीरुता आ गई है । पहले हमारी धर्मभीरुता एक दूसरे प्रकार की थी । आज एक निरोधात्मक धर्म भीरुता है क्योंकि आज यह प्रश्न नही है कि धर्म का नाम लिया जाय, क्योंकि आज धर्म को मानते हुए भी हम उसे अस्वीकार करना चाहते हैं ! केवल मात्र इसलिये कि या तो हमें जो धर्म हमारे सामने मौजूद है, जो एक सेक्टेरियन तरह का धर्म मौजूद है, उसमें हमें विश्वास नहीं तथा हमारे आज के युग का जन-कार्य धर्म पर पर्दा गिरा देता है, इसलिये शायद हम धर्म की तरफ अभिरुचि बढ़ाने में सशंक हो जाते हैं इसलिये आज की आधुनिक भाषा में हमें धर्म को विशेष प्रकार से समझना चाहिये । एक पाश्चात्य विचारधारा है जिसमें एजिस्टेन्शियलिज़्म का शब्द मिलता है; उसका खास मतलब है अस्तित्ववाद । उसके अंदर जो बुराइयां है, जो अस्तित्ववाद

(श्री नारायणसिंह)

केवल भौतिक आधार पर बना है उसको दूर करके हमें हमारे धर्म में वास्तविक अस्तित्ववाद लाना है, जो हमारे पुराणों में था....

श्री गिरधारीलाल : माननीय सदस्य धर्म पर प्रवचन कर रहे हैं या पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण पर ?

श्री नारायणसिंह : मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस चीज की आवश्यकता होनी चाहिये उसकी कहां कमी रह गई है ? मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि जिस धर्म को हम मानवतावादी धर्म कह सकते हैं उस धर्म की बुनियाद होनी चाहिये । आज हमने इसको विकसित करने के लिये क्या कदम उठाया है, यह जानने की कमी रही है ।

मैंने देखा है कि बम्बई इत्यादि में कुछ प्राइवेट स्कूल्स चलती हैं, जहां पहले विशेष प्रकार की धर्म की शिक्षा दी जाती थी वहां अब दूसरे प्रकार का क्रम चलाया है । वहां मोरललेसन्स दिये जाते हैं । मैंने उनके पाठ्य क्रम को देखा है उसमें साधारण जीवन की बातें हटाकर किस तरह व्यक्तित्व को संतुलित किया जाता है इस ओर अभिरूचि की गई है । वास्तव में आज की परिस्थिति में यह आवश्यक है कि हम पहले हमारे व्यक्तित्व को इस प्रकार से संतुलित करदें जिससे कम संघर्ष रहे । वह व्यक्तित्व जिस परिस्थिति में मौजूद है उसके साथ पूरा मेल बैठा दें । यदि हम यह कर लेते हैं तो वास्तव में मानवता धर्म बन जाता है। आज हम देखते हैं कि इन पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के सबक नहीं है, करीब करीब नगण्य है । मैं आपकी मार्फत सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इस ओर भी हमारी सरकार को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये कि इस प्रकार के मोरललेसन्स किस प्रकार से उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए पाठ्यपुस्तकों में रखे जांय ।

इसके अलावा हमारी पाठ्यपुस्तकों में जो भाषा विज्ञान की त्रुटियें हैं उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्रथम पुस्तक कक्षा १ के लिये बनाई गई है, उसमें हमारी स्वर लिपि जो है उसका ध्यान कम रखा गया है । जैसे 'मां' से शब्द की जानकारी शुरू की गई है । मैं मानता हूं कि जहां बेसिक पद्धति से विकास करना चाहते हैं वहां नये नये विचार आ सकते हैं, लेकिन हमें इससे पहले पूरी तरह से सोच लेना चाहिये कि कहीं हम ऐसा करके भाषा विज्ञान में दखल तो नहीं दे रहे हैं,जिससे नये बालकों में लिपि और स्वर व्यजनों की जानकारी में कुछ गड़बड़ उनके दिमाग में आ जाय । मैं अर्ज करूंगा कि स्वर व्यजनों से प्रथम शब्द का उच्चारण होता है । ओमकार को प्रथम शब्द माना है, वेकुम में भी कोशिश करें तो 'घूंम' प्रकार का शब्द हमें मिलेगा । इससे हमारा स्वर 'ओम्' निकला है । इस 'ओम्' से सारे शब्दों का प्रवाह हुआ । जिस समय हम नवजात शिशु के रुदन का ध्यान करें तो वहां पर भी 'ओम्' लगकर 'आ' पहला शब्द निकलता है, 'अ' स्वाभाविक रूप से निकलेगा । उसके बाद ज्यों ज्यों ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा 'अ' के साथ स्वतः मात्राएं लगती जायेंगी और आ, इ आदि से स्वतः वर्णमाला निकल जायगी। जैसे २ परिस्थितियों का ज्ञान पैदा होगा और ज्यादा जानकारी आने लगेगी वैसे वैसे इन शब्दों और स्वर में विन्यास और खूबियें शुरू होंगी, वहां उनको तोड़ना मरोड़ना शुरू करेंगे उस समय व्यजंनों का प्रादुभाव होगा क, ख, आदि शब्द निकलेंगे । व्यंजन विकास देखा जाय तो क, ख, च

Page No.46

(श्री नारायणसिंह)

ट आदि गले से, फिर दांतों आदि से पहुंचकर व्यंजन विन्यास होता है। तो इस दृष्टि से हमारी जो वर्णमाला है उसका वैज्ञानिक स्वरूप है और विशेषज्ञों ने स्पष्टतया बताया है कि संसार में कहीं भी स्वर विज्ञान को लेकर कहीं भी वैज्ञानिक वर्णमाला नहीं निकल पायेगी, अंग्रेजी की ए० बी० सी० वगैरह भी इसके मुकाबले में नहीं है। जिस तरह से 'अ' आदि स्वतः निकलते हैं उस तरह दूसरे नहीं निकलते। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि जब हमारी वर्णमाला का इतने वैज्ञानिक ढंग से निर्माण हुआ है और सदियों से ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों से प्रचलित रही है, तो उसके मोड़–तोड़ में हमें काफी ध्यान रखना चाहिये। यह बात ठीक है कि हम प्रयोगसिद्ध ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन हम बुनियाद में ऐसी तकलीफ नहीं पैदा कर दें जिससे कहीं 'क' है, तो कहीं 'फ' है, तो कहीं 'म' से शुरू होता है। यह आपकी विचार धारा से ठीक हो सकता है लेकिन मेरी यह मान्यता बिल्कुल निश्चयात्मक है कि हमारा स्वर ज्ञान इसी परिपाटी से होना चाहिये। जैसा होता आया है उसको किसी प्रकार से हम सामने लावें, यह बात दूसरी है।

श्री अध्यक्ष : Your time is up now.

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है कि थोड़ा समय दिया जाय ताकि सब बोल सकें।

श्री नारायणसिंह : थोड़ा ही बोलूंगा।

श्री अर्जनदास : I think the idea underlying this suggestion is that other Resolutions might be taken up. The idea that all should speak on the same Resolution is not a healthy one.

श्री अध्यक्ष : The idea is that every one should have a chance to speak.

श्री अर्जनदास : How are you going to take up the other Resolutions then ?

श्री अध्यक्ष : I don't know.

Please wind up within two minutes.

श्री नारायणसिंह : तो आज जब हम एक नई शिक्षा पद्धति का निर्माण करने चले हैं, उस समय, हम इतने बरी नहीं हो सकते। राष्ट्रीयकरण को इतना फ्रूटफुल बनना है कि हमें पीछे कदम नहीं उठाना पड़े। इसमें जो त्रुटियें हैं उस ओर ध्यान देना चाहिये।

हमारे सामने और इस सदन के सामने कुछ दिनों पहले एक विचार–धारा आई थी कि हमारा जो प्रजातंत्र है वह एक प्रकार से सहकारिता पर आधारित हो, यह एक सही, प्रचलित विश्वास है और फाइनेन्स की दृष्टि से ठीक भी हो सकता है। आज हमें जिस नये समाज को बनाना है, उस एक प्रकार के रचनात्मक प्रजातंत्र के आधार पर बनाना है और इस प्रकार के समाज के निर्माण के लिए सरकार को बड़े भारी कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार के गलत कदम भी पड़ सकते हैं, लेकिन कोई गलत नीति बना दी जाय, यह समझ में नहीं आता। इस संकल्प के ऊपर अभी जो माननीय श्री बहादुरसिंहजी ने अपना संशोधन रखा था,

(श्री नारायणसिंह)

वह कुछ ठीक मालूम पड़ता है, उसमें कुछ ठीक दिशा में जाने का संकेत है वे कहते हैं :

"चतुर्थ पंक्ति में शब्द 'पूर्णतया असफल रही है' के स्थान पर 'सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है, 'को जोड़ दिया जाय।"

इसमें मुझे कुछ आपत्ति हैं, सफलता प्राप्त करने का ज्ञान तो, जिस समय पाठ्य पुस्तकें प्रयोग में आयेंगी, उस समय होगा। आज नहीं कह सकते कि सफलता प्राप्त हुई अथवा नहीं। दूसरे वे कहते हैं :

"अंतिम पंक्ति 'का अविलम्ब त्याग कर दिया' शब्द के स्थान पर 'को शीघ्र सफल बनाने का प्रयास किया' जोड़ दिया जाय।"

इसके साथ में मैं पूर्णतया सहमत हूं यह चीज जोड़ने में कोई विरोध नहीं है। और इसके साथ ही जो दलील दी गई कि इनकी कीमतें ज्यादा हैं, यह भी मैं खुद अनुभव करता हूं कि क़ीमतें ज्यादा हैं। हम जब कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों को इतना भारी आर्थिक बोझ उठाने के लिए हमें मजबूर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तकों के कागज के बारे में कहा गया, मुझे समझ में नहीं आता कि यह कागज मोटा है। मैं समझता हूं कि इससे बालकों को पुस्तकों को उलटने पुलटने में सहूलियत होगी। मैने ऐसी अंग्रेजी की पुस्तकें देखी हैं, जिनमें इस प्रकार के कागज मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ अक्षरों के बड़े और छोटे होने का सवाल उठाया गया। मैं समझता हूं कि जब विद्यार्थी को पढ़ने के लिए बिठाते हैं, तो उसमें बड़े और छोटे अक्षरों का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अक्षरों के बड़े होने की आवश्यकता है, यह तर्क पूरी तरह नहीं बैठता, यह दलील पूरी तरह समझ में नहीं आई। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि जहां तक पुस्तकों के मूल्य का सवाल है वह ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व का पाठ, मैं मानता हूं, पुस्तकों में छूट जाता है। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमें पुस्तकों में मोरललैसन्स का समावेश करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का पूरी तरह विकास कर सकेंगे, उनमें व्यक्तित्व का संचार होगा। यदि ऐसा न होगा तो मुझे भय है कि कहीं बड़े बड़े विद्वानों का हमारे प्रति उपालम्भ हो।

श्री जनार्दनराय नागर (भावली) : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस सदन मे राजस्थान सरकार की पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति के सम्बन्ध में रखा गया है और उस संकल्प के द्वारा जो यह मांग की जा रही है कि पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने की जो सरकार की नीति हैं, उसका सरकार अविलम्ब त्याग कर दे। मैं समझता हूं, इससे दुर्भाग्य पूर्ण गैर सरकारी संकल्प इस सदन में नहीं आया होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि राष्ट्रीयकरण के प्रश्न को लेकर इस प्रतिष्ठित सदन में कई बार, कई अवसरों पर इस प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं कि सरकार पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति को आरम्भ नहीं करना चाहती। आज देश में इस बात की मांग जन-समुदाय द्वारा हमारे सामने रखी जाती है कि अनेक ऐसे विषय हैं, अनेक ऐसी स्थिति हैं, उनके ऐसे आवश्यक कार्य हैं, जिनको व्यक्तिगत आधार पर न कर सकें तो सरकार और राष्ट्र को उसका संचालन करना चाहिए। आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राष्ट्रीयकरण के मामले में सामुहिक रूप से, जनता की मांग सरकार के

(श्री जनार्दनराय नागर)

सामने कई तरफ से, कई आग्रहों के साथ पड़ी हुई है। मुझे आश्चर्य हुआ यह जान कर कि इस संकल्प के द्वारा, पाठ्य–पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण की नीति का सरकार अविलम्ब परित्याग कर दे, ऐसी मांग की जा रही है। मैं इसके बजाय यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनके द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, वह न देकर एक प्रकार से इस ओर कुछ प्रयत्न किया है। हमने जब पाठ्य–पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने का कार्य प्रारम्भ किया है, तो कई व्यवहारिक कठिनाईयां सरकार के सामने, विद्यार्थियों के सामने आई हैं, लेकिन व्यवहारिक कठिनाइयों की वजह से हमारी राष्ट्रीय नीति का जो महत्वपूर्ण और मूलभूत आधार है, उसका इतनी सरलता से परित्याग करने की बात सोचते हैं, मैं समझता हूं, कि राष्ट्रीयकरण की जो आधारभूत नीति है, उसका अनादर करने का दृष्टिकोण होगा। कितनी ही गड़बड़ियां हों, कितनी ही कठिनाई सामने आयें, कितनी ही देर हो, हमें इनका सामना करना पड़ेगा। हमें निश्चित रूप से राष्ट्रीयकरण की नीति में धीरे धीरे आगे जाना है और राष्ट्रीयकरण के विषय में, मैं समझता हूं, पहला विषय पाठ्य–पुस्तकों का हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण, मेरे ख्याल से कुछ देर से किया है। सरकार के द्वारा पाठ्य–पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो जाय, इसकी मांग आज से तीन साल पहले से, अध्यक्ष महोदय, सरकार के सामने रखी जा रही है। आज से तीन साल पहले राजस्थान सरकार ने शिक्षा की पुरानी व्यवस्था के लिये एक उच्च स्तर की कमेटी कायम की थी और उस कमेटी ने एक मत से सरकार को यह सिफारिश की थी कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य–पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। इस मांग के पीछे एक भावना थी कि व्यक्तिगत रूप से प्रकाशकों द्वारा लेखकों का शोषण होता है और पाठ्य–पुस्तकों के द्वारा विद्यार्थियों का शोषण होता है। मैं समझता हूं इस शोषण को बन्द करने का विषय हमारे सामने था। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि व्यक्तिगत प्रकाशकों के द्वारा न केवल विद्यार्थियों का, उनके माता पिता का मुनाफे की दृष्टि से शोषण किया जाता था, लेकिन लेखकों का भी भारी शोषण होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे पाठ्य–पुस्तक की सरकारी समितियों में रहने का अवसर मिला है। मैं जानता हूं आज से तीन साल पहले, राष्ट्रीयकरण होने के तीन साल पहले, तक, हमारे राजस्थान में बुरी तरह प्रकाशकों द्वारा माता–पिताओं का विद्यार्थियों का आर्थिक दृष्टि से किस प्रकार शोषण किया जाता था और सबसे बड़ी दुखद बात यह थी कि लेखकों का निर्मम शोषण प्रकाशक लोग करते थे। राजस्थान सरकार केवल एक सूचना प्रसारित करती थी कि हमें अमुक २ पाठ्य–पुस्तकों की जरूरत है और इनमें अभ्यास क्रम का अमुक आधार होगा। प्रकाशक लोग लेखकों से पुस्तकें लिखवाते थे और कुछ प्रकाशक इधर उधर से, पाठ्य–पुस्तकों से, अखबारों से, मासिक पत्रों से संग्रह तैयार करके सरकार के सामने मसविदा पेश करते थे और यह प्रक्रिया राजस्थान प्रान्त के निर्माण के समय से बराबर चली आ रही थी और विभिन्न राज्यों में भी यह क्रम जारी था। बेचारे लेखकों का शोषण प्रकाशक करते थे और उनको ५०० रु०, १००० रु० देकर मशविदा तैयार करवा

(श्री जनार्दनराय नागर)

लेते थे, वे मसविदे राजस्थान सरकार की टैक्स्ट बुक्स कमेटी के सामने आते थे और उन मसविदों को दिखाकर बाद में छपवा कर मनमानी कीमत पर, बिना सरकार की मंजूरी लिये, बराबर बेचते थे। जो मुख्य प्रश्न शिक्षा शास्त्रियों के सामने था, वह इस प्रकार का था कि इस प्रकार का शोषण, इस प्रकार की परिस्थिति को अविलम्ब दूर किया जाय। राष्ट्रीयकरण की ओर कदम उठाये तो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह था कि विद्यार्थी की वय की दृष्टि से, कक्षाओं का वय से समन्वय करने की दृष्टि से, विद्यार्थियों के मानस का भौतिक पक्ष विकसित हो, हार्दिक पक्ष विकसित हो, व्यक्तित्व के विकास की आवश्यकता का और वय और कक्षा के समन्वय का हमारे सामने सवाल था। इसलिए यह मांग थी कि सरकार राष्ट्रीयकरण जल्दी से जल्दी करे क्योंकि प्रकाशक लोग जिस तरह की पाठ्य–पुस्तकें बनाते थे, वह अच्छे और बुरे संग्रह हुआ करते थे, उनके सामने कोई व्यक्तित्व की शिक्षा या व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा का प्रश्न नहीं था। यह इतना बड़ा सवाल था कि हम नहीं चाहते कि प्रकाशक मनमाने ढंग से पुस्तकों को तैयार करवाये और राजस्थान के बनने वाले नागरिक, जो आज पौधे हैं, उनके मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और हार्दिक विकास की आवश्यकता सरकार न महसूस करे। मैं मानता हूं कि शिक्षा का प्रश्न, पाठ्य–पुस्तकों का प्रश्न, इन दोनों विषयों की संयोजना की जाती है, तो उससे बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। पाठ्य–पुस्तकों के अभ्यासक्रम में इन दोनों विषयों का संयोजन हो, इसके लिए सरकार के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए पुस्तकों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर दिया। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि प्रस्तावक महोदय ने अधिक वकालत प्रकाशकों की की है। यह निश्चित बात है कि राष्ट्रीयकरण के कारण पुस्तकें देर से मिलीं और निश्चित रूप से प्रकाशकों का, जो अब तक लेखकों, का बच्चों के माता पिताओं का शोषण करते थे, विरोध का प्रश्न है और वे चाहते हैं कि सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति असफल रहे। जब इस तरह के नारे लगाते हैं, मुझे क्षमा किया जाय, अध्यक्ष महोदय, वे प्रकाशक हैं, जो पुस्तकों को छपवाते थे और विद्यार्थियों को ज्यादा कीमत में बेचते थे। मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण होना अवश्यमभावी था और एक न एक दिन होना था। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सदन के माननीय सदस्य प्रकाशकों की वकालत कर रहे थे। प्रकाशक चाहे जितना विरोध करें। भले ही पुस्तकों के प्रकाशन में देरी हुई है, मैं समझता हूं कि जो पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना सरकार ने आरम्भ किया है, वह दुरुस्त है और सरकार को साहस और हिम्मत के साथ इस नीति को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो पाठ्य–पुस्तकें हमारे सामने आई हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मुझे बहुत खुशी हुई अध्यक्ष महोदय, कि जब पाठ्य पुस्तकें सबसे पहली बार प्रकाशकों के पास पहुंचीं तो जहां एक बात का विरोध करते थे कि समय पर सरकारने पुस्तकें नहीं भेजीं पर उन पुस्तकों को देखने के बाद जो प्रति–क्रिया हुई वह यह थी कि सरकार ने पाठ्य पुस्तकें ठीक बनाई हैं। तो जो सवाल हमारे सामने है, वह केवल इतना ही नहीं है कि पुस्तकें देरी से आईं, या कागज समय पर

(श्री जनार्दनराय नागर)

मिल सका या नहीं, टेन्डर ठीक तरह से नहीं लिये गये, या टेन्डर कम कीमत पर दे दिये गये, इन पर कह दें कि ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर निर्णय पर पहुंचना चाहें कि सरकार समस्त राष्ट्रीयकरण की नीति को त्याग दे, मुझे क्षमा करें, इस आधार पर, इन कारणों पर पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करते हैं, कल्पना करते हैं, तो हमारी कल्पना थोथी कल्पना है।

इन दोनों सवालों को सामने रख कर अगर हम विचार करें तो सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति के बारे में उसे मैं सही मत मान सकूंगा। पहला सवाल यह है कि सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है वह सही है कि नहीं, दूसरा सवाल यह है कि पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण, प्रकाशन आदि में सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है कि नहीं। पर इन दोनों सवालों का आपस में सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् व्यवस्था ठीक होनी चाहिये, त्रुटियां रहीं, यह जांच करने की बात है, इरादतन सरकार के व्यवस्थापकों ने गड़–बड़ी की, यह जांच करने की बात है, सरकार से सूचना प्राप्त करने की बात है। आपने और हमने, अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रयास किया कि गांवों में सहकारी समितियां स्थापित करें तो व्यक्तिगत मुनाफा कमाने वाले हमारे समाज के संक्रामक तत्व हैं, इसका विरोध करते हैं, व्यक्तिगत मुनाफा कमाने वाले इसका विरोध करेंगे, किसी भी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करें, चाहे वह उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, वहां व्यक्तिवादी मुनाफाखोरों के तत्वों से संघर्ष करना पड़ेगा। यदि इस संघर्ष के कारण आप कहें कि राष्ट्रीयकरण की नीति को त्याग दें, तो मेरा कहना यह है कि यदि इस राष्ट्रीयकरण की नीति को सरकार त्यागना चाहे तो भी यह सदन नहीं त्यागने देगा।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जो पाठ्य पुस्तकें आई वे अच्छे स्तर की आई कि नहीं, यह विचारने की बात है। वृहद् राजस्थान के निर्माण के बाद सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह था कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय। सबसे अहम सवाल था पाठ्य पुस्तकों का। पाठ्य पुस्तकों का सवाल आता है तो यह समझते हैं कि इधर उधर से पाठ इकट्ठे कर के पाठ्य पुस्तकें बना दें। पाठ्य पुस्तकें बनाने का सवाल है वह हमारे नौजवान बालकों के मस्तिष्क को बनाने का, उनकी नई मंशा बनाने का, नये ख्याल, नई विचार-धारा, नई कल्पना के गुम्फन के द्वारा उनके विकास का सवाल है। आपको, हमको फैसला करना है कि यदि हम नये जनतन्त्री राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं - तो इस तरह के नव निर्माण के लिये नई पाठ्य पुस्तकें देना चाहते हैं कि नहीं ? आज जिन जिन देशों ने उन्नति की है, रूस ने सामाजिक दृष्टि से इन्कलाब किया, चाइना ने नई समाजवादी व्यवस्था का निर्माण किया, वहां की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय, कि समूचे नये मस्तिष्क के विकास का, नई भावना के निर्माण का प्रयास किया है, नई पाठ्य पुस्तकों के जरिये इस बात की कोशिश की है कि नये चीन का मस्तिष्क विकसित हो। आज हम राजस्थान में भी यही करने जा रहे हैं, राजस्थान के बालकों का नया मस्तिष्क बने, नया दिमाग बने और इसके लिये सरकार की जो पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे नीति है वह निस्संदेह शुभसूचक प्रारम्भ है। जहां तक विद्यार्थियों की आकांक्षाओं का, गति विधि का सवाल है वे प्रारम्भिक प्रयत्न में नहीं आ सकते; पर जो सरकार की पाठ्य पुस्तकों

(श्री जनार्दनराय नागर)

के बनाने की, इनके राष्ट्रीयकरण की नीति है, वह ठीक आधार पर है। इस तालिका को देखें तो पता चलेगा कि सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में आधारभूत विषय ले लिये हैं, वे आधारभूत विषय यह हैं; स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विज्ञान, नागरिकता, सहकारिता, विकास, आविष्कार, देश परिचय, विदेश परिचय और जीवन चरित्र। मैं समझता हूं कि बालक कक्षा में पढ़ने आता है और उसे इस विशेष आधार पर बनी हुई पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं तो निश्चय से हमारे देश का लक्ष्यभेद है, आकांक्षाएं हैं, देश के निर्माण की कहें, बालकों के मस्तिष्क के विकास करने का प्रयत्न है, उसमें अग्रसर हुए हैं। देश के अन्दर जो नया जनतन्त्रीय चैतन्य पैदा हो रहा है बालकों के मस्तिष्क से जोड़ा नहीं जाता, परन्तु वहां पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नया हिन्दुस्तान शिक्षा के जरिये बनाना चाहते हैं, नये भारतीय मानव की धारणा लेकर चलते हैं, उससे इन्कार करते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं। पाठ्य पुस्तकों का चयन किया गया है वह एक उचित और शुभ प्रारम्भ है। मैं समझता हूं बालकों की रुचि और दिलचस्पी का जहां तक सम्बन्ध है, विषय के अनुसार इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सावधानी के साथ इसका खयाल रखा गया है। यह दूसरी बात है कि बालकों के समूचे, वैज्ञानिक दृष्टि से, विकास के लिये क्या प्रयास किया गया है, यह प्रारम्भ में सम्भव नहीं। सही सही सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य, विज्ञान, नये नये विषयों का ज्ञान, नया मसाला विद्यार्थियों को परोसने का सरकार द्वारा प्रबन्ध किया गया है। इसका जो यह विरोध किया जारहा है वह नई चेतना, नई गति विधि में चेतना विद्यार्थियों के मस्तिष्क में सरकार लाना चाहती है, उसका विरोध किया जा रहा है। यदि पुराने जमाने के पुराने मस्तिष्क को जारी रखने का प्रयत्न सरकार करती है और यह दलील आती है तो मैं मान सकता था कि यह राष्ट्रीयकरण की नीति से जो पाठ्य पुस्तकें सरकार ने रखी हैं, उस नीति को त्याग दें क्योंकि जो नीति पुराने मस्तिष्क को जारी रखने का प्रयत्न करती है उसे त्याग देना चाहिये। पर इस राष्ट्रीयकरण की नीति से नई नीति की दृष्टि से, बालकों में नया मस्तिष्क, नई चेतना, नया जीवन बनाने का प्रयत्न किया है उसके लिये आप कहें कि इसे सरकार छोड़ दे, तो हम आपका साथ नहीं दे सकते।

इस नई नीति के प्रारम्भ की वजह से कुछ खामियां रह गई हैं कुछ त्रुटियां रह गई हैं, केवल उनकी वजह से सरकार को कहें कि राष्ट्रीयकरण न करे तो यह कोई सेवा करने जैसी बात नहीं होगी। इसके विपरीत वे कहते कि सरकार को कोई खास दिक्कत आई है तो उनको दूर करे और अधिक से अधिक राष्ट्रीयकरण करे, अधिक से अधिक विज्ञान, नये विकास, नई मानसिक स्थितियों का ध्यान रखे, व्यक्तित्व निर्माण की कुशलताएं, योग्यताएं हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान रखे और ऐसी व्यवस्था करे कि अच्छी पाठ्य पुस्तकें हमारे सामने आ सकें। सरकार ने एक शिलान्यास किया है राष्ट्रीय पुस्तकों का। हमें ऐसी विधि अपनानी चाहिए जिससे कि हम निरन्तर इन पाठ्य पुस्तकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंतरंग विकास बराबर कर सकें। आज पाठ्य पुस्तकों का सवाल लेकर चलते हैं तो हमारे सामने व्यवहारिक समस्या आती है। जो हमारे सामने बालक हैं, माता पिता हैं हमारे सामने पढ़ने वाले हैं; हमारे सामने सबसे पहले तो सवाल यह है कि नये भारतीय मस्तिष्क

(श्री जनार्दनराय नागर)

और चेतना की दृष्टि से इन पाठ्य पुस्तकों में वैज्ञानिक प्रगति करें। इस सवाल को हल करने के लिए यदि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो यह सवाल कभी हल नहीं हो सकता था। प्रकाशक क्या मंशा लेकर चलते हैं? आज के इस वर्तमान युग में केवल यही चाहते है कि उनकी पुस्तकें अधिक से अधिक संख्या में बिकें, यद्यपि मैं समझता हूं कि हम यह मानकर चलेंगे तो हम स्वयं अपने आप को खतरे में डालेंगे। इसमें जो लेखक हैं और सम्पादक हैं वे सब के सब सरकारी हैं ऐसा कहा गया। लेकिन वह सरकारी होने के नाते अयोग्य साबित होते हों, मैं इस दलील का हामी नहीं हूं। सरकार ने एक व्यवस्था को हमारे सम्मुख लाकर रख दिया है और प्रत्येक पुस्तक के बारे में सम्पादक मन्डल कायम किये गये हैं और उसके द्वारा जो पुस्तकें बनीं उसके लिए समकालिक नियुक्त किए गए और पुस्तकों को अन्तिम रूप से मुद्रण के लिए स्वीकार किया है। सरकार की निष्पक्षता का क्या प्रमाण चाहते हैं? बड़े बडे जो अध्यापक हैं और जो सम्पादक मण्डल है वे सब के सब सरकार के आदमी हैं, यह दूसरी बात है। मैं नहीं समझता कि इसमें पक्षपात का प्रमाण मिल सकता है।

इन पाठ्य पुस्तकों को जब मैंने पहली बार बाजार में देखा तो अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कामना हुई कि मैं वापिस पहली कक्षा में चला जाऊं। मैंने पुरानी पुस्तकों को भी देखा है और मुझे आशा है कि इन पुस्तकों के सामने कोई भी विद्यार्थी उन पुरानी पुस्तकों को हाथमें नहीं लेना चाहेगा। हमारी नासिका और आंखों से यदि पुरानी ही पुरानी बातों की सुगन्धि आती है तो दूसरी बात है, लेकिन हमें तो नई सुगन्धि चाहिए, नई चेतना चाहिए। तो हिम्मत के साथ पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के कुछ खतरे उठाकर इस नीति को जारी रखना चाहिए।

दूसरी बात यह कही गई माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इन पुस्तकों में कुछ विषय रह गए हैं। धार्मिक और नैतिक दृष्टि से इन पाठ्य पुस्तकों में कमी है। मैं कहना चाहूंगा कि धार्मिक और नैतिक मामले में सीधी तरह से पड़ने का मनोविज्ञान में कोई स्थान नहीं है। इस प्रश्न को यहां सदन में इस प्रकार से उठाकर रखा जाय तो मैं समझता हूं कि जो क्रम इन पाठ्य पुस्तकों के लिए जारी किया है उससे हम बहुत दूर चले जायेंगे। दो विषय लिये गये हैं, उनमें धार्मिक या नैतिक, जो भी समाज के विषय हैं, उनको यहां पर नहीं छूआ गया है। कुछ महान् पुरुषों के जीवन-चरित्रों के द्वारा, विद्यार्थियों के सामने एक नये जीवन का विकास हम करना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, मोहम्मद-साहब के जीवन चरित्र इसके अन्दर दिए गए हैं। नैतिक शिक्षण देने का जो वैज्ञानिक से वैज्ञानिक तरीका है वह यह है कि जो महान् आदर्शवादी पुरुष हैं, जिन्होंने मानव जाति की भावना में बड़ा प्रभाव किया है उनके जीवन चरित्रों को विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए और पुरानी शिक्षा प्रणाली के द्वारा भींतों पर लिखकर जो नैतिकता की शिक्षा देने का उपक्रम हमारे देश में चल रहा था, मैं इस प्रकार के नैतिक शिक्षण का व्यक्तिगत रूप से बहुत विरोधी हूं और मानसिक ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका चला आया है मैं उसको वैज्ञानिक नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि सब प्रकार का शिक्षण दिया जाना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

(श्री जनार्दनराय नागर)

अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यदि मुझे थोड़ा समय और प्रदान करते । मगर मैं जानता हूं, यह आपकी विवशता है और मेरी भी विवशता है, इसलिए मैं अधिक न बोल कर अपने थोडे से विचार सदन के सामने रख दूंगा । सरकार ने इस राष्ट्रीयकरण की नीति को ठीक ही उठाया है और इसको राजनैतिक दृष्टि से कभी नहीं सोचा । यदि इन पाठ्य–पुस्तकों को आप देखेंगे तो आप स्वयं मानेंगे कि सरकार ने एक नया ही कदम उठाया है । यहां बहुत सी गड़बड़ियों के बारे में बातें हुई.........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो प्रस्ताव आया है उसके बारे में मैं अनुभव करता हूं कि यह जो प्रस्ताव है उसमें प्रस्तावक महोदय, स्वयं अपने विचारों को या तो उसमें रख नहीं सके या जो विचार उन्होंने इसमें रखे हैं वे बिलकुल गलत हैं । प्रस्ताव यह है कि :

"राजस्थान विधान सभा यह अनुभव करती है कि सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण करने की नीति पूर्णतया असफल रही है........

ये जो शब्द हैं ये बिलकुल गलत हैं, क्योंकि राष्ट्रीयकरण की नीति के अन्तर्गत तो राष्ट्रीयकरण कर ही लिया गया है । तो नीति असफल रही, यह कैसे माना जा सकता है ? हां, राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए यह दूसरी बात है । लेकिन नीति असफल रही है यह कहना तो बिलकुल गलत है, प्रस्ताव से ही । क्योंकि राष्ट्रीयकरण तो कर लिया गया है इसलिए नीति का जहां तक सवाल है वह सफल रही है ।

आगे यह कहा गया कि, "अत: यह प्रस्ताव करती है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति का अविलम्ब त्याग कर दिया जावे ।" एक तरफ तो वे खुद राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं, राष्ट्रीयकरण की नीति असफल रही है इसलिए हटा दिया जाय । मेरे लायक मित्र वकालात जानते हैं, लेकिन फिर भी वे शायद अपने विचारों को पूर्णतया इसके प्रस्ताव के अन्दर नहीं रख सके । लेकिन जो प्रस्ताव इस वक्त हमारे सामने है और जो प्रस्तावक महोदय ने प्रस्ताव में रूपरेखा बताई, यह तो विचारने के योग्य नहीं हो सकती और यह प्रस्ताव पास होने के योग्य कदापि नहीं है । अब हम प्रस्ताव की और देखते हैं तो यह मैंने अभी कहा यह बात है और उसके ऊपर जो संशोधन आया है उसकी भी मैं मुखालफत करता हूं क्योंकि उसके अन्दर यह बताया गया है कि "राष्ट्रीयकरण की नीति पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकी" । मैं कहता हूं कि कैसे सफलता प्राप्त नहीं कर सकी ? हमें पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना था जिसमें हम राष्ट्रीयकरण करके सफल हो गए । अब आगे जाकर संशोधन पेश-कर्ता कहते हैं कि "शीघ्र सफल बनाने का प्रयास करेंगे" किस तरह करेंगे ? क्या राष्ट्रीयकरण के आलावा इसके लिये कोई दूसरा कानून बनायेंगे ? इसलिए मैं कहता हूं कि प्रस्ताव और संशोधन दोनों ही हमारी राष्ट्रीयकरण की नीति जो कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करके अपना ली गई है उसके विपरीत है । इसलिए यह प्रस्ताव व संशोधन दोनों मानने योग्य नहीं हैं । अब मैं उन बातों पर विचार प्रकट करूंगा जो कि प्रस्तावक महोदय ने अपने विचार प्रकट किये हैं । उन्होंने यह बताया है कि यह राष्ट्रीयकरण करके कांग्रेस

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

अपनी विचारधारा इस देश में प्रचारित करना चाहती है, या कांग्रेस सरकार अपनी विचारधारा देश में फैलाना चाहती है। मैं यह बताना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस की विचारधारा इस देश के विपरीत है ? कांग्रेस की विचारधारा से देश स्वतंत्र हुआ। कांग्रेस की विचारधारा से आज योजनायें बन रही हैं, देश का कल्याण हो रहा है। ऐसी हालत में कांग्रेस की विचारधारा क्या ऐसी विचारधारा है जिससे शायद आप लोग बरबाद व गुमराह हो रहे हैं....

श्री अर्जुनदास : Does he really mean what he suggests ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : अब यह कहा गया कि पुस्तकों के कॉन्ट्रेक्ट देने के अन्दर कुछ गड़बड़ियां हुईं। लेकिन यह प्रस्ताव जो यहां लाया गया है वह इस बात का नहीं है कि जो राष्ट्रीयकरण किया गया, उसकी व्यवस्था में इर्रैग्युलेरीटीज़ की गई हैं, उन इर्रैग्युलेरीटीज़ को शीघ्र मिटाया जाय। अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव होता तो शायद सदन के सभी सदस्य इस पर विचार करते। लेकिन हमारे सामने तो प्रस्ताव यह है कि जो राष्ट्रीयकरण की नीति है वह असफल रही है। तो ये दोनों बातें बिलकुल ही प्रस्ताव के विपरीत हैं। राष्ट्रीयकरण की नीति तो बिलकुल सफल रही है। ऐसी अवस्था में प्रस्ताव के खिलाफ दूसरे मुद्दों पर विचार करना आवश्यक नहीं है। हमें तो प्रस्ताव के ऊपर ही विचार करना है। बाकी जो विचारधारा प्रकट की जा रही है वह प्रस्ताव के विरुद्ध है। अब क्योंकि जिस बात के लिये प्रस्ताव ही नहीं है उस पर कहना व्यर्थ होगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव की धारणा है उसको प्रस्तावक महोदय ने खुद ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीयकरण करने की नीति ठीक है। अतः मैं आशा करूंगा कि प्रस्तावक महोदय और संशोधनकर्ता दोनों ही अपने प्रस्ताव भी वापिस ले लेंगे।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की जो नीति सरकार ने अपनायी है उसमें वह असफल रही है इसलिए उस नीति का त्याग कर देना चाहिये माननीय अध्यक्ष, मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं केवल कुछ बातें ही आपके सामने रख देना चाहता हूं। हमारी सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना के सिद्धान्त को मान लिया है और इस समाज की स्थापना के लिये हमारी सरकार ने आज तक जो प्रगति की है उसमें पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना भी शामिल है, यह हमारे लिये खुशी की बात है कि सरकार ने इस ओर थोड़ा बहुत कदम उठाया तो है।

माननीय अध्यक्ष, समाजवादी समाज के अन्दर यह लक्ष्य रहता है कि शोषण का अन्त कर दिया जाय, इस ओर सरकार ने कदम उठाया है। जिन माननीय सदस्य ने सदन के सामने यह प्रस्ताव पेश किया है उन्होंने यह बताया है कि सरकार छात्रों तक पुस्तकें पहुंचाने में असफल रही है। क्या इसी कारण वे राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध कर रहे हैं ? उसके लिये यह दलील कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने इस नीति को त्यागने

(श्री गिरधारीलाल)

के लिये कोई दलील नहीं दी। माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार बुद्धिजीवी लोगों को खरीद भी रही है। बुद्धिजीवियों को आजतक पूंजीपति लोग खरीदते आये हैं, सरकार कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिसमें बुद्धिजीवी लोगों का खरीदना कहा जाय, बुद्धिजीवी खरीदे नहीं जाते हैं। बुद्धिजीवियों को पूंजीपति लोग खरीदने की कोशिश किया करते थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण की जो पद्धति सरकार ने अपनाई है उसमें बुद्धिजीवियों को कैसे खरीदा जा सकता है, यह बड़े अचम्भे की बात है। यह मैं भी मानता हूं कि छात्रों तक पुस्तकें नहीं पहुंची, हो सकता है राष्ट्रीयकरण की जो नीति सरकार ने अपनायी है वह नयी नीति है, उसमें पूर्णतया सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, इस कारण यह हो सकता है कि यह नया नया धंधा था सरकार के लिये, उसका ज्यादा अनुभव नहीं था, इसलिये सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अलावा और भी अनेक कारण हो सकते हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इसमें सरकार सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। इसी कारण पूंजीपतियों के प्रतिनिधि आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि इस नीति का त्याग कर देना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की नीति आजकल के समाज से मेल नहीं खाती। जनसंघ से आने वाले माननीय सदस्य इस नीति को समयानुकूल नहीं मानते। मैं पुरजोर शब्दों में इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और सदन के अन्य सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को ठुकरा दें।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन के सामने है उसका, मय संशोधन के, मैं समर्थन करता हूँ। मेरे खयाल में पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का सवाल जो है उससे हमें खुश होना चाहिये। हमें यह मानना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण से पहले जो बड़ी गड़बड़ियां हुआ करती थीं उसमें आज बहुत कमी हुई है जरूर। लेकिन मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीयकरण की पोलिसी तो वह जरूर अपनायें, इसके साथ साथ मैं यह भी जरूर कह देना चाहता हूं कि अजमेर में जो सिन्धी स्कूल चलाये जा रहे हैं, जहां सिन्धी भाषा की किताबें पढ़ायी जाती हैं, उन स्कूलों के लिये भी राष्ट्रीयकरण की नीति सरकार को अपनानी चाहिये। गवर्नमेन्ट को मैं निवेदन करूंगा कि अगर हो सकता है तो इन पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर इनको भी अपने हाथ में ले ले और गवर्नमेन्ट अपनी तरफ से छपवाकर शाया कर दे। लेकिन मुझे डर है कि आज जो उधर की हालत है कि एक सिन्धी की किताब जो दो आने में बिकनी चाहिये आठ आने में बेची जाती है। सरकार को मेरी सलाह है कि वह राष्ट्रीयकरण की नीति हमारी सिन्धी भाषा की किताबों के लिये भी लागू करे। लेकिन आज उनसे यह हो नहीं सकेगा। मुझे आशा है, इस वर्ष से हमारी सरकार सिन्धी भाषा की किताबों के लिये भी यही नीति लागू कर देगी और आयन्दा साल में स्कूलों के शुरू होने से पहले लड़कों को वे किताबें मिल जायंगी। मुझे इसमें डर एक चीज का लग रहा है, वह भी मैं आपको बता दूं। राष्ट्रीयकरण सिन्धी भाषा की किताबों का सरकार करेगी नहीं, वह पहले से ही इस

श्री अर्जनदास)

बात को जानती है। मैं आपको पहले ही कह दूं। अगर आपने राष्ट्रीयकरण सिन्धी भाषा की किताबों का कर दिया और आने वाली अप्रेल से उनको लागू कर दिया तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो खड़े होकर आपको धन्यवाद दूंगा। मुझे डर इस बात का है कि गवर्नमेन्ट करेगी नहीं, क्योंकि अजमेर शहर के अन्दर सिन्धी पुस्तकें जिसके द्वारा शाया होती हैं वह एक छोटी सी टोली है जो सफेद टोपी वालों की टोली है, जो दो आने में किताब छपवाते हैं और आठ आने में बेचते हैं। इससे बच्चों पर बहुत भार पड़ता है। डर मुझे सिर्फ इस बात का है कि यह कार्य करने वाले जितने भी हैं वह सफेद टोपी वालों की टोली है, इसलिये सरकार उन पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपमें हिम्मत है तो आप उधर भी जरूर ध्यान देवें।

१२–मध्यान्ह

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, इस संकल्प का मैं विरोध करता हूं। वह विरोध मैं इसलिये नहीं करता कि यह संकल्प हमारे एक विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य की ओर से आया है, बल्कि विरोध इस आधार पर मैं करता हूं कि यह संकल्प समय की और युग की आवश्यकता के विरुद्ध है। इस प्रकार का संकल्प लाना समय की घड़ी की सूई को पीछे हटाने के समान है। आज के युग में राष्ट्रीयकरण की नीति का विरोध करना, मैं समझता हूँ, समय की आवश्यकता को नहीं पहचानना है। इससे ऐसा लगता है कि प्रस्तावकर्ता ने राष्ट्रीयकरण की भावना को और उसकी नीति के फलितार्थ को समझने का प्रयास ही नहीं किया। विदेशी दासता से मुक्ति पाने के बाद हमारा देश आज हरेक चीज में, हरेक दिशा में, राष्ट्रीयकरण की नीति की ओर जा रहा है, हम धीरे धीरे इस दिशा में सफल भी होते जा रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। हमने आरम्भ में अपनी सरकार का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया और हम इसमें सफल भी हुए हैं।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of information, Sir, what is the "राष्ट्रीयकरण of सरकार" ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) जिस रुप में हम आज यहां बैठे हैं, यह राष्ट्रीयकरण ही तो है। आज आजादी से पहले विदेशी हुकूमत में विदेशी शासन था। हमारे इस देशी राज्यों के क्षेत्र में भी जो शासन था अराष्ट्रीय था, पर आज राष्ट्रीय शासन है। तो मैं यह कह रहा था कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे जो भावना है वह यह है कि आज के युग में जो पुस्तकें पढ़ाई जावें, उनमें आज के सामयिक, नवीन विचार हों, वे हमारी शिक्षा पद्धति के अनुकूल हों। स्वतन्त्र देश के नागरिकों के लिये जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, उसके अनुकूल हों।

स्वतंत्र देश के नागरिकों की जो विचार-धारा आज के युग में प्रवाहित हो रही है, वह विचारधारा हमें उस शिक्षा से मिले, वह विचारधारा गतिमान हो, ऐसी शिक्षा की हमें आवश्यकता है और उस शिक्षा के साथ साथ सुलभ मूल्य पर पुस्तकें हमारे बच्चों को मिलें, यह भावना राष्ट्रीयकरण के पीछे रहती है। मैं नहीं समझता कि कोई भी माननीय सदस्य इससे इन्कार कर सकता है कि आज तक जो

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हमारी शिक्षणपद्धति रही है उसको देखते हुए यह असम्भव है कि उसमें परिवर्तन न किया जाय या बच्चों के लिये अच्छी, सुन्दर और कम मूल्य की पुस्तकें न मिलें। यह कार्य राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही सम्भव हो सकता है, इसमें भी दो रायें नहीं हो सकतीं। फिर राष्ट्रीयकरण के द्वारा जो पुस्तकें इस समय हमारे सामने आई हैं, उनमें, मैं समझता हूं कि इन सब चीजों का पूरा पूरा ध्यान रक्खा गया है। हां, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता कि कुछ त्रुटियां इनमें भी हो सकती हैं और इसमें और प्रागति की गुंजाइश भी है जो कि की जानी चाहिये, परन्तु फिर भी यह प्रथम प्रयास ही तो है, जिसको देखते हुए भविष्य की सुन्दर और सुखद कल्पना आसानी से की जा सकती है। पहले विदेशी शासन काल में पुस्तकें पढ़ने को हमें दी जाती थीं और इसके बाद में भी कुछ दिन तक जो रहीं, वे किसी भी स्वतन्त्र देश के रहने वाले स्वाभिमानी नागरिक के लिये कभी भी उपयुक्त नहीं थीं और उनके मुकाबले में आज की ये प्रथम प्रयास में ही जो पुस्तकें हमारे सामने आई हैं, उनके लिये इस समय भी कहा जा सकता है कि उनका पहले की पुस्तकों मे कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। मुझे जहां तक स्मरण है, जिस युग में मैं बालक की हैसियत से पढ़ता था, उस युग में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं उन पुस्तकों की आज भी याद करके मुझे घृणा होती है कि वे पुस्तकें कैसे हम पढ़ते थे? वे कितनी अपमानजनक होती थीं हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिये! उस समय भी हमें घृणा होती थी। नमूने के तौर पर मैं बताऊं, जो इतिहास हमें उस समय पढ़ाया जाता था उसमें लिखा था कि वेदों को बनाने वाले गड़रिया थे, आर्य लोग मांस खाते थे और उनमें उस समय इस तरह की कुप्रथाएं थीं, उस तरह की थीं, आदि, आदि।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आज भी यहां वालों ने जो पुस्तकें निकाली हैं उनमें भी उन्होंने लिखा है कि महावीर स्वामी मांस खाते थे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (जारी) हो सकता है किसी ने लिखी हो और यह भी हो सकता है गलत लिखी हो, आप इसका निराकरण करिये। आज तो आपको इसके लिये पूरी आजादी है। खोज करिये और लिखिये। कौन रोकता है आपको पहले की तरह? तो मैं कह रहा था; वह (अश्रव्य) साहब ने हिस्ट्री लिखी थी हमारी और लोंगमेन्स और मेकमिलन को विलायती फर्मों के द्वारा उनके नाम से छपकर यहां आती थीं। उनमें जितनी चीजें होती थीं उनका उद्देश्य मैं समझता हूं कि हमारे देश के नागरिकों के अन्दर, हमारे छात्रों के अन्दर स्वाभिमान की जागृति हो, देश-प्रेम, स्वदेश भावना का उदय हो, यह कभी नहीं होता था, भूले भटके भी नहीं होता था। उनके अन्दर तो जान–बूझकर केवल अंग्रेजों की गुण–गाथाओं का वर्णन होता था, उनको दुनिया में सबसे परिष्कृत, सुसंस्कृत, जाति बताया जाता था, उनकी सभ्यता और संस्कृति का बखान होता था। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति से सर्वथा अपरिचित रक्खा जाता था। ऐसी पुस्तकों का आज से चालीस–पचास वर्ष पहले उस युग में भी हमारे देश में विरोध हुआ था। मुझे जहां तक स्मरण है हर स्वाभिमानी देश भक्तविचारक ने और कवियों ने अपने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

इस विरोध का जगह जगह परिचय दिया है, अपनी कृतियों में और अपने लेखों में भी, लोगों ने सक्रिय विरोध भी उस समय किया था। उर्दू के एक महाकवि ने उस वक्त भी लिखा था।
हम वे सारी किताबें काबिले जब्ती समझते हैं।
कि जिनको पढ़के बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं॥

इस प्रकार की भावना उस वक्त भी जागृत हो चुकी थी और उन विचारकों और क्रान्तिदर्शियों ने उस समय भी ऐसा विचार किया था कि अपने देश में अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का हमें पूरा पूरा परिचय मिले, ऐसी पुस्तकें चलाई जानी चाहिये। उन पुस्तकों में हमारे पूर्व महापुरुषों की सही और सच्ची जीवनी भी होनी चाहिये। हमें बताना चाहिये हमारे देशवासियों को कि हमारे देश-वासियों, में हमारे पूर्वजों में क्या क्या खूबियां थीं, हमारी सभ्यता और संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी और दृढ़ थीं, हमारा उत्कर्ष कितना था कि जिसके बल बूते पर हमारी सभ्यता और संस्कृति आज-दिन तक भी जीवित-जागृत रूप में चली आ रही है, हजारों लाखों वर्षों के उतार चढ़ाव का भी जिस पर कोई असर नहीं हो सका है, इतना लम्बा काल भी जिसको नष्ट नहीं कर सका है, जब कि दूसरों की सभ्यता और संस्कृतियां कभी की नष्ट हो चुकीं, कुछ छोटे मोटे झटकों से ही और थोड़े से कालचक्र के कुप्रभाव से ही। हमारी सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद कितनी सुदृढ़ चट्टानों पर थी कि बाहरी जातियों के कितने ही भयंकर आक्रमण हमारे इस देश पर हुए, कितने ही सालों की गुलामी के दौरे से हम गुजरे, कितने ही उतार चढ़ाव हमने देखे पर फिर भी हमारी वह सभ्यता और संस्कृति मर नहीं सकी, कोई उसे मिटा नहीं सका और वह आज भी अक्षुण्ण रूप से चली आ रही है। तो वह सभ्यता और संस्कृति आज हमें इन पुस्तकों के द्वारा अपने बच्चों को बतानी चाहिये। उसके संस्कार और उसका परिचय आज हमारी इन पुस्तकों के द्वारा हमारी भावी पीढ़ी को और इस देश के नागरिकों को मिलना चाहिये। यह ज्वलन्त भावना ही थी इस राष्ट्रीयकरण के पीछे कि जिसकी वजह से हमें आज पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक जान पड़ा। राष्ट्रीयकरण की यह मूल पृष्ठभूमि है, जिसे हमें हर वक्त अपने ध्यान में रखना चाहिये।

आज उसका केवल इस आधार पर विरोध किया जाय कि चूंकि इस वर्ष पुस्तकों की छपाई व वितरण में कुछ देरी हुई और कुछ प्रबन्ध में त्रुटियां रहीं, कुछ टेन्डरों के लेने में, कुछ कागज का प्रबन्ध करने में विलम्ब हुआ, इसलिए यह राष्ट्रीयकरण की नीति ही गलत है और इसे त्याग देना चाहिये, यह कतई उचित नहीं है। इसके लिये आप यह कर सकते थे कि इस विलम्ब और लापरवाही या प्रबन्ध की त्रुटियों के लिये सरकार को किसी भी प्रकार का उलहना दे सकते थे या और किसी प्रकार की कहा सुनी कर सकते थे, पर मूल नीति को ही, मूल भूत उद्देश्य को ही नष्ट करना और कहना कि राष्ट्रीयकरण ही समाप्त कर दिया जाय, उसे त्याग दिया जाय, यह कतई अनुचित और गलत बात है। मैं समझता हूं, इस प्रकार इस नीति को त्याग करने की वृत्ति को अपनाना हमारी आत्मघाती वृत्ति होगी। हम इस राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाकर अपने जिन बच्चों को, इस देश की अपनी जिस भावी पीढ़ी को देश के सुन्दर वातावरण में, स्वतन्त्र वातावरण में, पालना और सुसंस्कृत करना चाहते हैं, उनका सुन्दर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

विकास करना चाहते हैं, नैतिकता के उच्च आदर्शों की जिनमें स्थापना करना चाहते हैं, और जो आदर्श रूप बच्चों में देखने की सुखद और सुन्दर कल्पना हम कर रहे है, जिस भावी पीढ़ी से हम अपने पूर्वजों को चारित्रिक निष्ठा का दर्शन करना चाहते हैं, इस राष्ट्रीयकरण की नीति को त्यागने से ये हमारे सारे सपने नष्ट हो जावेंगे। जोउ द्देश्य लेकर हम चल रहे हैं क्या उसमें आपका मतभेद है? मैं समझता हूं कतई नहीं। यह मैं मानता हूं और मानने की बात भी हो सकती है, कि जो शिक्षा का क्रम रक्खा गया है उसमें थोड़ा मतभेद हो सकता है, शिक्षा शास्त्रियों का भी मतभेद हो सकता है, व्यवस्था में मतभेद हो सकता है। पर इस मतभेद का यह अर्थ कदापि नहीं है कि इस नीति को ही त्याग दिया जाय। आप मतभेद की बातों पर अपने विचार व्यक्त करिये। इसके लिये अपने सुझाव दीजिये कि इस पाठ्यक्रम को यों रक्खा जाय, जिससे हम अपने उद्देश्य के नजदीक सुगमता से और शीघ्रता से पहुंच सकें। जो देश के प्रति स्वाभिमान के भाव हम अपने सुकुमार बच्चों की कोमलमति में भरना चाहते है, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूर्व महापुरुषों के प्रति जो प्रेम की भावना उनमें भरना चाहते हैं, जो उनका आध्यात्मिक, शारीरिक, और मानसिक विकास करना चाहते हैं, वह इस रीति से हम शीघ्रता से कर सकते हैं। आज हम अपनी शिक्षा प्रणाली को पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने की खोज में हैं, परीक्षण कर रहे हैं, लगन के साथ कर रहे हैं, इनमें आप योग दीजिये।

मेरे एक दूसरे साथी ने कहा कि आज की शिक्षा का वैज्ञानिक तरीका नहीं है। हम स्वयं दुख के साथ यह अनुभव करते हैं। हमारे माता-पिता जो इस युग के हैं उनमें आज इतनी सामर्थ्य नहीं है, वे स्वयं अपने दायित्व को न समझते हैं और जो कुछ थोड़ा समझते हैं, कुछ थोड़ा समझते हुए भी निभाने के साधनों का उनमें अभाव है, इसलिये वे मजबूर हैं। जो शिक्षित माताएं पहले थीं जो छोटे छोटे बच्चों के मनों में दूध पीने की घुटी में ही धार्मिक और उच्च नैतिक भाव भर देती थीं, लोरियों के रूप में कहानियों के रूप में और अपने विचारों और भावों के रूप में कि वे आगे चलकर स्वयं महान् बन जाते थे, वह योग्यता आज माताओं में भी नहीं रह गई है। आज से पहले जिन माताओं ने शिवाजी जैसे पुत्र रत्न इस धरती को दिये, अब माताएं और पिता ऐसे भाव नहीं भरना चाहते यह बात नहीं है, पर वे ऐसे युग में उत्पन्न हुए हैं, उनको इस प्रकार के पराधीन वातावरण में रहना पड़ा कि जिससे मजबूर होकर वे अपने बच्चों को उस दिशा में ले जा नहीं सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि माता और पिताओं के बाद में शिक्षकों की बारी आती है और शिक्षकों के साथ साथ उन पुस्तकों पर वह भार आता है जिनको वे बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षक पढ़ाते हैं, तो आज सारी जिम्मेदारी का भार इन पुस्तकों पर और शिक्षकों पर आ पड़ा है।

श्री अर्जुनदास : शिवाजी और महाराणा प्रताप के नाम तो इन किताबों में ही नहीं हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : ये किताबें मेरे सामने भी हैं। प्रताप का नाम इसमें है और नीचे अकबर भी है। नहीं है, यह आप कैसे कह रहे हैं? वे देखें तो सही।

श्री मदनसिंह : वे सिन्धी किताबों की शायद पूछते हैं?

श्री अध्यक्ष : ये किताबें हिन्दी में हैं, सिन्धी में नहीं हैं ।

(हंसी)

श्री अर्जनदास : Probabbly he has not read the books; शिवाजी का नाम बताए हिन्दी में ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! आप सुनें उनको । माननीय सदस्य आपस में ही बातें न करें । इस तरह के तो इन्टरप्शन होते ही रहते हैं । आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सबका नाम हो यह जरूरी नहीं है । तो मैं निवेदन कर रहा था........

श्री अर्जनदास : अब तो १२ बज गये हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !!

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : १२ बजने से भी नहीं घबराना चाहिये । हां, तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जिस प्रकार की भावना हम आज के अपने बच्चों में भरना चाहते हैं वह पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही सम्भव है और यह अवश्य है कि हम आज ही पूर्ण रूप से उस स्टेन्डर्ड पर पहुंच गये हैं, यह तो मैं नहीं कह सकता । फिर इस प्रकार का यह हमारा प्रथम प्रयास ही तो है । अगर हम इसी तरह से अपने प्रयास को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ाते जावेंगे तो मैं समझता हूं दिन-दिन इन पुस्तकों का रूप अच्छा बनता ।वेगा । पर अगर हम प्रारम्भ में ही इस प्रयास [illegible] ध करेंगे और यह कहेंगे कि इस **राष्ट्रीयकरण की नीति को ही त्याग देना चाहिये, तो, मैं समझता हूं,** कि यह किसी भी प्रकार हमारे राष्ट्र, प्रान्त, समाज अथवा छात्रों के हित में नहीं होगा ।

अच्छा तो यह होता कि जो विलम्ब हुआ या प्रबन्ध में जो भी धांधलीबाजी रही या जो भी कुछ रहा उस सम्बन्धी तथ्य यहां लाते । मुझे भी प्रबन्ध के सम्बन्ध में यह शिकायत है कि वक्त पर पुस्तकें नहीं मिलीं । मुझे यह भी शिकायत है कि कुछ पुस्तकों का मूल्य अपेक्षाकृत कुछ कम किया जा सकता था । कुछ दिनों पहले पंजाब में राष्ट्रीयकरण द्वारा ऐसी ही पुस्तकें निकली थीं । उनकी कीमतें कुछ अधिक थीं । बाकी सारा मैटर कोई बुरा नहीं था, अच्छा था, काफी अच्छी बातें उनमें थीं । पुस्तकें सुन्दर भी थीं, पर कीमतें अपेक्षाकृत बहुत अधिक थीं । इस बिना पर उनका विरोध हमारे प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था । तो इस विरोध का मतलब यह नहीं कि वह राष्ट्रीयकरण की नीति गलत थी, उसे त्याग देना चाहिये । जहां उनमें मैटर उच्च कोटि का हो, देश प्रेम से ओतप्रोत हो, शिक्षाप्रद हो, वहां मूल्यों को भी हमें देखना पड़ेगा । प्रकाशकों के शोषण को जहां हमने बन्द किया वहां प्रेसों पर भी कन्ट्रोल करना आवश्यक है, उनको भी मुनाफा खोरी से रोकना है । तो अगर ये प्रेस भी मुनाफाखोरी करें तो यह भी राष्ट्रीयकरण की नीति के विरुद्ध होगा । तो मुझे जहां तक स्मरण है पंजाब के द्वारा पुस्तकों के किये गये राष्ट्रीयकरण का विरोध हमारे प्रधान मन्त्री ने भी इसी बिना पर किया था । पुस्तकों की कीमतें अधिक थीं और इसमें मुनाफाखोर प्रेस वालों का हाथ था । तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर भी किसी कारण से हो, चाहे कागज में अधिक पैसा दिया गया हो, या प्रेस को अधिक पैसा दिया गया हो, इस बात पर आगे पूरा नियन्त्रण रखना है, क्यों-

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कि हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिये कि इस राष्ट्रीयकरण से किसी मुनाफ़ाखोरी को प्रोत्साहन न मिले। इससे बच्चों के साथ साथ हमें उनके माता–पिताओं की सामर्थ्य और उनकी आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, जिसे मेरे एक मित्र ने दूसरे ही रूप में ग्रहण किया था। मैंने कहा था कि पहले के जमाने में पुस्तकें कम होती थीं, उनको बहुत सा पैसा पुस्तकों को बार बार बदलने में नहीं खर्च करना पड़ता था और पुस्तकें इतनी पूरी होती थीं कि उन्हें पढ़कर वे पूरे पंडित बन जाते थे।

इसका मतलब यह नहीं था कि जमाने में जो परिवर्तन हुआ था उसको उन पुस्तकों में पढ़ते ही नहीं थे। वे भी समय समय पर जो भी परिवर्तन होते थे वे पढ़ते थे। परन्तु आज इस बात की आवश्यकता है, जो भी पुस्तकें लिखी जायं वे इस दृष्टि से लिखी जायं कि उनको हर साल बदलना न पड़े, पहले तो यह भी होता था कि जो किताब बड़ा भाई पढ़ता था वही किताब छोटे भाई के भी काम आती थी, वह भी उसको पढ़ता था। इसमें नये सबक दे सकते हैं। इसलिए पुस्तकों को जहां तक हो सके इस प्रकार से बनाया जाय कि जिससे तीन चार साल तक कम से कम वे ही पुस्तकें रहें और जिसके कारण माता पिताओं पर भी उनकी कीमत का बोझा न पड़े। चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक सुधार की दृष्टि से हो, चाहे विज्ञान की दृष्टि से हो, बच्चों के स्तर को सुधारने की दृष्टि से हो, इन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की मंशा तब ही पूरी हो सकती है जब कि इनका सर्वांगीण राष्ट्रीयकरण हो। प्रकाशकों को और कागज के लिए अधिक पैसा जाता है तो यह राष्ट्रीयकरण पूर्ण नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई कमी इस ओर है तो कुछ सुझाव तो दे सकते हैं। तो इस प्रकार पुस्तकों की आगे के लिए भी आवश्यकता है। पुराने वक्त में जो पुस्तकें पढ़ते थे, अंग्रेजों ने जिस रूप में लिखी थीं वे इस दृष्टि से थीं कि इस देश को अलग अलग जाति-पांति, मजहब के नाम पर बांट कर उन पर शासन किया जाय। लेकिन आज इन पुस्तकों के द्वारा यह प्रयत्न किया गया है कि बच्चों में और देश में साम्प्रदायिकता न फैले, आपस में मेल–जोल हो, बच्चे सारे देश को एक समझें, इसको जाति–पांति में न बांटें और प्रचीनता से जो इस देश की संस्कृति है वह बनी रहे, उपरान्त से, अंग्रेजों के वक्त से जो साम्प्रदायिकता फैली है वह देश में न फैले। हमारे इतिहास की पुस्तकें ऐसी लिखी हुई हों, हमारे भूगोल की पुस्तकें ऐसी लिखी हुई हों, हमारे स्वास्थ्य विज्ञान की पुस्तकें ऐसी लिखी हुई हों, गणित की पुस्तकें ऐसी लिखी हुई हों जिनके पीछे एक भावना हो कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों में जिज्ञासा जागृति हो रही है, बच्चे अपने देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, कला जितनी भी चीजें हैं उनके द्वारा परिचित होते जा रहे हैं। आज यह एक दुर्भाग्य है कि हम देखते हैं कि आज के शिक्षित लोग जितने पाश्चात्य संस्कृति कला और धर्म से परिचित हैं उतने अपने देश की प्राचीन संस्कृति और कला से नहीं हैं। यदि देश आज स्वतन्त्र भी हो गया है, अंग्रेजी शासन से हमारा पीछा छूट भी गया है, लेकिन अंग्रेज़ियत हमारे ज्ञान में है। हमारे देश में बड़े बड़े आचार्य, वैज्ञानिक, साहित्यकार और कवि हुए हैं। अंग्रेजों की अपेक्षा, दूसरे मुल्कों की अपेक्षा हिन्दुस्तान

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के प्राचीन आचार्य बड़े बढ़े हुए थे। आज अणु के नाम से प्रोफेसर आइन्स्टिन विख्यात हैं कि उन्होंने इसका रिसर्च किया, लेकिन कितने ही समय पहले इस देश के आचार्य कणाद अणु के सम्बन्ध में रिसर्च कर चुके थे। आज हवाई जहाज हैं लेकिन पहले के समय में विमान चलते ही थे। यह इस देश के वैज्ञानिकों की महानता है। तो हमें समझना चाहिए कि हम अपने प्राचीन साहित्य और संस्कृति की पुस्तकें नहीं देखते हैं। हमारे पुस्तकालयों में, जहां लोग पुस्तकों से घिरे रहते हैं वहां शायद पुस्तकें अंग्रेजी या आधुनिक युग की ज्यादा हों। मैं यह नहीं कहता कि मैं आपको पुराने जमाने में खींच ले जाना चाहता हूं। लेकिन एक समन्वय की जरूरत है। इस प्रकार की भावना इन नई पुस्तकों में पढ़ने को मिले, हम रामकृष्ण को सही रूप में समझें। शिवाजी को "माउन्टेन रैट", जैसा कि अंग्रेजों ने बताया, न समझें बल्कि उनको एक राष्ट्र का निर्माता समझें। राणाप्रताप को इसी रूप में समझें। इसलिए मैं यह समझता हूं कि जो यह संकल्प रखा है उसका मैं तो विरोध करता ही हूं और सभी माननीय सदस्य इसका विरोध करेंगे और राष्ट्रीयकरण की जो नीति है उसका सच्चे दिल से समर्थन करेंगे।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की शिक्षा की राष्ट्रीयकरण की नीति पर प्रहार करके आज सदन के सन्मुख जो एक संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। मैं सर्व प्रथम इस बात को सदन के समक्ष रख देना उचित समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण इस समय जो शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा है वह अन्य राष्ट्रीयकरणों के समान ही राष्ट्रीयकरण है अथवा भिन्न है ? हम देखते हैं कि भारत सरकार ने और दूसरी दूसरी सरकारों ने भी अपने राज्यों की उन्नति के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति का पालन किया है। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में मोटर यातायात का राष्ट्रीकरण किया गया था और इसी प्रकार आज राजस्थान सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख अपने ये विचार प्रस्तुत करना उचित समझता हूं कि इस वक्त राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीयकरण का कदम उठाया है वह उत्तर प्रदेश के मोटर यातायात के राष्ट्रीयकरण से बहुत भिन्न है। इस समय राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो राष्ट्रीयकरण का ध्येय लिया है वह किसी खास अथवा किसी अन्य भावना के कारण नहीं अपनाया है बल्कि राजस्थान के बालकों की शिक्षा को सुचारूप से चलाने के वास्ते एक नीति अपनाई है और उसको राष्ट्रीयकरण के नाम से कहा गया है। मैं यह कह देना उचित समझता हूं कि इस समय राष्ट्रीयकरण केवल प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पढ़ने योग्य पुस्तकों का ही हुआ है और बच्चों के योग्य जिन पुस्तकों की किस ध्येय से उनकी रचना की गई है और पाठ्यक्रम किस प्रकार से रखा गया है यह वे ही समझ सकते हैं जिनका छोटे बच्चों की शिक्षा से सम्बन्ध रहा हो। । आज सदन में मेरे माननीय साथी इस छोटी क्लासों के बच्चों की पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, यद्यपि उनको कभी भी छोटे बच्चों की शिक्षा में दिलचस्पी लेने या उनको पढ़ाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। जिस मनुष्य को छोटे बच्चों की शिक्षा में अनुभव न हो, छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए

(श्री रामचन्द्र)

कैसी पुस्तक होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और उनका विकास किस प्रकार होना चाहिए, वे सदन में बैठकर राष्ट्रीयकरण की नीति को खुले आम चैलेंज करते हैं, यह मुझे बहुत ताज्जुब की बात मालूम होती है।

अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के विषय में जो विचार-धाराएं हैं वह अब से दस वर्ष पहले जो विचार-धाराएं थी उनकी अपेक्षा बिलकुल बदल गई हैं और इसमें जिस प्रकार उत्तरोत्तर तरक्की होती जा रही है उसी प्रकार विचारधारा में भी परिवर्तन होता जा रहा है। आज इस युग में जब कि राजस्थान में बालकों की शिक्षा के विषय में राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक कदम उठाया उस वक्त यह सोच लिया गया था कि अब हमारे बालकों की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि बालकों पर शिक्षितों की ओर से कोई बात थोपी न जाए बल्कि सहज स्वभाव से बच्चों में जो गुण हैं उनको क्रमशः डेवलप किया जाना ना चाहिये। इस बात पर मूल लक्ष्य करके यह पाठ्यक्रम बनाया गया और इसी आधार पर हिन्दी की, गणित की और सामान्य विज्ञान की पुस्तकों की रचना की गई है और तमाम पुस्तकों का पाट्यक्रम बिल्कुल बच्चों की उम्र के अनुसार और उनके विकास के अनुसार ही रखा गया है, यहाँ तक कि पुस्तकों में चित्रों की संख्या बढ़ा कर पुस्तकों को चित्रों के द्वारा आकर्षित बनाया गया है। यह भी उनके विकास के अनुसार ही रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को इस बात से अवगत करा देना उचित समझता हूं कि आम तौर पर छोटे बच्चों को चित्रों से और वह भी रंगबिरंगे चित्रों से ज्यादा प्रेम होता है और ज्यों ज्यों बच्चों का विकास होता जाता है उनकी रंगबिरंगे चित्रों की तरफ से रुचि हटती जाती है। आप देखिये हिन्दी की पहली पुस्तक जो बच्चों के लिए रखी गई है वह कितनी आकर्षक है। इसमें कितने अधिक चित्र रखे गये हैं और उसमें वे सब रंगीन चित्र हैं। इस बात से यह प्रकट होता है कि यह पुस्तक ऐसी आकर्षक है कि सहसा बच्चे इस पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रयास करते हैं।

दूसरा, हमारे माननीय मित्रों के द्वारा इस प्रणाली पर यह भी आरोप लगाया गया है कि इसमें पहले अक्षर नही पढ़ाये जाते हैं, बल्कि पहले शब्द 'मां, मां आ' और, 'बाबा आ' पढ़ाये जाते हैं। बच्चा यह सब कैसे पढ़ सकता है ? अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह कह देना उचित समझता हूं कि अभी तक हमारा ध्येय बच्चों के ऊपर थोपने का था, अर्थात् कोई चीज़ बच्चों के सामने रख देते और बच्चे उसको याद कर लेते और फिर उसका प्रयोग करते थे। अब हमारा उद्देश्य इसके विपरीत है। अब हमारा ध्येय यह है कि बच्चे में जो गुण विद्यमान हैं वह उसमें से स्वयं विकसित हों, बच्चों की सबसे प्यारी वस्तु मां होती है और वह हम हमेशा 'मां मां आ' कहता है। यह उसके हर रोज के प्रयोग के शब्द हैं और यह उसके वातावरण का शब्द है; यह उसके मस्तिष्क से सम्बन्धित शब्द है। इसी तरह से 'बाबा आ' और इसी प्रकार के जो शब्द हैं वे उसके रोजाना की बोल-चाल में आते हैं, और आम तौर पर वह आस-पास के वातावरण में सुनता रहता है। इस प्रकार 'मां, मां' शब्द अनेक बार बोलने से वह 'म' अक्षर का उच्चारण सीख लेता है जिसकी आकृति अध्यापक लिखकर बता देता है। इसी प्रकार अन्य अक्षर भी सिखा देता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : 'अम्मा' है।

श्री मदनसिंह दांता : पुस्तकें कौन सी चल रही हैं ? (पुस्तक बताकर) इस पुस्तक में यह लिखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (पुस्तक बताकर) नई पुस्तक यह है।

श्री रामचन्द्र :(पुस्तक बता कर) मैं इस पुस्तक के विषय में कह रहा हूं मैं (दूसरी पुस्तक बताकर) इस पुस्तक के विषय में नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी ही समाप्त करें, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है।

श्री रामचन्द्र : यह आरोप लगाना भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारा ध्येय यह है कि जो कुछ बच्चों को पढ़ाना है वह हमारी तरफ से नहीं थोपना चाहिए, बल्कि बच्चों में जो कुछ गुण मौजूद हैं उनका क्रमश: विकास हो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन पुस्तकों का निर्माण किया गया है।

यह विशेषता केवल हिन्दी की ही पुस्तकों में ही हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञान में भी इसी बात का ध्यान रखा गया है। इनमें सबसे पहले बच्चों को उस विज्ञान की जानकारी कराई गई है जो कि उनके आस पास के वातावरण से संबंधित है और ज्यों २ बच्चे का विकास होता जाता है और ज्यों ज्यों उसकी जानकारी बढ़ती जाती है, उसको वैज्ञानिक वस्तुओं का ज्ञान होने लगता है। इसी प्रकार गणित की पुस्तकों में भी क्रम रखा गया है, उनका भी वास्तव में इसी ध्येय को सम्मुख रखकर क्रमशः पुस्तकों का निर्देशन किया गया है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने जो राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया है वह बिल्कुल ठीक है।

उसके अलावा अभी मेरे मित्रों की ओर से इस विषय में भी आरोप आया है कि इनकी कीमतें भी अधिक हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख यह बतला दूं कि पहली क्लास की जो नई पुस्तक हैं उसकी कीमत पुरानी पुस्तक की कीमत से ८ या १० पैसे ज्यादा है। पहले यह पुस्तक ३३ पैसों की थी और अब ४१ पैसों की है। इसमें ८ पैसों का फर्क है। अब आप देखिये कि ४१ पैसे वाली और ३३ पैसे वाली पुस्तक में से कौनसी पुस्तक अच्छी है और कौनसी पुस्तक बच्चों के लिए अधिक लाभदायक है ? यदि ८ पैसे ज्यादा खर्च करके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सकती है तो ८ पैसों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, जब कि हम सैकड़ों रुपये सिनेमा और अपने स्वार्थ की अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। यदि बच्चों की शिक्षा के लिए ८ पैसे ज्यादा खर्च कर दें तो कोई अफसोस की बात नहीं है। इसलिए यहां पर प्राइस का प्रश्न लाना मेरे खयाल से बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैं सदन को अपनी तरफ से इसी बात पर जोर दूंगा कि इस वक्त राजस्थान में राष्ट्रीयकरण की जो नीति अपनाई है वह बिल्कुल सफल होकर रहेगी और यह सफलता के रास्ते पर है, क्योंकि नीति की अभी समाप्ति भी नहीं हुई है। अभी तो इसको अपनाया ही गया है और अभी से कह दें कि यह नीति असफल हुई है; तो असफल तो तब कह सकते हैं जब कि २–४ वर्ष तक इस नीति को अपना लें। पहले से ही यह कह देना कि यह असफल रही और उसका कारण भी यह बतलाया कि पुस्तकों के तैयार होने में देरी हुई, पुस्तकें देर से मिलीं, ऐसा कारण

(श्री रामचन्द्र)

बताना ठीक नहीं है। सरकार इसको मानती है....

श्री अर्जुनदास : Sir, he is playing against time and we are anxious to hear...

श्री रामचन्द्र : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सदन को मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण की नीति बिल्कुल ठीक नीति है।

श्री अर्जुनदास : Sir, he is playing against time and we have got to hear the Hon'ble Leader of the House.

श्री अध्यक्ष : This is what I was going to say myself. अब बहस नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी जबाब देंगे।

श्री अर्जुनदास : One minute only. On a point of information, Sir, I may tell the Hon'ble Member who contradicted me that he told us that Maharana Partap does find a place in our books. May I tell him, that is not correct. The book is not a Rajasthan Government publication at all, it is some private publication which he has got and he has said this without reading whether it is a Government publication or a private publication. I thought that the Hon'ble Member who tries to contradict me should know much more than he actually knew.

क्योंकि वे पुरानी चीज़ को लेकर बैठ गये।

१२-२७ म०प०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस सदन में काफी समय तक इस विषय पर वाद–विवाद हुआ और राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के खिलाफ, जहां तक मेरा खयाल है, केवल एक माननीय सदस्य बोले। बाकी अन्य सदस्यों ने संशोधनों के द्वारा या सीधे–साफ तरीके से राष्ट्रीयकरण की नीति को पसन्द किया और उसका समर्थन किया। तो एक सिद्धान्त से, जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्य ने इसका विरोध किया है वे भी दूसरों की राय के साथ जब तक कि यह बहस खत्म होगी तब तक शायद सहमत हो जायेंगे। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनकी पार्टी ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पास किया है, उससे बन्धे हुए होने के कारण शायद उनके दिल में जंच जाय पर कर नहीं पाये, क्योंकि यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है। यह मानना चाहिये कि यह सिद्धान्त ऐसा है कि आम तौर से वे पसन्द नहीं करते हैं। यह ज्यादा गम्भीर प्रश्न हो जायगा। किसी पार्टी का ऐसा सिद्धान्त हो जो कि आम तौर से पसन्द नहीं करते। खैर, मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता।

मैं निवेदन यह करना चाहता था कि राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? उसके सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों ने यहां इस पर प्रकाश डाला है। संक्षेप में मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि दर असल मैं समझता हूं कि अपने यहां पर नई किताबें लागू की गई या और इस बारे में कदम उठाये जायं। इस सदन के माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्यों को यह मालूम है कि काफी बहस–मुबाहसा हुआ। कई बार यह कहा गया कि यह किताब ठीक पसन्द नहीं की गई, वह किताब ठीक नहीं की गई, इसमें अमुक बात हो गई, दूसरी बात हो गई। ये सारी बातें चलती थीं। इसी दृष्टि से, माननीय अध्यक्ष महोदय, नई पुस्तकें जो छपवाई गई हैं, उनके सेट्स मैंने कल सदन की मेज पर अलग अलग तरीके से रखवा दिये थे। मैं समझता हूं कि उसका ही यह परिणाम है कि विरोध में बोलने वाले एक ही माननीय सदस्य रहे। दूसरों ने स्वयं अपनी आंखों से देखकर दर असल में यह महसूस किया कि विरोध की कोई बात नहीं है और विरोध करने से क्या लाभ है? दरअसल में पुस्तकें जो सामने आई हैं उन पुस्तकों के अन्दर बहुत कुछ अच्छाई है और अच्छे ढंग से छपवाई गई हैं। जिन पुस्तकों को अपनाया जाना था उनको छपवाने के बाद में कीमतें तय होती हैं। काफी बहस–मुबाहसा हुआ है और वह सदन की जानकारी के अन्दर है।

अब जो सबसे बड़ा सवाल था हमारे सामने, वह यह था कि सारे भारतवर्ष ने और राजस्थान ने भी बेसिक एजुकेशन या बुनियादी तालीम के सिद्धान्त को स्वीकार किया। हमने यह तय किया कि हमारी शिक्षा पद्धति बुनियादी तालीम के आधार पर होनी चाहिये। जब हम इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो स्वाभावतः उसका परिणाम यह निकलता है कि हम कार्यक्रम को इस तरह बनावें जो स्थिति से मेल खानेवाला हो। यदि कार्यक्रम और है और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, बेसिक एजुकेशन को मानते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो विरोधाभास होता है। सारे एजुकेशन को बदल कर बेसिक एजुकेशन लागू करने के लिये अध्यापकों की वजह से और दूसरी वजह से समय लग सकता है। जो बेसिक सिस्टम लागू करना है उसके अनुसार वातावरण भी बनाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहली क्लास से लगाकर दूसरी–तीसरी क्लासेज़ तक जाते हैं तब तक पहले, दूसरे या तीसरे पाठ जिस विषय को लेकर दिये गये हैं उसी क्रम को आगे तक बढ़ाने का क्रम दिया है, आगे उसी विषय का पाठ पढ़ें तो वही क्रम जारी रहे। एक पाठ एक क्लास में कपास के सम्बन्ध में बच्चे पढ़ते हैं तो अगली कक्षा में उसी विषय पर, खेती आदि की बातें उस पाठ में मिलती हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है।

बहुतसी बातें कही गईं, जैसे पुस्तकें लगाने में पक्ष–पात किया गया। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि हमने जो काम किया उसमें यह काम किया गया कि नेशनेलाइज़ेशन के लिये टेक्स्ट बुक बोर्ड रखा। उसमें ऐसे आदमियों को रखा जिनके बारे में किसी को शक की गुंजायश नहीं हो सकती। उन सदस्यों के नाम बता दूं। इस बोर्ड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेम्बर श्यामलालजी इसके चेयरमेन हैं, दूसरे मेम्बर हैं श्री एल. एल. जोशी जो पी. एस. सी. के मेम्बर हैं जिनका शिक्षा से काफी सम्बन्ध रहा है, दूसरे सदस्य हैं एजुकेशन सेक्रेटरी, डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन और फाइनेन्स के रिप्रज़ेन्टेटिव डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स और एक खास तौर से श्री कुंभारे साहब की सेवायें लीं और उनको इस बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया। इन ७ व्यक्तियों का बोर्ड बनाया जिनके लिये शंकाओं की गुंजायश नहीं

(श्री मोहनलल सुखाड़िया)

रहती। शुरू से आखिर तक इस बात का प्रयत्न किया कि किस प्रकार सारी चीजों को पैदा करें जिससे लोगों को कम ऐतराज हो। पुस्तकें लिखाने की समस्या सामने आई। कुछ सरकारी व्यक्तियों से लिखाई गई और कुछ दूसरे व्यक्तियों से लिखाई गई जिनमें से गैर सरकारी व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन तरीका यह था कि हर लेखक के लिये जो कमेटी है उसके साथ में एक एक्सपर्ट को जोड़ा गया जो सारी बातों पर सलाह दे और सारे राजस्थान के लेखकों को आमंत्रित किया गया और कहा गया कि इसके लिये कौन तैयार है, वे आगे आवें और जो लोग आये जैसे अंग्रेजी लेखक के बारे में मिस ल्यूथर जो एम. जी. डी. की प्रिन्सिपल हैं वे सलाह देती थीं। हिन्दी पुस्तकों के लिये श्री पी. सी. जैन को लिया गया और इनसे पूछा गया कि कौन लेखक होना चाहिये। फिर पूरी नामावली दी गई है, लेखक मंडल बनाया गया जो हर दृष्टि से विचार करे। फिर निरीक्षक और उप–निरीक्षक कायम किये गये। इस तरह से पूरी छानबीन करने का प्रयत्न किया गया। इसके बाद मैं सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करूं कि भारत सरकार की तरफ से टैक्स्ट बुक्स लिखने वालों के लिये जो एक्सपर्ट्स कमेटी है उसके सामने हर पुस्तक को रखा गया और उनकी सलाह ली गई। उन्होंने जहां पर संशोधन बताया उसको स्वीकार करके हमने इन पुस्तकों में परिवर्तन किया। तो ये सारी चीजें आसान नहीं थीं। एक चीज को निश्चित करना, दूसरों को लिखने के लिये तैयार करना, अलग अलग लेवल पर चेक करना और उसके बाद इस चीज को तैयार किया गया उसमें समय लगा, महीनों लगे। यह आसान काम नहीं था, लेकिन पुस्तकें रख दीं तो जनसंघ ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें खास तौर से कहा गया कि हम रेजिमेन्टेशन करना चाहते हैं राष्ट्रीयकरण के द्वारा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को देख कर जिन माननीय सदस्यों ने यहां पर भाषण दिये उन्होंने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया कि किस प्रकार से रेजिमेन्टेशन यहां किया गया। मैं आपके द्वारा निश्चित तौर से कह सकता हूं कि हमने साफ तौर से इस बात को अपनाया है कि कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के विचार लादने नहीं चाहे, जिससे विद्यार्थियों के दिमाग में इस तरह के विचार उत्पन्न हों। खाली कल्पना बनाने के सिवाय यदि एक दो बात भी ऐसी होती तो इतनी पुस्तकें हैं, पहली से लगाकर चौथी कक्षा तक की, उनमें से एक भी बात बताते कि यहां बात इसमें आई है, लेकिन ऐसी एक भी बात नहीं बता पाये। मुझे याद है कि जब कभी बहस होती है तब कहा जाता है कि इनमें इतनी इतनी गलतियां हैं। इस बार केवल १ गलती बताई गई जिसको तुरन्त डिपार्टमेन्ट ने ठीक किया। एक तरफ छपाई की गलती है उसको ठीक किया गया। जहां इतनी लाखों की तादाद में पुस्तकें छपाई गई वहां एक दो गलती रह सकती हैं, क्या उनको अधिक गलतियें निकालने का मौका नहीं मिलता। अच्छा होता प्रस्तावक महोदय जब इन बातों का जिक्र करते मैं आशा करता था कि पुस्तकों के बारे में ज्यादा कहेंगे और बतलायेंगे कि जो पाठ्यक्रम लागू किया, लोगों के सामने रखा वह पहले के मुकाबले में नीची चीज है। इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा गया। ज्यादातर तो कहा गया कि प्रकाशन किस तरह का हुआ,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

आदि बातें कही गई । एक बात मानन चाहिये कि मैटर इसमें है इसके बारे में सदन के सभी व्यक्ति एक राय के हैं । जो मैटर तैयार किया गया है वह पहले के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है, यह कोई भी कह सकता है । बहुत दूर तक, राष्ट्रीयकरण ने बहुत आगे कदम बढ़ाया है, जिसने इन पाठ्य–पुस्तकों को विद्यार्थियों के हाथ में पहुंचाया । पाठ्य–पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिये एक चीज है जिसके द्वारा उनको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है । मैंने निवेदन किया कि पाठ्य–पुस्तकों के लिये किसी व्यक्ति को मुकर्रर करने के लिये कोई क्रम नहीं अपनाया गया है, जितना फैसला लिया गया, किस प्रेस को छपने के लिये दिया जाय, किसको अपनाया जाय, सब मामलों में मैंने बोर्ड से कहा कि हम पूर्णतः आप पर विश्वास करके चलना चाहते हैं, सोच–समझ कर काम कीजिये । मैं निवेदन करूं कि कागज नही मिलता है जिसके लिये कहा गया कि कलकत्ता एक आदमी को भेजा गया टेन्डर लेने के लिये । लेकिन ऐसी बात नहीं है । कागज नहीं मिलता था । जिन अधिकारियों ने इस काम को किया है उन्होंने बड़ी मुश्किल से काम किया है, मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । उन्होंने थर्ड क्लास में ट्रेवल किया, तकलीफ उठाई क्योंकि पुस्तकें नहीं मिलती थी । कोई भी सरकारी अधिकारी आम तौर से थर्ड क्लास में नहीं जाते हैं । लेकिन इस काम के लिये थर्ड क्लास में जाने का उदाहरण मौजूद है, तो कैसे कह सकते हैं कि घूमने के लिये या टी. ए., डी. ए. कमाया गया, लेकिन इस तरह की बातें नहीं थीं ।

लेकिन एक परीक्षण को सफल करने के लिये प्रयत्न किये अध्यक्ष महोदय, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई, वह हमारे वश के बाहर की थी, वह दिक्कत यह आई कि ज्यों ही छपाई का काम शुरू किया काफी तेजी के साथ, भारत सरकार ने फैसला किया कि फॉरिन एक्सचेंज की दिक्कत, की वजह से जो फॉरिन से पेपर आता था, उसका इम्पार्ट बन्द कर दिया जाय । इस फैसले से हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि कागज को प्राप्त करने के लिये ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें । हम भारत सर–कार का जो सप्लाई डिपार्टमेंट है, उसके पास गये, केन्द्रीय मन्त्री के पास गये, हर तरह से पेपर प्राप्त करने की कोशिश की । हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि हम भी बचपन में पढ़े हैं, इन किताबों में इतना अच्छा कागज काम में लाने की क्या आवश्यकता थी, मामूली सा कागज काम में लाया जाता तो अच्छा था । मैं समझता हूं बुनियादी तौर से एक बात कह दूं कि जिस किताब को छोटे छोटे बच्चे हैंडिल करें, वह ज्यादा समय चल सके, इस–लिए अच्छा कागज उपयोग करना क्या खराब रहा ?

एक माननीय सदस्य ने कहा कि दूसरे छपवा कर बेच रहे हैं; मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो कागज उपयोग में लाया गया है वह कलेन्डर पेपर है, वह दूसरी किसी जगह उप–लब्ध नहीं है । कोई दूसरा व्यक्ति इस पेपर पर किताब छाप कर सस्ती नहीं दे सकता । इस प्रकार का कागज इसलिए काम में लाया गया; दूसरा कारण अध्यक्ष महोदय, इस पेपर को लगाने का यह हुआ कि पहली किताब में आप देखें, अलग अलग रंग की तस्वीरों के साथ किताब लाई गई हैं । यह ऑफ सेट प्रिन्टिंग होती है, ऑफ सेट प्रिन्टिंग का जो

(मोहनलाल सुखाड़िया)

तरीका होता है, उसके लिए फिल्मस चाहिए। उन फिल्मस के लिए हमने कोशिश की कि हमको फिल्मस प्राप्त हों। फिल्मस के लिए इम्पोर्ट लाइसेन्स लेने का प्रयत्न किया, जिससे फिल्मस जल्दी आ सकें। हिन्दुस्तान में जो पुरानी फिल्मस मौजूद थीं, उनको भारत सरकार के सहयोग से इकट्ठा कर किताब को छपवाने की कोशिश की। अगर हमें वे फिल्मस ज्यादा मिलतीं तो दूसरी किताब, जो दो कलर में सामने आई है, उसको ऑफ सेट प्रिन्ट में लाना चाहते, लेकिन फिल्मस नहीं उपलब्ध हुईं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि किताब राजस्थान के बाहर प्रिन्ट करवाई। मैं निवेदन करना चाहता हूं उनकी जानकारी के लिए कि यहां ऑफ सेट प्रिन्टिंग करने वाला कोई प्रेस नहीं है, जो इतने कलर के अन्दर प्रिन्टिंग कर पाये। इसलिए स्वाभाविक था कि बाहर प्रिन्ट करवाते। दूसरे ऑफ सेट प्रिन्ट करवाने के साथ लाखों पुस्तक छापने की केपेसिटी का सवाल था। जो अच्छे से अच्छा प्रेस हो सकता है उसके अन्दर रात–दिन प्रयत्न करने पर भी प्रकाशन होने में विलम्ब हुआ।

अच्छी छपाई के बारे में भी माननीय सदस्य ने कहा, छोटे अक्षरों में छपाई करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई, हमारे समाचार–पत्र छोटे अक्षरों में होते हैं, इस प्रकार की बातें विरोध में कही गईं। हमारी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे ढंग से छप कर किताब आये, वह आपको बुरा लग रहा है। मुझे यह जान कर आश्चर्य होता है कि अगर कागज अच्छा लगाया गया है तो वह बुरा लगे, छपाई अच्छे ढंग की हो तो वह बुरी लगे, अच्छे रंग हों तो वे बुरे लगें और वह कहा जाय कि जैसे कोई अमरीकन एम्बेसी से चीज़ आ गई हो, ऐसी चीज़ आ गई। मैं नहीं समझता कि जिन्हें शिक्षा का अनुभव है, जो बच्चों के मनोविज्ञान को जानते हैं, वे यह जानें कि बच्चों को कैसी चीज़ पसन्द आती है ? कल माननीय सदस्य किताबें घर ले गये होंगे, तो छोटा बच्चा पहली किताब को उनके पास से ले गया होगा। इस प्रकार किताबों को आकर्षित तरीके से बनाने के लिए प्रयत्न किया गया है, जिससे बच्चा इन किताबों को अपने पास रख कर इन्हें समझने की कोशिश करे।

एक माननीय सदस्य ने कहा, इसमें जो पाठ्य-क्रम रखा गया है इसमें मोरल लेसन्स के बारे में कमी रह गई है। इसके बारे में मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है वह उचित है। विद्यार्थियों को जो पुस्तकें वितरित की हैं, छोटे बच्चे जो सात आठ साल के हैं, उनको, हम नैतिकता की प्रीचिंग दें, उनको मोरल प्रीच करने बैठें, तो यह शिक्षा विज्ञान के विपरीत की बात है, इसे आज स्वीकार नहीं किया जाता। आज माना जाता है कि वातावरण इस प्रकार का हो, परिस्थिति इस प्रकार की बने कि अपने आप बालक नैतिकता की ओर बढ़े। फिर भी आगे की स्टेज के बालकों से कुछ उम्मीद की जा सकती है। इसके लिए राजस्थान में सबसे पहले एक कमेटी बनाई थी, मोरल लेसन्स के बारे में क्या हो सकता है, क्या नहीं। इस सम्बन्ध में उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है। उसके ऊपर विचार किया जा रहा है और एक्सपर्टस् हैं, उनके साथ बात–चीत करने के बाद उस पर निर्णय किया जायेगा। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह पक्ष दिमाग से ओझल हो, ऐसी बात नहीं है, वह पक्ष भी सामने था, लेकिन इस स्टेज पर इस तरह का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रयत्न करना उचित नहीं इस बात को ख्याल में रख कर उनका समावेश नहीं किया गया है।

एक माननीय स्य ने यह कहा कि 'अ, आ', न रख कर 'मां' शब्द के पहले पहल प्रयोग करने से शिक्षा दी गई है। इसके बारे में शिक्षा विशेषज्ञों का ऐसा कहना हैं, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, उनकी कही हुई बात कह दूं, तो उचित होगा। वे ऐसा मानते हैं कि शिक्षा के लिए पहले क्रम था कि हम बच्चों को एनेलिटिकल तरीके से शब्दों के बारे में अभ्यास करवायें, जब कि आज मानते है कि जो निकट से निकट वस्तु हो, फेमिलियर हो, उस वस्तु का आभास करवाते हैं तो वे जल्दी उस चीज़ को समझते हैं। उस ख्याल से. 'मां' शब्द की पहले पहल शिक्षा देने के लिए, उसका उपयोग इस पुस्तक में किया गया है। पहले पहल 'मां' शब्द से उसको परिचित कराया जाय। मैं समझता हूं सारे प्रश्नों को हमने जानने का, समझने का और पूरी तरह से ज्ञान करने के बारे में प्रयत्न किया है।

पुस्तकों की कीमत के बारे में काफी कहा गया। जहां तक पुस्तकों की कीमत का प्रश्न है, मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि जो पुस्तकें हैं, वे सामने हैं। पहली की पुस्तक सवा पांच आने की थी, अब पहली पुस्तक की जो कीमत है, वह साढे छः आने (४१ न. पै.) हैं। हिन्दी कक्षा दो की कीमत सवा सात आने पहले थी, वह आठ आने में (५० न. पै.) दी जा रही है, हिन्दी कक्षा तीन की कीमत सवा नौ आने थी वह अब साढे दस आने (६६ न. पै.) में है, हिन्दी कक्षा चार पहले साढे चौदह आने में मिलती थी वह आज साढे पन्द्रह आने (६५ न. पै.) में मिलती है। हिन्दी कक्षा पांच की कीमत १ रु. ७ आने थी या १ रु० १ आ० थी वह अब १ रुपया २८ न. पैसे की है। अंकगणित पहले १४ आने ६ पाई की थी, एक रु० एक आने लगते थे अब वह १० आने ६ पा० (६७ न. पै.) में मिलती है, अंकगणित कक्षा चार की कीमत १ रु० ५ आने थी, १ रु० ३ आने थी वह साढ़े बारह आने (७८ न. पै.) में मिलती है। इसके बाद अंकगणित कक्षा ५ पहले १ रु० २ आने में मिलती थी, उसके मुकाबले में अब १५ आने (६४ न. पै.) उसकी कीमत है। इसी प्रकार सामाजिक ज्ञान की किताब पहले १२ आने ६ पाई में मिलती थी, अब वह साढ़े सात आने (४५ न. पै.) में मिलती है, कक्षा चार की १५ आने ६ पाई में मिलती थी अब उसकी पौने नौ आने (५६ न. पै.) कीमत है। कक्षा पांच की १ रु० १ आने में मिलती थी, उसकी कीमत अब १२ आने ६ पाई (७८ न. पै.) है। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कीमत बढ़ने जैसी बात नहीं है। कुल मिला कर अगर विद्यार्थी अलग अलग विषयों की किताब एक साथ लेता है, तो उसको कुल खर्चा कितना करना पड़ता है? इन सारी चीजों में जायेंगे तो मालूम होगा कि पहले से अच्छा कागज है, पहले से ज्यादा अच्छी छपाई है, पुराने कागज की किताबों से, जिनसे माननीय प्रस्तावक महोदय ने अध्ययन किया था, उनसे अच्छी किताब इतनी कीमत पर दे दें, मैं समझता हूं इसमें एतराज होने वाली बात नहीं है।

दूसरी बात, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिकन एक्सपर्ट, जिसका नाम डा० हेरप था, जिस वक्त किताब तैयार कर रहे थे, वे उस समय आये थे, वे भी टैक्स्ट बुक्स के

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

एक्सपर्ट थे, उन्होंने आकर यहां किताबों को देखा, मुझसे खुद मिले और उन्होंने कहा कि अभी हिन्दुस्तान में जितनी जगह इस मामले में एफर्ट्स (afforts) किये गये हैं, उनसे, राजस्थान में जो एफर्ट्स किये है, आगे हैं। मैं और बढ़ना चाहता हूं। एक हमारे भारतवर्ष में श्रीमती रुक्मणी कृष्णा स्वामी हैं जो टैक्स्ट बुक्स ब्युरो की डाइरेक्टर हैं, उन्होंने लिखा है :

"It was indeed a pleasure to see the illustrations prepard for the Hindi books I and II, their photoplates and the prints that were being taken in the Allahabad Law Journal Co. The artist in question Shri L. R. Pendharker, has done his very best. Even though the matter could be improved, it still is of a fairly high standerd so far as Indian standards go."

फिर आगे उन्होंने लिखा हैं :

"The reproductions of the illustrations will have a very fine reception, since the quality of work that you aim at is quite high, even though so much colour and its reprocuction would necessarily increase the cost and the work involved, you have spared no pains and I do hope the books receive the success they deserve."

अब ये मैंने आपके सामने जो इसमें अमेरिका के एक्सपर्ट थे उनकी ओपिनियन रखी; भारतवर्ष में जो टेक्स्ट बुक्स ब्युरो की प्रेसिडेन्ट हैं, उनकी राय रखी, सदन के माननीय सदस्यों की राय, प्रस्तावक महोदय की राय इस सम्बन्ध में सदन के सामने है। तो मैं समझता हूं नेशनेलाइज़ेशन का सिद्धान्त, जिसके फलस्वरूप जो पाठ्य पुस्तकें अपनाई गई हैं, वे, उनका मैटर, उनको तैयार किया गया है उसके मुकाबिले में उनकी कीमतें, ये तीनों चीजें ठीक हैं, इन तीन चीजों को तो हम आम तौर से मानेंगे। फिर प्रश्न रह जाता है वह यह है कि देरी से किताबें मिलीं? इस बारे में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि हमने भरसक प्रयत्न किया, सारी कोशिशें कीं, इसके बावजूद देरी हुई, यह सत्य है, सब जानते हैं, पर इसमें यह ख्याल हो कि हम जानबूझ कर देरी करना चाहते हैं तो वह सवाल नहीं था। इम्पोर्ट लाइसेंस कागजों का बन्द हो गया, कागजों का शोर्टेज हो गया था, यह मुश्किलें और पेचीदगी का सवाल था। बीच में प्रिन्टिंग में देरी लगने से, ओफ सेट प्रिन्टिंग में, लॉ जरनल में किताबें छप रही थीं, यू. पी. में इन्फ्ल्युएन्ज़ा आया तो उससे प्रेस बन्द रहा, इन सब कारणों से विलम्ब हुआ। पर इसके साथ-साथ अलग-अलग अध्यापकों को कह कर कि मौखिक तरीके से पढ़ा कर लड़कों को काम में लगाये रखें, व्यवस्था रखें, किताबें उनके पास पहुंच जायंगी, इस तरह की उनको हिदायतें की और किताबें उनके पास पहुंच गई।

मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, जो सदन के माननीय सदस्यों का समर्थन मिला, बल्कि अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि सिंधी भाषा के अन्दर पाठ्य पुस्तकें हैं उनका जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकरण कीजिये, इससे पता चल सकता है कि जो पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई हैं वे कितनी अच्छी हैं....

श्री अर्जुनदास : Shall we expect that ?..............

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने यह कहा कि प्रिन्टिंग प्रेस किसी और के हाथ में है, खास तौर से कहा कि कांग्रेस के लोगों के हाथ में है........

श्री अर्जुनदास : छापने वाले को कहा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : छापने वाले हैं तो इस वजह से नहीं करें तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राष्ट्रीयकरण किया है, न मालूम किन किन के कैसे कैसे और कितने प्रेस होंगे, जिस बात को तय किया उसके तय करने के बाद पूरा करना चाहते हैं। सिंधी पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में उन्होंने कहा कि ५८ से लागू हो जाय तो इसमें थोड़ी झिझक है कि यदि समय पर पुस्तकें नहीं मिलीं तो फिर सदन में इस तरह का प्रस्ताव रखा जायगा और बहस चलेगी।

(हंसी)

वरना कोई परेशानी की बात नहीं, किसका छापाखाना है, किसका नहीं है, यह कोई मतलब नहीं रखता, कइयों के छापाखाने हैं, यह छापाखानों का ही तो झगड़ा है कि यह प्रस्ताव सदन में आता है, कई पब्लिशर्स नाराज हैं, और भी बहुत से नाराज होते हैं, पर यह दिक्कत तो इस साल भी हुई और बाद में भी होगी। जो लेखक हैं कई दूसरे जिनकी किताबें मिलने वाली हैं, उनको राहत मिलने वाली है और इस नीति द्वारा हम शिक्षा के अन्दर निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाले हैं और लोगों के दिलों में यह भावना बनने वाली है कि जो नीति इस सम्बन्ध में अपनाई गई है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा कि छापने के बारे में कुछ गड़बड़ी हुई और यह उचित नहीं हुआ, पहली कमेटी का जिक्र किया; पर पूरी तौर से मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस छपाई की गड़बड़ी का जिक्र किया वह पहली कमेटी थी, नेशनेलाइज़ेशन हुआ, उसकी जांच कर रहे हैं, इन्क्वायरी सेट ऑफ कर रहे हैं। इस नेशनेलाइज़ेशन के बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं आई जहां तक इस बोर्ड का काम है, कोई तरीका ऐसा काम में नहीं लाया गया जिससे कहा जा सके कि किसी व्यक्ति ने इससे लाभ उठाया हो। एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसी अफवाह है कि बोर्ड के एक मेम्बर ने अपनी तरफ से किताब रख दी, अफवाह की बात के लिये तो कई चौराहे मौजूद हैं, वहां आप ऐसी बातें रख सकते हैं पर कम से कम सदन में तो इस तरह की अफवाह की बात नहीं रखनी चाहिये थी........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जैसा कि आप कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं तो नहीं कर रहा, आप देर से पधारे आपको पता नहीं। इस बात का जिक्र करते हुए निश्चित रूप से कहते कि फलां व्यक्ति की किताब ली गई है। इसमें दूसरी बात अर्ज करूं कि लेखक को तो निश्चित रूप से जो तय किया है उतना ही मिलता है, तो ऐसी सूरत में ऐसा कौन लेखक होगा कि जो लिखने पर उसे मिलता है वह दूसरे को दे दे, और कोई पर्सेन्टेज का तो सवाल ही नहीं कि कोई बोर्ड का मेम्बर अपने नाम से रख देगा, उसको इससे कोई लाभ नहीं। समझने में भ्रान्ति है कि लाभ होने की दृष्टि से किसी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मेम्बर ने अपने नाम से किताब छपा ली होगी। लाभ का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं।

कुछ और छोटी मोटी बातें दलील के मौके पर आती हैं, उन सब की बहस में इसलिये भी आवश्यक नहीं समझता कि कुल मिला कर बहस का सिलसिला था उसमें सदन के माननीय सदस्य इस नीति का समर्थन करते हैं, जो बहस यहां हुई उससे हमें बल मिला है इस कार्यक्रम को आगे चलाने में। मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्यों को कि किसी राजनैतिक नीति को शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लाना चाहते, हमारी ऐसी नीति नहीं रही है, हम उस नीति को नहीं मानते। शायद किसी को ऐसा ख्याल हो कि किसी प्रस्ताव को इस ख्याल से पास करते हैं और विरोध करते हैं तो उसका सक्रिय स्वरूप इससे ज्यादा नहीं मिलता कि जो पुस्तकें हमने छापी हैं वे आपके सामने हैं। हां जो खामियां हों उन्हें यहां सदन में हमेशा इस बात को रखने का अधिकार है, जो और खामियां हैं, उनके लिये हमने तय किया है, हमने यह दावा नहीं किया है कि जो किताबें लिख दी गई हैं, उनमें किसी दृष्टि से कमी नहीं है। हम खुद तय कर रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से तय किया गया है कि राजस्थान ने जिन पुस्तकों को छपाया है, शिक्षा के विशेषज्ञ मिलें और एजुकेशन मैटर को डिस्कस करते हैं उसमें राजस्थान की पाठ्य पुस्तकों को डिस्कशन के अन्दर रखा है! फिर हम भी इन खामियों पर विचार करेंगे, अलग अलग सेमिनार्स के द्वारा, आवश्यक संशोधन हों तो उनको भी करना चाहेंगे। पर उनके अन्दर शिक्षा की दृष्टि होगी, राजनैतिक दृष्टि नहीं होगी, जिससे हम कहें कि राजनैतिक दृष्टि से शिक्षा क्रम लागू करना चाहते हैं।

मैं आशा करता हूं, जो कुछ मैंने कहा है, उसको सुनने के बाद, जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उनके दिल में खास ख्याल होगा कि कोई रेजिमेन्टेशन पैदा करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, हमारी नीति यह नहीं है, हमने सक्रिय रूप से पाठ्य पुस्तकों को रखा है, आगे भी आपको इसके अन्दर खामियें हों, उस पर कहने का अधिकार है, वे भी अपने इस प्रस्ताव को वापिस लेंगे, ताकि हम एक राय हों, यही उचित होगा, यह कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : इस संकल्प पर एक संशोधन भी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो संशोधन जिन माननीय सदस्य ने इस संकल्प में रखा है, जो दिक्कतें मैंने बताईं, जिनकी वजह से देरी हुई, उनको रखने के बाद मैं आशा करता हूं कि वे अपना संशोधन वापिस लेंगे।

श्री बहादुरसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं संकल्प में अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस संकल्प में, जो संशोधन श्री बहादुरसिंह ने मूल संकल्प में रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

१ म० प०

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीयकरण के

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विषय को लेकर सदन में काफी बहस चली और उसमें एक बात तो कम से कम ऐसी थी जिसको कि दोनों ही पक्ष के लोगों ने स्वीकार किया । वह थी कि इस कार्य के सम्बन्ध में जो गड़बड़ियां हुईं, इस कार्य को करने में जिस प्रकार के घोटाले या जैसी आपत्ति मैंने की थी उसके सम्बन्ध में करीब करीब सभी सदस्यों ने यह कहा कि ऐसा हुआ है । मैं इस सम्बन्ध में दुबारा न दोहरा कर जो दूसरा पक्ष है, जिसे हम सैद्धान्तिक कह सकते हैं, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि हम न तो कोई विचार-धारा रखना चाहते हैं, न किसी चीज को रिपीट करना चाहते हैं और कहा कि इस संबंध में जो पार्टी के सिद्धान्त हैं, न उनका प्रचार करना चाहते हैं । इसके सम्बन्ध में कक्षा ४ की हिन्दी की पुस्तक के ८ वें पाठ की दूसरी लाइन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें यह लिखा है—

'हिन्द में यह हिन्दियों का....'

मैं तो 'हिन्द में यह हिन्दियों का' जो शब्द लिखे हैं इनका अर्थ नहीं समझ पाया । अगर "भारत में भारतियों का" कहते तो ज्यादा अच्छा रहता , या फिर "हिन्द में हिन्दुस्तानियों का" कहते तो भी कोई मानने की बात थी । मगर 'हिन्दियों' शब्द का प्रयोग किया है, मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री जनार्दनराय नागर : बड़ा अच्छा शब्द है । हिन्द से हिन्दियों हुआ ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : लेकिन अकेले शब्द का अर्थ यह है........

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

एक माननीय सदस्य : हिन्दी हैं, हमवतन भी तो आया है ।

श्री मदनसिंह दांता : जो हमारी समझ में नहीं आता वह बच्चों के समझ में कैसे आ सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : बच्चों के जल्दी समझ में आयेगा, दिक्कत तो आपके लिए है ।

श्री मदनसिंह दांता : मैं पढ़ूंगा नहीं ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी पार्टी का प्रचार करने का इसका दृष्टिकोण नहीं है । मैं भी आपको बताऊं कि हम भी राष्ट्रीयकरण के विरोध में नहीं हैं । हमने भी राष्ट्रीयकरण को माना है, हमने भी उन सभी बातों को माना है जहां कि कोई 'की इन्डस्ट्री' (Key Industry) का सवाल आया है । जहां राष्ट्रीय प्रश्न है वहां राष्ट्रीयकरण को महत्व दिया है । लेकिन जीवन के हर पहलू में, जहां "राष्ट्रीयकरण" शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अध्यक्ष महोदय मुझे डर है कि हमारी सरकार जो "नेशनेलिज़्म" और "नेशन" और "स्टेट" का डिफरेन्स है उसको भूल जाती है और स्टेट उसको भूलती ही नहीं है तो 'गवर्नमेन्ट, स्टेट और नेशन' इन तीनों शब्दों के बीच का जो शब्द है गवर्नमेन्ट और नेशन का केन्द्रीयकरण करके आगे आता है । इस प्रकार की राष्ट्रीयकरण की सरकार की मंशा दिखाई देती है । "राष्ट्रीय" और "नेशनेलिज़्म"

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

का शब्द है, उसको दूर कर दिया जाता है। जो स्टेट की थ्योरी है उसको भी दूर करके गवर्नमेन्ट साइड से सारी योजनाओं को चलाया जाता है। इस प्रकार का भय, जो मैंने प्रस्ताव में रखा था और उस पर अपने विचार प्रकट किये थे, उस समय भी रखा था कि एक प्रकार से 'सरकारीकरण' का प्रयास किया जा रहा है और देश में भविष्य में इस प्रकार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को, जो स्वतंत्र रूप से अपनी विचारधारा को रख सकें, उनके कुण्ठित होने का खतरा आ रहा है। मैं इस प्रकार का राष्ट्रीयकरण नहीं चाहता जिसमें कि 'सरकारीकरण' की बू आती हो। मेरे भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भूतकालीन संस्कृति की देन थी और उसी के कारण से भारत भारत रहा है। वर्तमान में जो शिक्षा दी गई है उसके अन्दर उसकी जानबूझकर उपेक्षा की गई है। जिस वाल्मीकी के जीवन के सम्बन्ध में हम बचपन में कहानियां पढ़ा करते थे उसके सम्बन्ध में कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लेख इन किताबों में नहीं पाते, सिवाय भगवान राम और अशोक के सम्बन्ध में और उनके जीवन के बारे में कुछ बातें इन किताबों में देखने को मिलती हैं। बाकी के जो महान् पुरुष थे और जिनके जीवन से शिक्षा प्राप्त कर अपने को उनके अनुसार ढाल सकते थे उनके सम्बन्ध में इन किताबों में कोई समावेश नहीं है। भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कहा कि श्री गजराजसिंह जी, जो पहले थे, उनके समय में जो किताबें छपीं उसके अन्दर जरूर हैं। लेकिन वर्तमान पुस्तकों में उनको कहां से यह दिखाई दिया मुझे तो समझ में नहीं आता। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के सामने, उनके जीवन के सामने कोई मूर्त रूप में देशभक्ति की या ऐसी ही चीजों की पुस्तकें सामने नहीं रखते तो कैसे हम उनके जीवन को ऊंचा ला सकते हैं? आज हम अपने समाज का ठीक प्रकार से विकास करना चाहते हैं, लेकिन जितनी भी गड़बड़ियां और घोटाले आते हैं उनके कारण हमारे जीवन और आत्मा का विकास हम नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन का जो स्तर था वह गिरता जा रहा है। हम देखते हैं कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस ओर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की कोई भावना हमारी सरकार की नहीं है। समाज का जीवन-स्तर केवल रोटी से ही ऊंचा नहीं होगा। रोटी और राम जब तक दोनों ही नहीं होंगे तब तक समाज उन्नत नहीं होगा। इस पहलू को गौण रख दिया गया है। सभी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात् यही मालूम हुआ कि जिस बात के लिए हमारी सरकार कहती है, हम अपने समाज को भूतकालीन जो श्रेष्ठ परम्परा थी उन परम्पराओं का आधार मानकर भविष्य में जो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां चालू हो रही हैं उनका समावेश कर हम अपने समाज का विकास करेंगे। लेकिन जो भूतकालीन प्रवृत्तियां थीं उनका विकृत रूप रखा जाता है, उनको भुलाया जाता है, उनको साइड ट्रेक किया जाता है। इस प्रकार का प्रयास राष्ट्रीयकरण के अन्दर किया जा रहा है। इससे तो अच्छा है कि राष्ट्रीयकरण ही नहीं किया जाय। इसको तो 'राज्यीकरण' शब्द का नाम दिया जाना चाहिए। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसको कहें तो मैं अपने प्रस्ताव को वापिस ले लूंगा। लेकिन स्टेट के आधार पर, स्टेट के ऊपर न तो "सरकारीकरण" शब्द को

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

एप्लाई किया जाय। इन सारे विचारों के साथ मैं कहूंगा कि इसका जो सैद्धान्तिक पक्ष है उसके ऊपर मुझे कहीं भी संतोष नहीं हुआ है। व्यवहारिक पक्ष था उसको तो सारे सदस्यों ने स्वीकार किया है। तो इन सारे शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि जहां तक सैद्धान्तिक पक्ष था उसके अन्दर किसी प्रकार का संतोष नहीं हुआ है। व्यवहारिक पक्ष था उसको सारे सदन ने स्वीकार किया है। अतः मेरा यह निवेदन है कि इस पक्ष को भी माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकार करेंगे और मेरा जो प्रस्ताव है उसको मैं सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री जगदीशप्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है और प्रोबेबली हम जनवरी के थर्ड वीक में मीट करेंगे।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म. प. १ बजकर १० मिनट पर अनिश्चित काल के लिए समाप्त हुई)

———

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार २०, नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

२४४५

भरतपुर शहर में वहां के निवासियों व संस्थाओं द्वारा विद्युत विभाग को देय धन-राशि।

राजस्थान में नगर विकास मंडल एवं उनके सदस्य।

वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं रेगिस्तान में ऐसा करने की शासकीय योजना।

कोटा किले के समीप चम्बल में गिरने वाले सतीदाहरा नाला पर बनाया गया पुल।

सांचोर विस्तार खण्ड द्वारा किये गये सामाजिक कल्याण के कार्य।

एस० डी० ओ सिंचाई, शाहपुरा, के पास त० कोटड़ी के अधीन तालाबों की दशा।

सहकारी समिति, दांता रामगढ़ के मंत्री द्वारा गबन पर आर्बिट्रेशन बोर्ड।

गत वित्तीय वर्ष लघु में सिंचाई योजना के लक्ष्य की सफलता का अनुमान।

बाडमेर नगरपालिका के हिसाब का ऑडिट।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में गौ सदन खोलने का टार्गेट।

राणा प्रताप सागर बांध के निर्माण कार्य का प्रारम्भ एवं उसकी समाप्ति।

स्कम्भ

रेलवे ट्रेनिंग स्कूल के एक युवा बालक की १२ जून, १९५७ को मृत्यु।

बीकानेर जिले में पेय जल की समस्या।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में प्रारम्भ हुआ दोसा-गंगापुर बिजली की लाइन का कार्य।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हरिजनों हेतु गृह निर्माण योजना।

बारेटा होती हुई बसेड़ी को बयाना से जोड़ती हुई सड़क का सर्वे।

धौलपुर उप जिले के बांधों का जीर्णोद्धार।

लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों में जलाशय निर्माण सम्बन्धी गत दो वर्षों से प्रार्थना पत्र।

मानस बांध (त० लाड़पुरा) के जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत धन-राशि।

भीम सागर (जि० बांसवाड़ा) योजना पर व्यय होने वाली धन-राशि।

मेला शरद से नगरपालिका धौलपुर की आय।

नोगजा पहाड़ी (त० टोंक) के वन को वन विभाग के अधीन लेना।

स्कम्भ

राजस्थान में चल रहे समस्त राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ।

सड़क से न जुड़ी हुई भीलवाड़ा जिले की तहसीलें ।

पदमपुर में एन० एन० राजावाहा की टेल पर किसी स्त्री की लाश पड़ी होने की सूचना ।

सन् १९५६ में खरीदी गई एम्बूलेंस गाडियां व एक्सरे का सामान ।

टोडगढ़ क्षेत्र (त० ब्यावर) के निजी वनों को सरकार द्वारा लेने पर मुआवजा ।

फतहपुर गौशाला को बीड़ दिये जाने पर आन्दोलन में गिरफ्तारियें ।

गंगापुर-हिन्डोन रोड की प्रथम लाइन में टार पेन्टिंग ।

४-११-५७ का स्थगित प्रश्न

गंगापुर-पदमपुर होती हुई हिन्दूमल कोट से रायसिंह नगर तक जाती हुई सड़क में आई हुई भूमि का मुआवजा।

१३-११-५७ का स्थगित प्रश्न

गत एक वर्ष में ड्यूटी पर काम करते हुए मारे गये किशनगढ़ पॉवर हाउस के कर्मचारी ।

१४-११-५७ का स्थगित प्रश्न

पंजाब की एक बस का बीकानेर में रजिस्ट्रेशन ।

स्कम्भ

अनुपस्थिति के लिये अनुमति २५००

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

(१) श्री आनन्दसिंह कछवाहा दिनांक १८-११-५७ से २०-११-५७

(२) श्री पुरुषोत्तमलाल दिनांक १९-११-५७ के लिये

(३) डा० चन्द्रकला दिनांक १९ व २०-११-५७

विधायी कार्य

राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७ २५०१

प्रथम अनुसूची—भाग ए. व बी.

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा उत्तर दिये जाने पर श्री अनूपसिंह ने अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लिया । तदुपरान्त प्रथम अनुसूची, भाग ए. व बी., स्वीकार की गई ।

द्वितीय अनुसूची, खण्ड १ आदि:— स्वीकृत हुए ।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया ।

अशासकीय सदस्य कार्य २५०४

संकल्प

(१) दिनांक १९-११-५७ को श्री गिरधारीलाल द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित संकल्प आज सदन द्वारा अस्वीकार किया गया:—

"इस सदन की सम्मति है कि सरकार जनता द्वारा चलाये जाने वाले

Page No.79

आन्दोलन के समय केवल बातचीत, समझौता, बीचबचाव अथवा पंच फैसले से काम ले और जाब्ता फौजदारी कानून की धारायें १०७ व १४४ का प्रयोग न करें।''

(२) श्री जगदीशप्रसाद ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"राजस्थान विधान सभा यह अनुभव करती है कि सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करने की नीति पूर्णतया असफल रही है अत: यह प्रस्ताव करती है कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति का अविलम्ब त्याग कर दिया जावे।''

इस पर श्री बहादुरसिंह ने यह संशोधन प्रस्तुत किया कि शब्द "पूर्णतया असफल रही है'' के स्थान पर शब्द "सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है'' एवं शब्द "का अविलम्ब त्याग कर दिया'' के स्थान पर "को शीघ्र सफल बनाने का प्रयास किया'' प्रतिस्थापित किये जाए।

इस संबंध में निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने २ विचार व्यक्त किए:—

(१) श्री मोहरसिंह
(२) श्री नारायणसिंह (मसूदा)
(३) श्री जनार्दनराय नागर
(४) श्री पुरुषोत्तमलाल
(५) श्री गिरधारीलाल
(६) श्री अर्जुनदास
(७) श्री जुगलकिशोर
(८) श्री रामचन्द्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिये जाने पर उपरोक्त संशोधन वापिस ले लिये गये तथा संकल्प सदन द्वारा अस्वीकार किया गया।

मध्यान्ह १ बजकर १० मिनट पर सभा की बैठक जो दिनांक ४ नवम्बर, १९५७ से प्रारम्भ हुई थी आज अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३६७ का उत्तर देखिये)

संख्या	नाम	ब्लॉक का प्रारम्भिक वर्ष
१.	गोविन्दगढ़	अक्टूबर, १६५४
२.	आहौर	,,
३.	पिन्डवारा	,,
४.	जवांजा	अप्रेल, १६५५
५.	केकड़ी	,,
६.	नोखा	अक्टूबर, १६५५
७.	जयपुर	,,
८.	नीमकाथाना	,,
६.	मांडलगढ़	,,
१०.	बेगूँ	,,
११.	झालरापाटन	,,
१२.	चिड़ावा	,,
१३.	कुशलगढ़	Special Multipurpose Projects in tribal areas allotted by the Ministry of Home Affairs.
१४.	श्री करनपुर	1954-55 October, Series.

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३४८ का उत्तर देखिये)

LIST OF TANKS UNDER THE CHARGE OF S. D. O. IRRIGATION SHAHPURA.

S. N.	Name of Tank.	Khalsa or resumed Jagir tank.	Condition.	Remarks.
1.	Fateh Sagar Tank.	Khalsa	Good	Repaired in 1951.
2.	Ranasar Tank.	„	Good.	„ „ 1956.
3.	Jahnol Tank.	„	Good.	„ „ 1955
4.	Red-was Tank.	„	Water goes under ground	„ „ 1954.
5.	Nawal Sagar Tank.	„	Good	„ „ 1954-55.
6.	Santi-ka-Talab.	„	Estimate under sanction.	
7.	Kakta Tank (Amalda).	Jagir	Good.	Repaired in 1956.
8.	Sankran Tank.	„	Good.	„ „ 1955.
9.	Jeetiyas Tank.	„	Good.	Not repaired

परिशिष्ट ३

२६०५

(कृपया प्रश्न संख्या ३५४ का उत्तर देखिये)

डूब में आने वाले ५१ गांवों की सूची

१ रावत-भाटा
२ कून्डालिया
३ आमती
४ अरनिया माली
५ चारमी जागीर
६ भीकरा
७ चीतोरिया माफी
८ आवलदा
९ एमीनपुर
१० खानगढ़ पुरा
११ खैरत
१२ बैकारी
१३ भालगढ़
१४ लालर जागीर
१५ पौदल खेरी
१६ जसवन्तपुरा एलास जून्तपुरा
१७ डूगरिया
१८ प्रेमपुरा
१९ मागपुरा
२० निमड़ी
२१ वालगंज
२२ एमरपुरा
२३ उच्येनमय कनवारपुरा
२४ गोपालपुरा
२५ देवपुरा
२६ बैवाद खेरा जागीर ठिकाना निमदी
२७ गंगाखेरा
२८ खेरली
२९ रायपुर
३० मन्नासरा
३१ गौडट
३२ आरनीया
३३ रोरी
३४ बोरखेरा
३५ पिपलदा
३६ टागीका खेरा
३७ दोतरा
३८ कान्ती
३९ मेवदा
४० नया गांव
४१ मोतीपुरा काढोली
४२ हाढोली
४३ लक्ष्मीपुरा
४४ केथुला
४५ नारायणपुरा
४६ कूआ खेरा
४७ मोरडी
४८ बैडोरी
४९ सारंगपुरा
५० टोडाका खेरा
५१ भानोली

Page No.83

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण बुधवार, दिनांक २० नवम्बर, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२४५२	अन्तिम से ४थी	श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२४५४	२	द्वारा गबन पर आर्बिटेशन बोर्ड	द्वारा गबन पर आर्बिट्रेशन बोर्ड
२४६६	अन्तिम से ५वीं	श्री अघ्यक्ष:	श्री अध्यक्ष:
२४७१	१३	connectecd with	connected with
२४७६	१५	were purchsed from it	were purchased from it
२४७९	अन्तिम से ८वीं	श्री नाथूराभ मिर्धा	श्री नाथूराम मिर्धा
२४९२	२०	श्री पी० के० चीधरी	श्री पी० के० चौधरी
२४९५	१२	we cannot uunderstand	we cannot understand
२४९९	१८	श्री माहनलाल सुखाड़िया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२५०८	२२	फर्म ने रेट क्लोट की थी	फर्म ने रेट क्वोट की थी
२५२३	४—५	हाफ इयरली एकज़ामिशन	हाफ इयरली एग्ज़ामिनेशन
२५४१-२५५५ व २५७३-२५८७	शीर्ष पंक्ति	पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीयकरण	पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण
२५४५-२५४६	शीर्ष पंक्ति के मध्य	२०—नवम्बर, ५७	–२० नवम्बर, ५७–
२५४६	१५	खामियां रह गई हैं	खामियां रह गई हैं
२५४९	८	ठीक ही उठाया हें	ठीक ही उठाया है
२५५९	२७	उनको दुनिया मैं सबसे	उनको दुनियां में सबसे
२५६८	२३	समय राट्रीयकरण केवल	समय राष्ट्रीयकरण केवल
२५६९	२	पाठ्य-क्रम कैसा होना	पाठ्य–क्रम कैसा होना
,,	२५	पुस्तकों का पाठ्य–क्रम	पुस्तकों का पाठ्य–क्रम
२५७१-७२	शीर्ष पंक्ति के मध्य	–२० नवम्ब, ५७–	–२० नवम्बर, ५७–
२५७३-७४	,,	२०–नवम्बर, ५७–	–२० नवम्बर, ५७–
२५७९	२	एक बात मानन	एक बात माननी
२५८३	५	एक माननीय स्य ने	एक माननीय सदस्य ने
२५८५	२८	and its reprocuction would	and its reproduction would
२५८८	५	मैं मिवेदन करूंगा	मैं निवेदन करूंगा
२५९५-९६	शीर्ष पंक्ति के मध्य	–२९ नवम्बर, ५७–	–२० नवम्बर, ५७–
२६०१-२	,,	–२० नवम्ब, ५७–	–२० नवम्बर, ५७–